



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन  
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन  
वर्ष 2016 प्रतिवेदन क्रमांक 3

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कांडिका	पृष्ठ
प्रावकथन		v
कार्यपालिका सारांश		vi
<b>प्रथम अध्याय—राज्य शासन के वित्त</b>		
छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य	1	1
प्रस्तावना	1.1	3
राज्य के संसाधन	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	10
पूंजीगत प्राप्तियाँ	1.4	21
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	23
संसाधनों का उपयोग	1.6	24
व्यय की गुणवत्ता	1.7	31
शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	35
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	38
ऋण प्रबंधन	1.10	46
राजकोषीय अस्थिरता	1.11	48
अनुसरण कार्यवाही	1.12	51
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	1.13	52
<b>द्वितीय अध्याय—वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	55
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	55
विनियोग लेखे का सारांश	2.3	55
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.4	56
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.5	62
अनुदान संख्या—27 स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा	2.6	63
अनुदान संख्या—69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा	2.7	66
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	2.8	69
<b>तृतीय अध्याय—वित्तीय प्रतिवेदन</b>		
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का अनुपालन लेखा परीक्षा	3.1	71
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.2	81
असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक	3.3	82
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	83
हानि तथा गबन आदि के प्रकरणों का प्रतिवेदन	3.5	85
लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियाँ” एवं “800—अन्य व्यय” के अंतर्गत समायोजन	3.6	86
राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण	3.7	87

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लोक निर्माण निक्षेप के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को शासन के खाते में जमा न करने के संदर्भ में	3.8	88
कर्मकार उपकर के अंतिम उपयोग	3.9	89
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	3.10	95

## परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1 भाग अ	छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा	राज्य का पार्श्व दृश्य	99
1.1 भाग ब	सरकारी लेखे की संरचना एवं प्रारूप	1.1	100
1.1 भाग स	वित्त लेखों की रूपरेखा	1.1	100
1.2	राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि	1.1	101
1.3	राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आँकड़ों का विश्लेषण	1.1, 1.3 एवं 1.4	103
1.4 भाग अ	वर्ष 2015–16 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	106
1.4 भाग ब	छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सारांश	1.1.1, 1.9.1 एवं 1.9.2	109
1.5	वर्ष 2015–16 के बजट आंकलन के विरुद्ध वास्तविक व्यय	1.1.3, 1.3.1	110
1.6	वर्ष 2015–16 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय	1.1.4	112
2.1 (अ)	विवरण जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	2.4.1	113
2.1 (ब)	वर्ष 2014–15 के दौरान सारभूत बचत (₹ 20 करोड एवं उससे अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	2.4.1	115
2.2	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का विवरण जहाँ प्रावधान से अतिरिक्त व्यय, ₹ 10 करोड़ से ज्यादा था।	2.4.3	117
2.3	प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान के ₹ 10 करोड़ या उससे ज्यादा अनुपयोगी रहे	2.4.5	119
2.4	प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.4.6	122
2.5	प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान आधिक्य साबित हुआ	2.4.6	124
2.6	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	125
2.7	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण (बचत से अधिक समर्पण राशि ₹ 50 लाख या अधिक के प्रकरण)	2.4.8	128
2.8	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्र जहाँ बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) हुई है, परन्तु उसके किसी भी अंश का समर्पण नहीं किया गया है	2.4.9	129
2.9	₹ एक करोड़ एवं अधिक की समर्पित की जाने वाली बचतों के विवरण	2.4.9	130
2.10	31 मार्च 2016 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण	2.4.9	131
2.11	विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित	2.4.12	134
2.12	व्यय का अतिवेग	2.4.13	135
2.13	व्यय के अतिवेग का विवरण	2.6.6	136
2.14	पर्याप्त बचतों का विवरण	2.6.7	137
2.15	सतत बचतों का विवरण	2.6.8	138

परिशिष्ट क्रं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.1	31 मार्च 2016 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.1.1	139
3.2	मुख्य शीर्ष-2515 एवं 2217 के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब का विवरण	3.1.4	148
3.3	जिला पंचायत, कबीरधाम के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब का विवरण	3.1.5.5	150
3.4	वित्तीय सहायता का विवरण प्रदान करने वाली संस्थाओं की सूची	3.2.1	151
3.5	सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के तहत पहचान की गयी लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	3.2.1	152
3.6	31 मार्च 2016 तक स्वायत्त निकायों के लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का विवरण	3.2.2	154
3.7	2015–16 के अंत में मुख्य शीर्षवार लंबित ए.सी. देयको का विवरण	3.3	156
3.8	मार्च 2016 में मुख्य शीर्ष 8443–106–व्यक्तिगत जमा खाते में शेष राशि के अंतरण का ब्यौरा	3.4	156
3.9	शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की चोरी, गबन एवं कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	3.5	157
3.10	शासन को हुई हानियों का वर्षवार विवरण (31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों)	3.5	158
3.11	वर्ष 2015–16 के दौरान हानि प्रकरणों में वसूली की जानकारी	3.5	160
3.12	लघु शीर्ष "800–अन्य व्यय" के अंतर्गत समायोजन का विवरण	3.6	162
3.13	लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियों" के अंतर्गत समायोजन का विवरण	3.6	164
3.14	पूँजीगत विभाग के अंतर्गत सहायता अनुदान का विवरण	3.7	165
3.15	अनियमित स्वीकृति का विवरण	3.7	166
3.16	विविध लोक निर्माण अग्रिम की लंबित राशि 31 मार्च 2016 की स्थिति में फार्म 70(जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग)	3.8.1	174
3.17	सभी जिलों के विभिन्न योजनाओं के वर्षवार आंबटन का विवरण	3.9.1	177
3.18	चयनित सात जिलों के आंबटन एवं व्यय का विवरण	3.9.3	178
3.19	अस्वीकृत चेकों का वर्षवार विवरण	3.9.4.2	179
3.20	अयोग्य लाभार्थियों को सायकल वितरण का विवरण	3.9.4.3	179
3.21	अयोग्य लाभार्थियों को जिलावार सायकल वितरण का विवरण	3.9.4.4	180
3.22	विभिन्न जिलों के दोनों योजनाओं के लिए लाभार्थियों की संख्या का विवरण	3.9.4.5	180
3.23	सभी जिलों के सभी योजनाओं में अवितरित राशि का विवरण	3.9.4.7	181

## प्रावक्थन

- 1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।
- 2 इस प्रतिवेदन के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन की क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच से उद्भुत मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण समिलित है। जहां आवश्यक थी छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई।
- 3 तृतीय अध्याय, वित्तीय प्रतिवेदन पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है एवं राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमों, तौर तरीकों एवं वर्तमान वर्ष में दिए गए निर्देशों की स्थिति स्पष्ट करता है।
- 4 प्रतिवेदन जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन देन की लेखापरीक्षा तथा सांविधिक नियमों, मंडलों एवं शासकीय कंपनियाँ की लेखापरीक्षा से प्राप्त प्रेक्षण तथा प्रतिवेदन जिनमें राजस्व प्राप्तियों से संबंधित टिप्पणियाँ समाहित है का अलग—अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

## **कार्यपालिका सारांश**

---

### **पृष्ठभूमि**

राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005, संशोधित 2011 एवं 2016, बजट अभिलेखों, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आर्थिक समीक्षा मानक तथा विभिन्न शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

### **प्रतिवेदन**

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2016 के समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

प्रथम अध्याय, वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति में शासन की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह राज्य की संपूर्ण वित्तीय स्थिति, समर्पित व्यय तथा उधार पद्धति के बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति की प्रवृत्तियों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर अन्य माध्यम से निधियों के हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

द्वितीय अध्याय, विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह अनुदानवार विनियोग का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों के द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसमें दो अनुदानों, अनुदान संख्या 27 "स्कूल शिक्षा विभाग" तथा अनुदान संख्या 69 "नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग" की विस्तृत समीक्षा भी की गई है। इसमें पता लगने की कोशिश की गई है कि क्या विनियोग विधेयक के प्राधिकरण के अंदर विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय हुआ है।

तृतीय अध्याय, विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन के अनुपालन की सूची है। यह प्रतिवेदन लेखारीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न शासकीय विभागों/ संगठनों से प्राप्त आंकड़ों को भी संकलित करता है।

### **लेखापरीक्षा के निष्कर्ष**

#### **प्रथम अध्याय: राज्य शासन के वित्त**

##### **राजकोषीय स्थिति:**

- वर्ष 2015–16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, चौदहवें वित्त आयोग में किए गए 14.42 प्रतिशत के प्रावधान के विरुद्ध 6.40 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का राजस्व अधिक्य ₹ 2,367 करोड़ था और यह राजस्व अधिक्य बना रहा जैसा कि 14वें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वारा परिकल्पित किया गया था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 4,574 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.82 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित 3.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर था।

(कंडिका 1 एवं 1.1.2)

### राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

- विभिन्न समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2014–15 में राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों का सीधा अंतरण वर्ष 2014–15 में ₹ 335.65 करोड़ से ₹ 130.65 करोड़ (38.92 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 466.30 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.2.2)

### संसाधन गतिशीलता

- पिछले वर्ष की ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2015–16 में राज्यव्यवस्था प्राप्तियों (₹ 46,068 करोड़) में ₹ 8,080 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि का मुख्य कारण पिछले वर्ष के विरुद्ध संघ कर में राज्य का अंश (₹ 7,353 करोड़: 87.92 प्रतिशत) तथा कर राजस्व (₹ 1,368 करोड़: 8.71 प्रतिशत) में वृद्धि होना था।
- पिछले वर्ष की तुलना में सहायक अनुदान ₹ 926 करोड़ (10.31 प्रतिशत) घट गया।

(कंडिका 1.3)

### राजस्व उत्प्लावकता

- राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2015–16 में 3.32 के उच्चतम स्तरपर पहुँच गया जिसका कारण पिछले वर्ष (18.53 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि दर के बढ़ने से हुई। वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्तियाँ मुख्य तौर पर केन्द्रीय कर अंतरण के ₹ 15,716.47 करोड़ बढ़ने से हुई जबकि वर्ष 2015–16 में यह ₹ 8,363.03 करोड़ था।

(कंडिका 1.3)

### व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकताएं

- वर्ष 2015–16 में राजस्व व्यय में ₹ 4,140 करोड़ (10.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह बजट अनुमान (₹ 53,730 करोड़) से ₹ 10,029 करोड़ कम था। आगे, वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय (₹ 51,811 करोड़) का 84.35 प्रतिशत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.38 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय में आयोजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2014–15 में 53 प्रतिशत से घट कर 2015–16 में 47 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015–16 में आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 23,172 करोड़) में पिछले वर्ष की तुलना में 24.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.3, 1.6.1, 1.6.2.1 एवं 1.6.2.2)

- वर्ष 2015–16 के दौरान, पिछले की तुलना में पूँजीगत व्यय में 21.40 प्रतिशत (₹ 1,401 करोड़) की वृद्धि हुई। जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय के अंतर्गत परिवहन पर ₹ 478 करोड़, ग्रामीण विकास योजनाओं पर ₹ 264 करोड़, शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर ₹ 236 करोड़ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर ₹ 198 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।

(कंडिका 1.6.4)

- राज्य के द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता वर्ष 2014–15 में ₹ 10,573.31 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 9,678.18 करोड़ हो

गई। सब्सिडी पर व्यय 2014–15 में ₹ 3,747 करोड़ से ₹ 3,650 करोड़ (97.41 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 7,397 करोड़ हो गयी।

(कंडिका 1.6.6)

### अपूर्ण परियोजनाएं

- मार्च 2016 की स्थिति में, 194 अपूर्ण परियोजनाएँ अपने कार्यपूर्णता के नियत तिथि से परे थी, जिसमें ₹ 5,912 करोड़ अवरुद्ध हुआ। कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम आकृष्ट करता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

(कंडिका 1.8.1)

### शासकीय निवेशों पर प्रतिफल

- 31 मार्च 2016 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों, बैंकों एवं समितियों आदि में ₹ 6,192.22 करोड़ निवेश किया। वर्ष के दौरान शासन का निवेश पर प्रतिफल (₹ 5.73 करोड़) 0.09 प्रतिशत था यद्यपि औसत ऋण लागत 6.25 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.8.2)

### राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य के राजकोषीय दायित्वों (₹ 37,817 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 22.07 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 13.11 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 15.04 प्रतिशत था जो कि मुख्यतः वर्ष 2014–15 के आंतरिक ऋण ₹ 18,195 करोड़ की तुलना में ₹ 24,215 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.9.2)

### ऋण प्रबंधन

- उधार निधियों की कुल उपलब्धता वर्ष 2014–15 में ₹ 4,551 करोड़ से आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 4,687 करोड़ हो गई। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2014–15 में 4.55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 4.66 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.10.2)

### द्वितीय अध्याय: वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

#### त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण बड़ी बचत

- वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 20,083.91 करोड़ का बचत थी, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्राक्कलन की ओर इंगित करती है। विगत पाँच वर्षों से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदान में सतत बचत देखे गये।

(कंडिका 2.3 एवं 2.4.4)

#### पिछले वर्ष के संबंध में अतिरेक प्रावधान पर नियमितता की जरूरत

- वर्ष 2015–16 के दौरान तीन अनुदानों एवं दो विनियोगों में प्रावधान से अधिक ₹ 98.24 करोड़ का व्यय हुआ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत

नियमित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही अवधि 2000–15 के अतिरेक व्यय राशि ₹ 3,146.93 करोड़ को अभी तक नियमित करना अपेक्षित है।

(कंडिका 2.4.11 एवं 2.4.12)

### आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से तीन अवसरों पर एम्बुलेंस की खरीदी, क्षेत्रीय कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लिए एवं डिक्री राशि के भुगतान के लिए व्यय हेतु ₹ 1.72 करोड़ के तीन निकासी राशियों का अग्रिम आहरण किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

(कंडिका 2.5)

### तृतीय अध्याय: वित्तीय प्रतिवेदन

#### अनुदानों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

- छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों से सहायता अनुदान के देयक धनराशि ₹ 10,502.86 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान कुल 4237 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2016 तक लंबित है। यह उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यतः तीन विभागों से लंबित थे जो कि सामान्य शिक्षा विभाग (651 उपयोगिता प्रमाण पत्र, ₹ 574.58 करोड़), नगरीय विकास विभाग (574 उपयोगिता प्रमाण पत्र, ₹ 2201.18 करोड़) तथा अन्य ग्रामीण विकास विभाग (1284 उपयोगिता प्रमाण पत्र, ₹ 1167.79 करोड़)। सहायक अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए जो कि विभागीय अधिकारियों के नियत उद्देश्यों हेतु प्रदत्त अनुदानों के समयबद्ध उपयोगिता निश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन करने में असफलता प्रदर्शित करता है।

(कंडिका 3.1)

#### स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- नौ स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुए थे, जिससे स्वायत्त निकायों के कामकाज की जाँच में विलंब हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

#### संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर निधियों का आहरण

- मार्च 2016 की स्थिति में विस्तृत आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान आहरित राशि ₹ 645.86 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयक लंबित थे। ₹ 645.86 करोड़ के कुल 303 ए.सी. देयक का लंबन मुख्यतः खाद्य संग्रहण एवं भंडारण (₹ 338.24 करोड़), ऊर्जा (₹ 281.02 करोड़), उद्योग (₹ 9.68 करोड़), लौह एवं इस्पात उद्योग पर पूंजीगत व्यय (₹ 9.00 करोड़) तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग (₹ 7.80 करोड़) के कारण था।

(कंडिका 3.3)

#### व्यक्तिगत जमा खाते का अनुरक्षण

- व्यक्तिगत जमा खाते, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर वित्त विभाग की अनुमति के बिना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी जारी रखे गये थे। मार्च 2016 की स्थिति में 292 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,696.46 करोड़ का महत्वपूर्ण अंतः शेष था।

(कंडिका 3.4)

### हानि तथा दुर्विनियोग के प्रकरणों का प्रतिवेदन

- राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा हानि, दुर्विनियोग आदि के 2,218 प्रकरणों में ₹ 117.02 करोड़ के शासकीय धन का मार्च 2016 की स्थिति में निपटारा अपेक्षित था।

(कंडिका 3.5)

### कर्मकार उपकर का अंतिम शेष

- नवंबर 2016 तक चेक अस्वीकृत होने तथा असमाशोधित पड़े रहने के कारण ₹ 6.08 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य संरचना श्रमिक कल्याण बोर्ड (सी.जी.बी. एवं ओ.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बी.) में जमा नहीं हुई थी।

(कंडिका 3.9.4.2)

समान लाभार्थी को दोहरा लाभ प्रदाय किये जाने के कारण ₹ 48.47 लाख का अधिक भुगतान

- 1374 श्रमिकों (799+575) को दोनों योजनाओं मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना और मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्रदाय किया गया जिसमें 799 वैसे श्रमिक थे जिन्हे सायकल प्रदाय की गयी जो सिलाई मशीन का लाभ ले चुके थे तथा 575 वैसे श्रमिक थे जिन्हे सिलाई मशीन प्रदाय की गयी जो सायकल का लाभ ले चुके थे, जो कि अधिसूचना के विरुद्ध था।

(कंडिका 3.9.4.5)

## प्रथम अध्याय

### राज्य शासन के वित्त

#### 1 छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन द्वारा नवम्बर 2000 में अस्तित्व में आया, जिसका क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किमी है। यह भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का 10वां और जनसंख्या (2.55 करोड़ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) के दृष्टिकोण से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या में 2001

2.08 करोड़ थी जो 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 47.90<sup>1</sup> था जो अखिल भारत के औसत 29.50 से ज्यादा था। वर्ष 2015–16 में राज्य का वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,51,447.14 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 64.66 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 70.28 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) हो गया जो अखिल भारत के औसत 73.00 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) से कम था। वर्ष 2015–16 के दौरान, वर्तमान मूल्यों पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 81,756 अनुमानित था। राज्य से संबंधित सामान्य ऑकड़े परिशिष्ट 1.1 (भाग–अ) में दर्शाये गये हैं।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जो राज्य में उत्पादन गतिविधियों के कुल मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: जीडीपी और जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
भारत का सकल घरेलू उत्पाद <sup>2</sup> (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद <sup>2</sup> (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 <sup>पी</sup>	2,36,318 <sup>क्यू</sup>	2,51,447 <sup>ए</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	12.30	16.49	14.28	6.40

(स्रोत: सार्थिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

(ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान)


वर्ष 2015–16 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.40 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जो 14वें वित्त आयोग में किए गए प्रावधान (14.42 प्रतिशत) से कम है।

<sup>1</sup> योजना आयोग (जून–2014), गरीबी की माप के लिए क्रियाविधि की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) के प्रतिवेदन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे।

<sup>2</sup> आधार वर्ष 2004–05 से 2011–12 में परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2011–12 से 2014–15 के जीडीपी और जीएसडीपी के अनुमान संशोधित हो गये हैं।


## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की तुलना चार्ट 1.1 में दर्शायी गई है।



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम था उसके बाद वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक था। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम था।

वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार संरचना को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि द्वितीयक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर प्रभावकारी योगदान रहा जो वर्ष 2015–16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद

का 39.22 प्रतिशत रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के शेष 60.78 प्रतिशत में, 19.01 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र, 35.15 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र एवं 6.62 प्रतिशत उत्पाद कर—उत्पादन सम्बिंदी का योगदान था।

## 1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पूर्व वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण शासन से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के वित्त लेखे के आधार पर किया गया है। शासन के लेखे की संरचना एवं रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 (ब) में दर्शायी गई है और वित्त लेखे की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1 भाग (स) में दर्शायी गई है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के आंकलन के लिए अपनायी गई पद्धति का वर्णन परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है। राज्य शासन के वित्त के विगत पाँच वर्षों के समयबद्ध आँकड़े परिशिष्ट 1.3 में दिये गये हैं।

### 1.1.1 वर्ष 2015–16 में राजकोषीय लेन देन का सारांश

तालिका 1.2, पिछले वर्ष (2014–15) के सापेक्ष चालू वर्ष (2015–16) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेन—देन के सारांश को दर्शाता है, जबकि परिशिष्ट 1.4 (भाग अ एवं ब) चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2015–16 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण						
	अनुभाग अ—राजस्व	2014–15	2015–16	अनुभाग अ—राजस्व	2014–15	आयोजनेत्तर	आयोजना
राजस्व प्राप्तियाँ	37,988.01	46,067.71	राजस्व व्यय	39,561.29	23,172.02	20,529.04	43,701.06
स्वयं के कर राजस्व	15,707.26	17,074.86	सामान्य सेवाएं	9,041.58	10,348.93	59.83	10,408.76
कर भिन्न राजस्व	4,929.91	5,214.79	सामाजिक सेवाएं	15,388.85	5,885.62	10,453.73	16,339.35
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	8,363.03	15,716.47	आर्थिक सेवाएं	14,152.22	6,037.06	10,015.48	16,052.54
भारत सरकार से अनुदान	8,987.81	8,061.59	सहायता अनुदान/अंशदान	978.64	900.41	0.00	900.41
<b>अनुभाग ब—पूँजीगत एवं अन्य</b>							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.03	2.84	पूँजीगत व्यय	6,544.25	1.96	7,943.05	7,945.01
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	194.86	296.39	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	88.32	—	—	164.73
अंतर्राजीय समायोजन	0.91	0.52	अंतर्राजीय समायोजन	1.22	—	—	0.49
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,439.67	7,251.15	लोक ऋण अदायगी	1,336.73	—	—	1,250.18
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	0.00	—	—	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	51,321.89	55,059.09	लोक लेखा संवितरण	49,933.47	—	—	54,000.89
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,735.29	1,218.38	अंतिम रोकड़ शेष	1,218.38	—	—	2,833.72
<b>योग</b>	<b>98,683.66</b>	<b>1,09,896.08</b>	<b>योग</b>	<b>98,683.66</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,09,896.08</b>

(स्रोत: राज्य शासन के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों (₹ 46,068 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 37,988 करोड़) से ₹ 8,080 करोड़ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में केंद्रीय कर अंतरण में ₹ 7,353 करोड़ (87.92 प्रतिशत) की वृद्धि, स्वयं के कर राजस्व में ₹ 1,368 करोड़ (8.71 प्रतिशत) तथा करेतर राजस्व में ₹ 285 करोड़ (5.78 प्रतिशत) की वृद्धि थी। भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 926 करोड़ (10.31 प्रतिशत) की कमी हुई।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्वयं के कर राजस्व (₹ 20,872 करोड़) तथा करेतर राजस्व (₹ 5,324 करोड़) के नियामक आंकलन के विरुद्ध राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति कमशः ₹ 17,075 करोड़ (81.81 प्रतिशत) तथा ₹ 5,215 करोड़ (97.95 प्रतिशत) थी। इस प्रकार स्वयं के कर में 14वें वित्त आयोग के नियामक आंकलन के सापेक्ष महत्वपूर्ण कमी हुई जबकि करेतर राजस्व के संग्रहण में 14वें वित्त आयोग के आंकलन के सापेक्ष आंशिक कमी हुई।
- राजस्व व्यय में वर्ष 2014–15 ₹ 39,561 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 43,701 करोड़ की तीव्र वृद्धि हुई जिसका कारण पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं में कमशः ₹ 1,367 एवं ₹ 951 करोड़ की वृद्धि थी। यद्यपि राजस्व व्यय ₹ 53,730 करोड़ के बजट अनुमान से 18.67 प्रतिशत कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में पूंजीगत व्यय में ₹ 1,401 करोड़ (21.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण परिवहन (₹ 478 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 264 करोड़), शिक्षा, कला एवं संस्कृति (₹ 236 करोड़) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 198 करोड़) विभागों में वृद्धि थी।
- लोक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2014–15 के वृद्धि ₹ 2,508 करोड़ (63.78 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 811 करोड़ (12.60 प्रतिशत) की कमी हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियां एवं वितरण में कमशः ₹ 3,737 करोड़ (7.28 प्रतिशत) एवं ₹ 4,067 करोड़ (8.15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन–देन के निबल प्रभाव के कारण विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के अंत तक रोकड़ शेष में ₹ 1,615 करोड़ की वृद्धि हुई।

### 1.1.2. राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (एफआरबीएम अधिनियम), सितंबर 2011 एवं उसके बाद मई 2016 में संशोधित, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, दक्षपूर्ण ऋण प्रबंधन के साथ राजकोषीय स्थिरता तथा शासन के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

राज्य शासन ने मई 2016 में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2016 पारित किया। अधिनियम के अनुसार राज्य शासन, नियमानुसार, वित्त आयोग द्वारा राज्य के एफआरबीएम अधिनियमों के लिए सूझाये गये वित्तीय नियमों का विशेष रूप से उल्लेखित करेगा।

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वित्त आयोग) द्वारा अपने निर्धारित अवधि के दौरान राज्यों के राजकोषीय संस्थापन रूपरेखा, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य एवं वार्षिक उधार की सीमा विहित किया गया जैसा कि नीचे संख्यांकित है:

- i) सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा के नींव पर होंगे। राज्यों को इससे अधिक की सीमा के लिए किसी भी वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं निर्धारित की जानी हैं, यदि उनका ऋण—जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर रहा हो, तो 0.25 प्रतिशत की लोचनीयता व उदारता के लिए पात्र होंगे।
- ii) राज्य उक्त वर्ष में, जिसके लिए उधार सीमाएं निर्धारित की जानी हैं, यदि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर रहा हो, तो जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए भी पात्र होंगे।
- iii) लोचनीयता संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत राज्य ऊपर इंगित दो विकल्प प्राप्त कर सकते हैं, या तो उपर्युक्त में से कोई एक मानदंड पूरा करने पर कोई भी उपर्युक्त विकल्प या दोनों मानदंडों को पूरा करने पर दोनों विकल्प एक साथ पूरा करने पर। अतः किसी एक साल के लिए किसी राज्य का अधिकतम राजकोषीय जीएसडीपी घाटा 3.50 प्रतिशत तक हो सकता है।
- iv) एक विकल्प या दोनों विकल्पों के तहत अतिरिक्त सीमा प्राप्त करने के लिए राज्य के पास लोचनीयता तभी उपलब्ध होगी यदि उक्त वर्ष में, जिसमें उधार सीमाएं निर्धारित की जानी हैं और उसके पिछले वर्ष में उन्हें कोई राजस्व घाटा नहीं था।
- v) यदि कोई राज्य निर्धारित अवधि के पहले चार वर्षों (वर्ष 2015–16 से 2018–19) के दौरान किसी भी वर्ष में जीएसडीपी के तीन प्रतिशत सामान्य राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृति उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है, तो राज्य के पास केवल अगले वर्ष में (परन्तु अवार्ड अवधि के दौरान) इस अनुप्रयुक्त उधार सीमा (जिसका रूपयों में गणना किया गया है) को प्राप्त करने का विकल्प होगा।

वर्ष 2015–16 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसाकि राज्य के एफआरबीएम अधिनियम, एमटीएफपी, 14वें वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है तालिका 1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 1.3: वर्ष 2015–16 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान**

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	2015–16				
	14वें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में प्रस्तावित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	एमटीएफपीएस में प्रावधान	वास्तविक
राजस्व घाटा (–) आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	(+)4,226.64	(+)4,226.64	(+)2,366.65
राजकोषीय घाटा(–) / आधिक्य (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	(–)6,835.66	(–)6,835.66	(–)4,573.71 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.82 प्रतिशत)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण	13.73	13.73	बजट में उल्लेखित नहीं	16.09	15.04

(स्रोत: एफआरबीएम अधिनियम दस्तावेज, 14वें वित्त आयोग प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज एवं राज्य वित्त लेखे 2015–16)

जैसा कि तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 2,366.65 करोड़ था और 14वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम द्वारा निर्धारित राजस्व

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त किया। यद्यपि राजस्व आधिक्य, बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में किये गये प्रावधान से 44.01 प्रतिशत कम था।


वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 4,574 करोड़) वर्ष 2014–15 में ₹ 8,008 करोड़ से ₹ 3,434 करोड़ कम हो गया जिसका मुख्य कारण वर्ष 2014–15 में ₹ 1,573 करोड़ की राजस्व घाटा की स्थिति से स्थानांतरित होकर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व आधिक्य होना एवं पूंजीगत व्यय का वर्ष 2014–15 में ₹ 6,544 करोड़ से ₹ 1,401 करोड़ बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 7,945 करोड़ होना था। इसके बावजूद वर्ष 2015–16 के दौरान, राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 1.82 था जो 14वें वित्त आयोग के प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित 3.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर था।

कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 15.04 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम लक्ष्य (13.73 प्रतिशत) से अधिक तथा एमटीएफपीएस (16.09 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर था।

### 1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविकताएँ

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत बजट अभिलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के प्रयोजनों एवं अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में, राजस्व एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता की महत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की विभिन्न कारणों से जिनमें से कुछ शासन के नियंत्रण में हैं तथा कुछ नियंत्रण के बाहर हैं, की अप्राप्ति तथा अनुप्रयोग को इंगित करता है। वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक स्थिति का विवरण परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.3** वर्ष 2015–16 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट अनुमान एवं वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है।



ऊपर दिया गया चार्ट यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर, राज्य शासन के बजट अनुमान से कम था।

वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में ₹ 11,889 करोड़ (20.51 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान से स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व में ₹ 3,011 करोड़ (14.99 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 4,933 करोड़ (37.96 प्रतिशत) की कम प्राप्ति थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 10,029 करोड़) में कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं में ₹ 4,946 करोड़ (23.24 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवाओं में ₹ 4,703 करोड़ (22.66 प्रतिशत) की कमी थी।

राज्य का वास्तविक पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 3,055 करोड़ (27.77 प्रतिशत) कम था। इसका मुख्य कारण आर्थिक सेवाओं में ₹ 2,394 करोड़ (29.30 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाओं में ₹ 678 करोड़ (27.27 प्रतिशत) का कम व्यय था, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, बजट अनुमान में निर्धारित ₹ 4,226.64 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,366.65 करोड़ का राजस्व आधिक्य हुआ। राजकोषीय घाटा ₹ 6,836 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तविक ₹ 4,574 करोड़ था। प्राथमिक घाटा ₹ 4,754 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तविक ₹ 2,425 करोड़ था, जो अच्छे राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है।

#### 1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट सम्पूर्ण बजट के अन्तर्गत उन प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय को दर्शाता है, जो महिलाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। राज्य द्वारा जेण्डर बजट का पृथक भाग बजट (2015–16) के साथ प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न योजनाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित बजट प्रावधान का उल्लेख किया गया। जेण्डर बजट अभिलेख के अनुसार, जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो वर्गों में विभक्त किये गये थे—(1) वे योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे, तथा (2) वे योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2015–16 के दौरान, महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभार्थ 16 विभागों<sup>3</sup> में (वर्ग—1:23 योजनाएं एवं वर्ग—2:101 योजनाएं) बजट प्रावधान किये गये थे।

वर्ग (1) के लिए 23 योजनाओं के संदर्भ में जेण्डर बजट दस्तावेज के अनुसार बजट अनुमानों का विवरण, विनियोग लेखे के अनुसार निधि का प्रावधान तथा वास्तविक व्यय के विवरण परिशिष्ट 1.6 में दिये गये हैं।

- वर्ष 2015–16 के जेण्डर बजट के अनुसार, जेण्डर बजट दस्तावेजों में 23 योजनाओं हेतु ₹ 1,049.56 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया था। यद्यपि, राज्य शासन के द्वारा ₹ 619.47 करोड़ (59 प्रतिशत) मूल बजट उपलब्ध कराया गया जिसके विरुद्ध ₹ 619.49 करोड़ का व्यय किया गया था।

- वर्ष 2015–16 के दौरान बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए ₹ 8.50 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान योजना का चलन में नहीं होने एवं भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण सर्वपण किया गया। इस शीर्ष में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी बचत हुआ था। यद्यपि 31 मार्च 2016 को इस शीर्ष के संपूर्ण प्रावधान को समर्पित किया गया तथापि ₹ 0.01 करोड़ का व्यय किया गया जो कि अप्राधिकृत था।

वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा परिणामी बजट प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें जेण्डर संबंधित विभिन्न गतिविधियां के विरुद्ध मात्रात्मक प्रदेयों के वर्णित होने के बावजूद, नोडल विभाग के द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनिटर नहीं किया गया और न ही मॉनिटर

<sup>3</sup> कृषि विभाग, पशु–पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, स्कूल शिक्षा, सामाजिक कल्याण विभाग, खेलकूद एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, ग्राम औद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग।

हेतु किसी विशेष सेल का गठन किया गया। वर्ष के दौरान राज्य के किसी भी एजेंसी के द्वारा महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया।

## 1.2 राज्य के संसाधन

### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व तथा पूँजी, प्राप्तियों के दो धाराएं हैं जिनमें राज्य शासन के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे—विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में संवितरण के पश्चात् उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी शासन अपने घाटे के वित्तीय पूर्ति के लिये करता है। तालिका 1.2 (पृष्ठ क्रमांक 3) वर्ष 2015–16 में राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों, जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखे में अंकित है, को प्रस्तुत करता है। चार्ट 1.4 में वर्ष 2015–16 में राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उप-घटकों को प्रदर्शित करने वाला फ्लोचार्ट प्रस्तुत किया गया है जो वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना का चित्रण करता है।

चार्ट 1.4: राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उपघटकों का फ्लोचार्ट



(₹ करोड़ में)



चार्ट 1.5 अवधि 2011–16 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



चार्ट 1.6 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के संरचना को उल्लेखित करता है और चार्ट 1.7 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए प्राप्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



चार्ट 1.4 से चार्ट 1.7 में यह देखा जा सकता है कि:


- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 28,798 करोड़ से ₹ 25,879 करोड़ (89.86 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 54,677 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में ₹ 20,201 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 5,841 करोड़ की वृद्धि थी। यद्यपि शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों में ₹ 163 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2011–16 के दौरान, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच अस्थिर रहा।
- शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियाँ वर्ष 2014–15 में ₹ 1,388 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 1,058 करोड़ हो गया।


### 1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जिसे विवेचनात्मक के रूप में स्वीकार किया गया था और ये निधियाँ राज्य के बजट/राज्य कोष प्रणाली से संचरित नहीं होते थे। इसलिए, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था। अतएव, वार्षिक वित्त लेखा राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा 01.04.2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया है, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित राशि वर्ष 2014–15 में ₹ 335.65 करोड़ से ₹ 130.65 करोड़ (38.92 प्रतिशत) बढ़ा कर वर्ष 2015–16 में ₹ 466.30 करोड़ कर दिया गया।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण क्रमांक 14, शासन के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। अवधि 2011–16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की संरचना तथा प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 एवं चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है और राजस्व प्राप्तियों की संरचना का प्रतिशत चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।





(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में (₹ 20,201 करोड़: 78.10 प्रतिशत) वर्ष 2011-12 में ₹ 25,867 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 46,068 करोड़ की प्रगामी वृद्धि देखी गई जबकि अवधि 2011-16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 8.36 एवं 21.27 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। पिछले वर्ष में ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 2015-16 में ₹ 8,080 करोड़ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण स्वयं के कर राजस्व में ₹ 1,368 करोड़, करेत्तर राजस्व में ₹ 285 करोड़ तथा संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्सेदारी में ₹ 7,353 करोड़ की वृद्धि थी।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 48 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधन जिसमें कर एवं करेत्तर राजस्व शामिल हैं, से प्राप्त हुआ जबकि शेष 52 प्रतिशत में केंद्रीय कर हस्तांतरण (34 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान (18 प्रतिशत) का सम्मिलित योगदान रहा।
- कर राजस्व में 8.71 प्रतिशत, करेत्तर राजस्व में 5.78 प्रतिशत एवं भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 87.92 प्रतिशत की वृद्धि तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 10.31 प्रतिशत की कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कुल 21.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.4 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	25,867	29,578	32,050	37,988	46,068
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर	13.86	14.35	8.36	18.53	21.27
राज्य के स्वयं के कर	10,712	13,034	14,343	15,707	17,075
राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर	18.96	21.68	10.04	9.51	8.71
सकल राज्यघरेलू उत्पाद <sup>4</sup> (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 <sup>पी</sup>	2,36,318 <sup>क्यू</sup>	2,51,447 <sup>ए</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	—	12.30	16.49	14.28	6.40
राजस्व प्राप्तियाँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	16.36	16.66	15.50	16.07	18.32

<sup>4</sup> अवधि 2011-12 से 2014-15 के जीएसडीपी अनुमान पुनरिक्षीत हुए हैं जिस कारण पिछले प्रतिवेदनों में उक्त अवधि के जीएसडीपी के सापेक्ष विभिन्न परिमाप के आकड़े भी पुनरिक्षीत हुए हैं। यह आकड़े वर्ष 2011-12 में ₹ 1,44,112 करोड़ वर्ष 2012-13 में ₹ 1,65,641 करोड़, वर्ष 2013-14 में ₹ 1,85,682 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में ₹ 2,10,192 करोड़ थे। |


उत्प्लावकता अनुपात <sup>5</sup>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	—	1.17	0.51	1.30	3.32
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता	—	1.76	0.61	0.67	1.36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)  
(ए–अग्रिम अनुमान, ग्रूप–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान)

- राजस्व उत्प्लावकता, जो सीधे राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपाती है, अस्थिर प्रवृत्ति दर्शायी तथा 0.51 एवं 3.32 के मध्य रहा। यह 2015–16 में अपने उच्चतम स्तर 3.32 पर रहा जिसका कारण पिछले वर्ष (18.53 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (21.27 प्रतिशत) में वृद्धि था। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का कारण वर्ष 2015–16 में ₹ 15,716.47 करोड़ के संघीय कर का अंतरण में वृद्धि था जो कि वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 8,363.03 करोड़ था।


- इसी प्रकार, राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता भी अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाती है, जो वर्ष 2012–13 में अपने उच्चतम स्तर 1.76 पर थी और 2013–14 में कम होकर 0.61 हो गई तथा उसके बाद वर्ष 2015–16 के दौरान बढ़ कर 1.36 हो गई, जिसके कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता भी 0.61 से 1.76 के बीच अस्थिर रही।

**चार्ट 1.10** कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर वृद्धि के बावजूद राजस्व के वृद्धि की दर के अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है एवं **चार्ट 1.11** उत्प्लावकता अनुपात के प्रवृत्ति को दर्शाता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

<sup>5</sup> उत्प्लावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है। उदाहरणार्थ—यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक प्रतिशत बढ़ता है, तो राजस्व उत्प्लावकता 0.6 प्रतिशत इंगित करती है।



सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्पादनता में रिथर वृद्धि देखी गयी, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व उत्पादनता वर्ष 2013-14 में घटा एवं उसके बाद वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान बढ़ता हुआ प्रवृत्ति दिखाया जो इस बात का द्योतक है कि स्वयं के कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान रूप से नहीं बढ़ रहा है।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के हिस्सों का निर्धारण होता है, संसाधनों के संग्रहण में गति प्रदान हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा करेतर स्रोत शामिल हैं, के संबंध में किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेतर प्राप्तियों का 14वें वित्त आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के विरुद्ध तुलनात्मक विवरण तालिका 1.5 एवं तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: कर राजस्व तथा करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	एफआरबीएम प्रकटीकरण	वास्तविक
राज्य के स्वयं का कर राजस्व	20,872	20,086	20,086	17,075
राज्य का करेतर राजस्व	5,324	8,663	8,663	5,215

(स्रोत: वित्त लेखे 2015-16, एफआरबीएम दस्तावेज, बजट अभिलेख तथा 14वें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

तालिका 1.6: वर्ष 2011-16 के दौरान कर/करेतर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
स्वयं का कर राजस्व	10,712	13,034	14,343	15,707	17,075
वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.96	21.68	10.04	9.51	8.71
करेतर राजस्व	4,058	4,616	5,101	4,930	5,215
वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.81	13.74	10.51	(-)3.35	5.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

कर तथा करेतर राजस्व की वृद्धि की दर को नीचे चार्ट 1.12 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व, 14वें वित्त आयोग (₹ 20,872 करोड़), एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 20,086 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 20,086 करोड़) से कम था। बजट अनुमान के विरुद्ध कम उपलब्धि का मुख्य कारण मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहन पर कर, भू—राजस्व एवं विद्युत शुल्क पर कर का कम संग्रहण था।

इन मर्दों के अंतर्गत बजट अनुमान के विरुद्ध वास्तविक संचयन क्रमशः 12.21 प्रतिशत, 19.00 प्रतिशत, 27.85 प्रतिशत, 4.03 प्रतिशत, 26.76 प्रतिशत एवं 1.94 प्रतिशत कम था (परिशिष्ट 1.5)।

इसी तरह, राज्य का करेतर राजस्व बजट अनुमान एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण से ₹ 3,448 करोड़ (39.80 प्रतिशत) तथा 14वें वित्त आयोग के औंकलन से ₹ 109 करोड़ (2.05 प्रतिशत) कम था।

### 1.3.1.1 कर राजस्व


विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है एवं कर राजस्व का प्रतिशत संरचना चार्ट 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व का घटक

स्वयं के कर राजस्व घटक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2014–15 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,006	6,929	7,930	8,429	<b>8,908</b>	5.68
राज्य आबकारी	1,597	2,486	2,549	2,892	<b>3,338</b>	15.42
वाहन पर कर	502	592	651	703	<b>829</b>	17.92
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	846	952	990	1,023	<b>1,185</b>	15.84
भू—राजस्व	271	234	226	332	<b>364</b>	9.64
माल एवं यात्रियों पर कर	826	954	945	982	<b>1,040</b>	5.91
अन्य कर <sup>6</sup>	664	887	1,052	1,346	<b>1,411</b>	4.83
<b>योग</b>	<b>10,712</b>	<b>13,034</b>	<b>14,343</b>	<b>15,707</b>	<b>17,075</b>	<b>8.71</b>
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.96	21.68	10.04	9.51	<b>8.71</b>	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>6</sup> अन्य कर—होटल प्राप्तियाँ, आय एवं व्यय पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सेवाओं एवं सामग्रियों पर कर एवं शुल्क।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल कर राजस्व में 52 प्रतिशत भागीदारी बिक्री, व्यापार आदि पर कर का एवं 20 प्रतिशत भागीदारी राज्य आबकारी था और अन्य सभी करों का सम्मिलित योगदान 28 प्रतिशत था। राज्य का कर राजस्व वर्ष 2011–12 में ₹ 10,712 करोड़ से ₹ 6,363 करोड़ (59.40 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 17,075 करोड़ हो गया। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व की भागीदारी वर्ष 2014–15 में 41 प्रतिशत से कम होकर 2015–16 में 37 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2011–12 के दौरान कर राजस्व का वृद्धि दर 18.96 प्रतिशत था तथा उसके बाद वर्ष 2012–13 में 21.68 प्रतिशत से लगातार कमी होकर 2015–16 में 8.71 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष (₹ 15,707 करोड़) की तुलना में 2015–16 (₹ 17,075 करोड़) के दौरान कर राजस्व में ₹ 1,368 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 479 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 446 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 126 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 60 करोड़) एवं भू-राजस्व (₹ 32 करोड़) प्राप्ति में वृद्धि था।

### 1.3.1.2 करेतर राजस्व


अवधि 2011–16 के दौरान करेतर राजस्व प्राप्तियों के घटकों का विस्तृत विवरण तालिका 1.8 में दर्शाया गया है तथा करेतर राजस्व में इन घटकों की प्रवृत्ति एवं करेतर राजस्व की प्रवृत्ति को क्रमशः चार्ट 1.14 एवं चार्ट 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: करेतर राजस्व की संरचना


राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
व्याज प्राप्तियाँ	216.57	243.13	380.90	171.89	108.23	(-)37.04
लाभांश एवं लाभ	0.46	2.19	14.21	0.86	5.73	566.28
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	3,841.45	4,370.63	4,706.06	4,757.16	5,100.83	7.22
<b>कुल करेतर राजस्व</b>	<b>4,058.48</b>	<b>4,615.95</b>	<b>5,101.17</b>	<b>4,929.91</b>	<b>5,214.79</b>	<b>5.78</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे) लाभांश एवं लाभ की राशि बहुत कम होने के कारण नहीं दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल करेतर राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 4,058 करोड़ से ₹ 1,157 करोड़ (28.51 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 5,215 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष से 2015–16 के दौरान, करेतर राजस्व में 5.78 प्रतिशत (₹ 285 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों में ₹ 137 करोड़, वृहत सिंचाई से प्राप्तियों में ₹ 91 करोड़, वन एवं वन्य प्राणी से प्राप्तियों में ₹ 61 करोड़ की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों में करेतर राजस्व की भागीदारी वर्ष 2014–15 में 13 प्रतिशत के विरुद्ध 2015–16 में 11 प्रतिशत था।

वर्ष 2015–16 के दौरान रोकड शेष निवेश में कमी के कारण व्याज में कमी के कारण व्याज प्राप्तियाँ 2014–15 में ₹ 172 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 108 करोड़ हो गया। अवधि 2011–16 के दौरान लाभांश एवं लाभ में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो ₹ 0.46 करोड़

से ₹ 14.21 करोड़ के मध्य रहा। यद्यपि, अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियाँ 2011–12 में ₹ 3,841 करोड़ से ₹ 1,260 करोड़ (32.80 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 के दौरान ₹ 5,101 करोड़ हो गया।

कुल करेतर राजस्व (₹ 5,215 करोड़) में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 3,710 करोड़) का योगदान 71.14 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की तुलना में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों का करेतर राजस्व (₹ 137 करोड़) की वृद्धि 3.83 प्रतिशत थी।

### 1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण तथा संग्रहण पर किये गये व्यय तालिका 1.9 में दिये गये हैं।

**तालिका 1.9: करों एवं शुल्कों के संग्रहण का लागत**

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2011–12	6,006.25	40.63	0.68	0.75
	2012–13	6,928.65	37.42	0.54	0.83
	2013–14	8,894.01	41.40	0.47	0.73
	2014–15	8,428.61	48.55	0.58	0.88
	2015–16	8,908.36	50.81	0.57	0.91
वाहन पर कर	2011–12	502.19	10.00	1.99	3.71
	2012–13	591.75	10.73	1.81	2.96
	2013–14	655.35	7.48	1.14	4.17
	2014–15	703.48	12.42	1.77	6.25
	2015–16	829.22	12.86	1.55	6.08
राज्य आबकारी	2011–12	1,596.97	52.06	3.26	3.05
	2012–13	2,485.68	46.63	1.88	2.98
	2013–14	2,578.19	53.22	2.06	2.96
	2014–15	2,892.45	59.74	2.07	1.81
	2015–16	3,338.40	58.79	1.76	2.09
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2011–12	845.82	20.75	2.45	1.60
	2012–13	951.65	17.27	1.81	1.89
	2013–14	989.35	13.87	1.40	3.25
	2014–15	1,023.33	27.00	2.64	3.37
	2015–16	1,185.22	25.14	2.12	3.59

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

तालिका 1.9 से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट, राज्य आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क पर कर तथा वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। वर्ष 2015–16 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट, वाहनों पर कर, राज्य आबकारी तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम था।

### 1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

आयोजनेतर, राज्य आयोजना, केन्द्र आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्ति तालिका 1.10 में दर्शायी गई है।

**तालिका 1.10: भारत सरकार से प्राप्त घटकवार सहायता अनुदान**


(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आयोजनेतर अनुदान	1,545.07	1,227.29	1,415.78	1,568.28	2,328.79
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,930.51	2,112.69	2,121.47	6,435.44	4,775.83
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	61.75	107.28	43.34	131.73	91.37
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	1,238.88	1,263.07	1,145.57	852.35	865.60
<b>योग</b>	<b>4,776.21</b>	<b>4,710.33</b>	<b>4,726.16</b>	<b>8,987.80</b>	<b>8,061.59</b>
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	7.24	(–)1.38	0.34	90.17	(–)10.31
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	18.46	15.93	14.75	23.66	17.50
<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>25,867</b>	<b>29,578</b>	<b>32,050</b>	<b>37,988</b>	<b>46,068</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 8,062 करोड़ रहा जो 2014–15 में ₹ 8,988 करोड़ (10.31 प्रतिशत) से कम था।
- भारत सरकार से आयोजनेतर अनुदान वर्ष 2014–15 में ₹ 1,568 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,329 करोड़ हो गया।
- राज्य आयोजना अनुदान वर्ष 2014–15 में ₹ 6,435 करोड़ से कम होकर वर्ष 2015–16 में ₹ 4,776 करोड़ हो गया जिसका कारण ब्लॉक अनुदान में तेजी से ₹ 3,455 करोड़ कमी थी। यद्यपि, अन्य अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 1,690 करोड़ की वृद्धि हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2015–16 में केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं में ₹ 40 करोड़ की कमी हुई तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान में ₹ 13 करोड़ की वृद्धि हुई।
- राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की भागीदारी वर्ष 2014–15 में 23.66 प्रतिशत के विरुद्ध 2015–16 में 17.50 प्रतिशत था।

वर्ष 2015–16 के दौरान सहायता अनुदान के संरचना को चार्ट 1.16 में दर्शाया गया है।




### 1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों यथा निगम कर, आय कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि में राज्य सरकार को हिस्सा हस्तांतरण करती है। इन केंद्रीय कर अंतरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दर्शायी गई है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान संरचना को चार्ट 1.17 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.11: केंद्रीय कर अंतरण की प्रवृत्ति**

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
निगम कर	2,487.79	2,592.61	2,650.20	2,920.41	<b>4,950.08</b>
निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर	1,263.69	1,552.15	1,745.08	2,085.45	<b>3,455.09</b>
धन पर कर	9.60	4.38	7.28	7.88	<b>0.92</b>
सीमा शुल्क	1,095.85	1,199.39	1,285.73	1,352.54	<b>2,504.03</b>
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	709.12	815.11	908.08	763.73	<b>2,069.99</b>
सेवा कर	754.39	1,053.96	1,283.85	1,232.95	<b>2,727.11</b>
अन्य कर	0.00	0.00	0.00	0.07	<b>9.25</b>
<b>योग</b>	<b>6,320.44</b>	<b>7,217.60</b>	<b>7,880.22</b>	<b>8,363.03</b>	<b>15,716.47</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



वर्ष 2015–16 के दौरान, केंद्रीय कर अंतरण वर्ष 2014–15 के ₹ 8,363 करोड़ के विरुद्ध ₹ 15,716 करोड़ हो गया। राज्य का केंद्रीय कर अंतरण पिछले वर्ष की तुलना में राज्य शासन को आबंटित निवल आय में वृद्धि के कारण ₹ 7,353 करोड़ (87.92 प्रतिशत) बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 2,030 करोड़), सेवा कर (₹ 1,494 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त अन्य करों पर कर (₹ 1,370 करोड़), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 1,306 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 1,151 करोड़) में वृद्धि के कारण था। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में धन पर कर में तेजी से ₹ 6.96 करोड़ (88.32 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 34 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण का मुख्य अवयव निगम कर (31.50 प्रतिशत) तथा न्यून अवयव धन पर कर (0.0059 प्रतिशत) था जैसा कि चार्ट 1.17 में दर्शाया गया है।

### 1.3.5 तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

राज्य सरकारों के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु, 13वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा की तथा 14वें वित्त आयोग ने राज्य को राजस्व घाटा, स्थानिय निकाय एवं संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए अनुदानों की अनुशंसा की। वित्त लेखे 2015–16 के विवरण क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य शासन ने वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹ 968.30 करोड़ (₹ 718.57 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–104–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत–वित्त आयोग अनुदान तथा ₹ 249.73 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–109–राज्य आपदा उन्मोचन निधि में योगदान हेतु अनुदान) प्राप्त किया।

वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की अनुदान की उपयोगिता की स्थिति तालिका 1.12 में दर्शायी गई है।

**तालिका 1.12: वर्ष 2015–16 में 13वें एवं 14वें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता**

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष एवं नामावली	कुल बजट प्रावधान	स्थिति				अनुपयोगी राशि का प्रतिशत
		समर्पण	व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	कुल अनुपयोगी राशि	
1	2	3	4	5	6=3+5	7
<b>चौदहवें वित्त आयोग</b>						
राजस्व लेखे						
2217—शहरी विकास	152.39	-76.19	144.76	68.56	-7.63	5.01
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	566.18	0.00	566.18	0.00	0.00	0.00
<b>कुल योग</b>	<b>718.57</b>	<b>-76.19</b>	<b>710.94</b>	<b>68.56</b>	<b>-7.63</b>	
<b>तेरहवें वित्त आयोग</b>						
राजस्व लेखे						
2055—पुलिस	0.23	-0.14	0.00	-0.09	0.23	100
2205—कला एवं संस्कृति	7.25	-0.92	6.33	0.00	0.92	13
2217—शहरी विकास	0.00	-68.56	0.00	0.00	68.56	..
2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	25.00	-17.29	7.29	-0.42	17.71	71
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	254.99	0.00	254.49	-0.50	0.50	0.2
2810—नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0
<b>पूंजीगत लेखे</b>						
4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	-0.06	3.06	-0.88	0.94	24
4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0
<b>कुल योग</b>	<b>369.66</b>	<b>-86.97</b>	<b>349.36</b>	<b>-1.89</b>	<b>88.86</b>	

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के विस्तृत विनियोग लेखे)

**तालिका 1.12** से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल ₹ 718.57 करोड़ के प्रावधान में राशि ₹ 710.94 करोड़ जो कुल राशि का 98.94 प्रतिशत था, का उपयोग हुआ।
- यद्यपि 13वें वित्त आयोग का निर्धारित अवधि 2010–15 था, राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान भी विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग के अनुदान को उपयोग किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के ₹ 369.66 करोड़ के प्रावधान में राशि ₹ 349.36 करोड़ जो कुल राशि का 94.51 प्रतिशत था, का उपयोग हुआ और ₹ 88.86 करोड़ या तो समर्पित किया गया या शासन के खाते में व्यपगत हुआ।

## 1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ


पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं लोक ऋण प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं प्रवृत्ति तालिका 1.13 तथा परिशिष्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

शासन के प्राप्तियों का स्रोत	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
पूंजीगत प्राप्तियाँ	1,710.01	3,603.66	5,581.94	6,638.47	7,550.90
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	3.93	2.39	7.64	3.03	2.84
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	1,282.53	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2.21	1.53	5.14	0.91	0.52
<b>कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>1,288.67</b>	<b>1,545.93</b>	<b>1,650.05</b>	<b>198.80</b>	<b>299.75</b>
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	127.53	19.96	6.74	(-)87.95	50.78
आंतरिक ऋण	364.60	2,041.03	3,917.30	6,430.98	7,105.87
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	56.74	16.70	14.59	8.67	145.28
<b>लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>421.34</b>	<b>2,057.73</b>	<b>3,931.89</b>	<b>6,439.67</b>	<b>7,251.15</b>
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	(-)47.01	388.38	91.08	63.78	12.60
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	20.90	13.21	13.21	13.58	6.40
पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.59	110.74	54.90	18.93	13.74

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अवधि 2011–16 के दौरान राज्य के पूंजीगत प्राप्ति के घटकों की वृद्धि की प्रवृत्ति को चार्ट 1.18 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.13 से यह स्पष्ट है कि, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में ₹ 1,710 करोड़ से ₹ 5,841 करोड़ बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 7,551 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2015–16 में पूंजीगत प्राप्तियाँ में ₹ 912 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 811 करोड़ की वृद्धि था तथा गैर ऋण प्राप्तियों में ₹ 101 करोड़ की वृद्धि था। आगे, बाजार ऋण में वर्ष 2014–15 में ₹ 4,200 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 4,850 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हुई। आगे, लोक ऋण प्राप्तियों में प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र का योगदान ₹ 870 करोड़ का था।

इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर के चार्ट से प्रतीत होता है, पूंजीगत प्राप्ति में लोक ऋण प्राप्ति में अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 421 करोड़ से ₹ 7,251 करोड़ की तीव्र वृद्धि देखी गयी जबकि इसी अवधि में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में कमी देखी गयी जो इस बात का द्योतक है कि घाटे को पाटने के लिए बाजार ऋण पर निर्भरता बढ़ गयी।

### 1.4.1 ऋण एवं अग्रिम की वसूली

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2011–12 में ₹ 1,282.53 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 1,637.27 करोड़ हो गया तथा 2014–16 में घटकर ₹ 194.86 करोड़ हो गया तथा दुबारा 2015–16 में बढ़कर ₹ 296.39 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान ऋण की वसूली मुख्यतः राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (₹ 17,1.98 करोड़) तथा जलापूर्ति एवं सफाई हेतु स्थानीय निकाय को प्रदत्त ऋण इत्यादि (₹ 79.62 करोड़) से हुई।


### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

राज्य अपने संसाधनों की कमी तथा पूँजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आंतरिक बाजार से निधि की व्यवस्था करता है। आंतरिक ऋण वर्ष 2011–12 में ₹ 365 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 7,106 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में आंतरिक ऋण में ₹ 675 करोड़ (10.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान, आंतरिक ऋण में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 4,850 करोड़), प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र (₹ 870 करोड़), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिया गया ऋण (₹ 674 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (₹ 712 करोड़) था। इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से कोई अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
बाजार ऋण	0.00	1,500.00	3,000.00	4,200.00	4,850.00
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	..	0.00	0.00	870.12
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	152.63	288.80	674.62	796.13	673.52
केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	211.97	252.23	242.68	658.81	712.23
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	776.04	0.00
<b>कुल योग</b>	<b>364.60</b>	<b>2,041.03</b>	<b>3,917.30</b>	<b>6,430.98</b>	<b>7,105.87</b>

चार्ट 1.19 में वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटकों को दर्शाया गया है।



### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2011–15 की अवधि में निरंतर कमी आई, जो वर्ष 2011–12 में ₹ 57 करोड़ से 2014–15 में ₹ नौ करोड़ हो गया 2015–16 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 145 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 में, राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ₹ 145 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम प्राप्त किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान

केंद्रीय आयोजनागत योजना तथा केंद्रीय प्रवर्तित योजना के लिए कोई भी नया ऋण प्राप्त नहीं किया गया था।

### 1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन-देन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जिनका उल्लेख राज्य की संचित निधि में नहीं होता है, की प्राप्तियों एवं संवितरणों को, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं है। इस मामले में शासन एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष राशि शासन के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं इसके घटक तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.15: शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
<b>शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ<sup>7</sup></b>					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	307.76	293.47	265.40	443.83	514.30
आरक्षित निधियाँ	208.75	530.88	402.11	363.09	589.93
उचंत तथा विविध	22.40	(−)28.58	44.93	(−)78.64	35.70
प्रेषण	96.10	(−)64.17	(−)98.03	193.53	(−)11.93
जमा तथा अग्रिम	585.95	521.18	1,818.98	466.62	(−)69.54
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट अन्त शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल लोक लेखा प्राप्तियाँ (शुद्ध)</b>	<b>1,220.96</b>	<b>1,052.78</b>	<b>2,433.39</b>	<b>1,388.43</b>	<b>1,058.46</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अवधि 2011–16 के दौरान वर्ष निधियों की शुद्ध उपलब्धता की प्रवृत्तियाँ को चार्ट 1.20 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ (लोलेप्रा) (कुल लोलेप्रा में से कुल लोक लेखा संवितरणों को घटाने के बाद) अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाया जो

<sup>7</sup> शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ = लोक लेखा प्राप्तियाँ – लोक लेखा भुगतान। उचंत एवं विविध तथा आरक्षित निधि के आंकड़े निवेश के आंकड़े को छोड़कर दर्शाया गया है।

₹ 1,053 करोड़ एवं ₹ 2,433 करोड़ के मध्य रहा। शुद्ध लोलेप्रा वर्ष 2012–13 में ₹ 1,053 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 2,433 करोड़ हो गया इसके बाद वर्ष 2014–15 में घटकर ₹ 1,388 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में घटकर ₹ 1,058 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान शुद्ध लोलेप्रा में कमी का मुख्य कारण जमा तथा अग्रिम, उचंत आरक्षित निधि में कमी था। यद्यपि, लघु बचत, भविष्य निधि एवं प्रेषण में शुद्ध लोलेप्रा में वृद्धि हुआ।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग

चूंकि राज्य शासन को प्रमुख व्यय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है अतः उनके स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के ढांचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण के माध्यम से लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाइयाँ हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर, जारी राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय लागत पर लागू न किया जाए।

### 1.6.1 व्यय की संरचना तथा वृद्धि



वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना तालिका 1.16 में दिया गया है। विगत पाँच वर्षों (2011–16) की अवधि में कुल व्यय<sup>8</sup> की प्रवृत्तियाँ एवं “आर्थिक वर्गीकरण” एवं “गतिविधियों के अनुसार व्यय” दोनों के संदर्भ में इसकी संरचना क्रमशः चार्ट 1.21 एवं चार्ट 1.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: कुल व्यय तथा इसकी संरचना

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	27,957	33,779	38,757	46,195	51,811
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.21	20.82	14.74	19.19	12.16
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	22,628 (81)	26,972 (80)	32,859 (85)	39,561 (85.64)	43,701 (84.35)
जिसमें आयोजना राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	10004	12440	13749	20990	20529
जिसमें आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	12,624	14,532	19,110	18,571	23,172
पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	4,056 (14)	4,919 (15)	4,574 (12)	6,544 (14.17)	7,945 (15.33)
ऋण एवं अग्रिम*(₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	1,273 (05)	1,888 (05)	1,324 (03)	90 (0.19)	165 (0.32)
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 <sup>पी</sup>	2,36,318 <sup>क्यू</sup>	2,51,447 <sup>ए</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	12.30	16.49	14.28	6.40

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे), ए—अग्रिम अनुमान, क्यू—त्वरित अनुमान, पी—अस्थायी अनुमान

\*अंतर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है।



तालिका 1.16 से यह देखा जा सकता है कि:

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम समिलित है, वर्ष 2011-12 के ₹ 27,957 करोड़ से (₹ 23,854 करोड़, 85 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 51,811 करोड़ हो गया।
- पिछले वर्ष कि तुलना में 2015-16 में ₹ 5,616 करोड़ के वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 4,140 करोड़ (10.46 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 1,401 करोड़ (21.42 प्रतिशत) अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम में ₹ 75 करोड़ (83.76 प्रतिशत) की वृद्धि थी।
- अवधि 2011-16 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो 12.16 प्रतिशत और 22.21 प्रतिशत के मध्य था। कुल व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2014-15 में 19.19 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 12.16 प्रतिशत की कमी हुई।
- वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 20.61 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय में, राजस्व व्यय का योगदान 84.35 प्रतिशत रहा।

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

जबकि पूंजीगत व्यय का योगदान 15.33 प्रतिशत रहा। कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम वितरण का योगदान सिर्फ 0.32 प्रतिशत रहा।

- वर्ष 2014–15 में 40 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2015–16 में कुल व्यय में आयोजनेतर राजस्व व्यय 45 प्रतिशत था। जबकि आयोजना राजस्व व्यय वर्ष 2014–15 में 45 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 में कुल व्यय का 40 प्रतिशत था।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य की बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2011–16 के दौरान 80 से 86 प्रतिशत के मध्य रहा। 2015–16 के दौरान, राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.38 प्रतिशत रहा। 2015–16 के दौरान, राजस्व व्यय ₹ 43,701 करोड़ था जिसमें ₹ 23,172 करोड़ (53 प्रतिशत) आयोजनेतर घटक तथा ₹ 20,529 करोड़ (47 प्रतिशत) आयोजना घटक था।


#### 1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 25,500 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 20,529 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के 53 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजना राजस्व व्यय का अंश 47 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय में 2014–15 की तुलना में 2.20 प्रतिशत (₹ 461 करोड़) की कमी हुई।

#### 1.6.2.2 आयोजनेतर राजस्व व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान, ₹ 25,500 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 23,172 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के 47 प्रतिशत की तुलना में 2015–16 के दौरान कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय का अंश 53 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान, आयोजनेतर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,601 करोड़ (24.78 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

अवधि 2011–16 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय की तुलनात्मक प्रवृत्तियाँ को चार्ट 1.23 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.6.3 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं सब्सिडी पर व्यय

राज्य शासन के राजस्व खाते में व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित हैं, तालिका 1.17 एवं चार्ट 1.24 वर्ष 2011–16 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

**तालिका 1.14:** वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें	7,382.61 (28.54)	7,686.52 (25.99)	9,137.19 (28.51)	10,003.33 (26.33)	11,646.80	10,864.52 (23.58)
आयोजनेतर शीर्ष	4,893.18	5,018.01	6,267.88	6,973.60	लागू नहीं*	7,609.13
आयोजना शीर्ष**	2,489.43	2,668.51	2,869.31	3,029.73	लागू नहीं	3,255.39
सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान	897.27 (3.47)	1,280.34 (4.33)	1,749.32 (5.46)	2,009.90 (5.29)	लागू नहीं***	2,305.36 (5.00)
ब्याज भुगतान	1,193.20 (4.61)	1,153.49 (3.90)	1,350.53 (4.21)	1,726.62 (4.55)	2,081.30	2,148.91 (4.66)
पेंशन पर व्यय	1,877.87 (7.26)	2,412.14 (8.16)	2,751.87 (8.59)	3,249.52 (8.55)	3,780.64	3,518.73 (7.64)
सब्सिडी	1,870.93 (7.23)	1,790.83 (6.05)	3,155.53 (9.85)	3,746.58 (9.86)	9,425.85	7,397.12 (16.06)
<b>कुल व्यय</b>	<b>13,221.88 (51.11)</b>	<b>14,323.32 (48.46)</b>	<b>18,144.44 (56.61)</b>	<b>20,735.95 (54.59)</b>		<b>26,234.64 (56.95)</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


कोष्टक में प्रदर्शित आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

\* बजट प्राककलन में आँकड़े अलग—अलग उपलब्ध नहीं हैं।

\*\* शीर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भुगतान किये गये वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित हैं।

\*\*\*बजट अनुमान में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**चार्ट 1.24:** अवधि 2011–16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सब्सिडी पर कुल व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 20,736 करोड़ से ₹ 5,499 करोड़ बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 26,235 करोड़ हो गया तथा यह राजस्व व्यय (₹ 43,701 करोड़) का 60 प्रतिशत एवं

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 46,068 करोड़) का 57 प्रतिशत था। घटकवार विश्लेषण अनुवर्ती कंडिका में दिया गया है:

### वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

- चालू वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2014–15 में ₹ 10,003 करोड़ से ₹ 862 करोड़ बढ़कर 2015–16 में ₹ 10,865 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान<sup>9</sup> के माध्यम से वेतन भुगतान 2014–15 में ₹ 2,010 करोड़ से ₹ 295 करोड़ बढ़कर 2015–16 में ₹ 2,305 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन व मजदूरी पर व्यय राज्य शासन द्वारा बजट अनुमान (₹ 11,647 करोड़) में किये गये आकलन से 6.71 प्रतिशत (₹ 782 करोड़) कम था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय एफआरबीएम अधिनियम में बनाए गये प्रावधान (₹ 8,132 करोड़) से 33.61 प्रतिशत (₹ 2,733 करोड़) अधिक था।

### पेंशन पर व्यय

- पेंशन पर व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 3,250 करोड़ से 8.28 प्रतिशत (₹ 269 करोड़) बढ़कर 2015–16 में ₹ 3,519 करोड़ हो गया।
- पेंशन पर व्यय (₹ 3,519 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹ 43,701 करोड़) का 8.05 प्रतिशत एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 23,172 करोड़) का 15.19 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 46,068 करोड़) का 7.64 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015–16 के लिए पेंशन भुगतान पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 3,780.64 करोड़) में बनाये गए प्रावधान से 6.93 प्रतिशत (₹ 262 करोड़) कम था।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा बनाये गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 2015–16 के अंत तक पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 2,756 करोड़ होना था। यद्यपि, वर्ष 2015–16 के दौरान पेंशन पर वास्तविक व्यय ₹ 3,519 करोड़ था जो 14वें वित्त आयोग के मानदण्ड से ₹ 763 करोड़ ज्यादा था।

### ब्याज भुगतान

- ब्याज भुगतान जिसमें आंतरिक ऋण पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि भारत सरकार से लिया गया ऋण तथा अन्य देयतायें शामिल हैं, वर्ष 2014–15 में ₹ 1,726.62 करोड़ से 24.46 प्रतिशत (₹ 422.29 करोड़) बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,148.91 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2015–16 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 2,149 करोड़), 14वें वित्त आयोग (₹ 2,030 करोड़) द्वारा बनाये गए प्रावधान एवं राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान तथा एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 2,081 करोड़) में किए गए मूल्यांकन से ज्यादा था। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 4.92 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.66 प्रतिशत था।

### सब्सिडी पर व्यय

- वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹ 7,397.12 करोड़ का भुगतान किया।

---

<sup>9</sup> शिक्षा, खेलकृद, कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

- वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा दिए गये सब्सिडी का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: वर्ष 2011–16 के दौरान शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)


शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	950.51	722.30	1,754.23	9.34	10.21*
कृषि	46.36	75.45	300.45	322.40	243.92
मत्स्य पालन	0.60	1.30	1.36	1.44	1.75
वानिकी एवं अन्य जीव	8.10	15.05	15.03	19.60	16.28
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	383.67	395.24	463.71	2,328.16	5,319.71
सहकारिता	95.32	103.14	111.85	87.23	9.34
लघु सिंचाई	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
ऊर्जा	321.10	426.13	443.76	915.00	1,708.35
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	52.52	44.27	41.61	33.55	37.52
उद्योग	1.87	7.95	20.41	29.20	49.30
प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.39	0.66	0.74
ग्रामीण विकास	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>1,870.93</b>	<b>1,790.83</b>	<b>3,155.53</b>	<b>3,746.58</b>	<b>7,397.12</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

\*श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण हेतु ₹ 0.37 करोड़ सम्मिलित।

- तालिका 1.18 से यह स्पष्ट है कि सब्सिडी पर व्यय 2014–15 में ₹ 3,747 करोड़ से ₹ 3,650 करोड़ (97.41 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 7,397 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान सब्सिडी पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 16.06 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 16.93 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान सब्सिडी भुगतान के मुख्य घटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 5,319.71 करोड़, 71.92 प्रतिशत), ऊर्जा (₹ 1,708.35 करोड़, 23.09 प्रतिशत), फसल कृषि-कर्म (₹ 243.92 करोड़, 3.30 प्रतिशत) थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सब्सिडी में त्वरित बढ़ोतरी का मुख्य कारण राज्य सहकारी विपणन संघ को धान उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व वर्ष (₹ 200 करोड़) के तुलना में (₹ 1,750 करोड़) 775.00 प्रतिशत दिया जाना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्व सहायता योजना में पूर्व वर्ष (₹ 1,800 करोड़) के तुलना में (₹ 3,464 करोड़) 48.04 प्रतिशत दिया जाना।

अवधि 2011–16 के दौरान के कुछ मुख्य सब्सिडीयों के प्रवृत्ति को चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है।



## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- कुछ सब्सिडी निःशुल्क सेवा पर सहायता अनुदान (वस्तु के रूप में) के रूप में दिया गया जिन्हे वर्ष 2015–16 में भी जारी रखा गया जो तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.19:** वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये निःशुल्क सेवा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजना का नाम	कुल
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	53.73
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	57.31
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क किताब एवं लेखा सामग्री प्रदाय	0.64
कृषि	कृषक: को पॉच हॉर्स पावर पम्प के लिए विद्युत प्रदाय	1,032.10
संचार	छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट का प्रदाय	56.28
	योग	1,200.06

(स्रोत: वित्त लेखे 2015–16 का विवरण संख्या 10)


**तालिका 1.19** से यह स्पष्ट है कि शासन में वर्ष 2014–15 में ₹ 406.59 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 1,200.06 करोड़ का व्यय निःशुल्क किताब तथा लेखा सामग्री, सायकल, लैपटॉप तथा टैबलेट, कृषि-संबंधी पम्प के लिए विद्युत प्रदाय करने के लिए लक्षित हितग्राहियों का प्रदाय किया गया।

### 1.6.4 पूँजीगत व्यय

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान, पूँजीगत व्यय में 21.40 प्रतिशत (₹ 1,401 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत परिवहन पर ₹ 478 करोड़, ग्रामीण विकास योजना पर ₹ 264 करोड़, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर ₹ 236 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर ₹ 198 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।
- पूँजीगत व्यय, अन्तर्राज्यीय समायोजन सहित ऋण तथा अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 15.33 प्रतिशत तथा 0.32 प्रतिशत था।

### 1.6.5 गतिविधियों के दृष्टिकोण से व्यय की प्रवृत्ति

गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुल व्यय में सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर किया गया व्यय सम्मिलित किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक हिस्सेदारी में होने वाली अंतर विविधताओं को चार्ट 1.26 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- सामान्य सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 20.15 प्रतिशत से अल्प रूप से बढ़कर 2015–16 में 20.79 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 36.74 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 35.02 प्रतिशत हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं के संबंध में यह उसी अवधि के दौरान 40.99 प्रतिशत से बढ़कर 42.36 प्रतिशत हो गया।
- सहायक अनुदान पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 2.12 प्रतिशत से अल्प रूप से कम होकर 2015–16 में 1.74 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण एवं अग्रिम उसी अवधि के दौरान 0.19 प्रतिशत से बढ़कर 0.32 प्रतिशत हो गया।

### 1.6.6 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 1.20 में दर्शायी गई है।

**तालिका 1.20: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता**

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
शैक्षणिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	163.07	223.27	242.42	261.87	273.80
विद्युत / ऊर्जा	149.56	672.81	254.67	458.00	1,213.06
कृषि	56.50	71.00	77.39	82.50	89.04
स्थानीय नगरीय निकाय	1,268.53	2,055.21	2,002.56	1,919.54	1,785.97
पंचायती राज संस्थायें	2,811.71	3,897.95	4,954.99	7,797.54	6,246.71
अन्य संस्थायें	158.21	123.61	118.70	53.86	69.60
<b>योग</b>	<b>4,607.58</b>	<b>7,043.85</b>	<b>7,650.73</b>	<b>10,573.31</b>	<b>9,678.18</b>
राजस्व व्यय	22,628	26,972	32,859	39,561	43,701
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	20.36	26.12	23.28	26.73	22.15

(ज्ञोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.20 से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं<sup>10</sup> को वित्तीय सहायता 2011–12 में ₹ 4,608 करोड़ से अनवरत रूप से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 9,678 करोड़ हो गई। यद्यपि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में ₹ 895 करोड़ (8.46 प्रतिशत) की कमी हुई, जो वर्ष 2014–15 में ₹ 10,573 करोड़ की तुलना में 2015–16 में ₹ 9,678 करोड़ हो गई। वर्ष 2015–16 में विद्युत / ऊर्जा पर वित्तीय सहायता में ₹ 755 करोड़ (165 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान, शासन द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं (64.54 प्रतिशत) एवं स्थानीय नगरीय निकायों (18.45 प्रतिशत) तथा विद्युत / ऊर्जा (12.53 प्रतिशत) को दिया गया था।

### 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्य रूप से उनके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पक्ष शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् जन सेवा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा इसकी प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम के संबंधों का आंकलन)।

<sup>10</sup>

शिक्षा संस्थाओं, ऊर्जा / कृषि, सहकारिता, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।


### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित उत्तरदायित्व जिसे राज्य शासन को सौंपा गया है मुख्यतः राज्य के विषय है। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करें। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय के सापेक्ष अनुदान) दी जाती है, यदि यह संबंधित सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से कम है।

वर्ष 2012–13 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2015–16 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.21 में की गई है। दो वर्षों में राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये प्राथमिकता को चार्ट 1.27 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.21: वर्ष 2012–13 एवं 2015–16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ई/जीएसडीपी	डीई# /ई	एसएसई/ई	सीई/ई	शिक्षा/ई	स्वास्थ्य/ई	(प्रतिशत में)
<b>औसत (अनुपात) 2012–13</b>							
सामान्य श्रेणी राज्य	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72	
छत्तीसगढ़	19.03	77.40	37.69	20.15	16.76	3.83	
<b>औसत (अनुपात) 2015–16</b>							
सामान्य श्रेणी राज्य	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45	
छत्तीसगढ़	20.61	77.47	35.11	15.65	18.96	5.23	
ई: कुल व्यय, डीई—विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय							
#विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम समिलित है।							



तालिका 1.21 से यह स्पष्ट है कि:

- छत्तीसगढ़ शासन ने सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत की तुलना में वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 में कुल व्यय के रूप में अपने सकल घरेलू उत्पाद का अनुपातिक रूप से अधिक खर्च किया।
- वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय के साथ साथ पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।

● वर्ष 2012–13 एवं 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था। वर्ष 2012–13 की तुलना में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वर्ष 2015–16 में घट गया।

● वर्ष 2012–13 में राज्य ने सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र एवं शिक्षा के क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी है परंतु वर्ष 2015–16 में ज्यादा प्राथमिकता दी है। वर्ष 2012–13 की तुलना में कुल व्यय के अनुपात में इन क्षेत्रों का व्यय वर्ष 2015–16 में बढ़ गया।

### 1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्ता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए समुचित उपाय करें एवं अति आवश्यक लोक एवं महत्व की वस्तुओं<sup>11</sup> के लिए प्रावधान पर बल दें। विकास व्यय<sup>12</sup> के आवंटन में सुधार के अतिरिक्त विशेषकर अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग में कुशलता, कुल व्यय और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से पूंजीगत व्यय के अनुपात परिलक्षित होता है एवं राजस्व पर व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जा रहा है। कुल व्यय से इन घटकों का जितना उच्च अनुपात होगा, उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी।

**तालिका 1.22** विगत वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.22: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
विकास राजस्व व्यय	16,037 (57)	19,468 (58)	24,038 (62)	29,541 (64)	32,392 (63)
विकास पूंजीगत व्यय	4,014 (15)	4,794 (14)	4,392 (11)	6,287 (14)	7,582 (15)
विकास ऋण एवं अग्रिम	1,259 (05)	1,882 (06)	1,309 (03)	78 (0.17)	164 (03)
<b>कुल विकास व्यय</b>	<b>21,310 (76)</b>	<b>26,144 (77)</b>	<b>29,739 (77)</b>	<b>35,906 (78)</b>	<b>40,138 (77)</b>
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	27,957	33,779	38,757	46,195	51,811

कोष्टक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

(स्रोत: वित्त लेखे)

<sup>11</sup> मुख्य जन सामग्री सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हों, इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपयोग से अन्य किसी व्यक्ति के उपयोग में कोई कमी नहीं आती है उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सङ्कर अधीसंरचना इत्यादि। उच्च गुणवत्ता सामग्री ऐसी उपयोग की वस्तुएं हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्भालते एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबों के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं रुग्णता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

<sup>12</sup> व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे, पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सामान्य सेवाएं की श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जाता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय को प्रदर्शित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में लिया जाता है।

- तालिका 1.22 से यह देखा जा सकता है कि विकास व्यय जिसमें सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2011–12 में ₹ 21,310 करोड़ से बढ़कर ₹ 18,828 (88.35 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 40,138 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में स्थिरता देखी गई जो 76 प्रतिशत एवं 78 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2015–16 के दौरान विकास व्यय, कुल व्यय का 77 प्रतिशत था जबकि गैर विकास व्यय 23 प्रतिशत था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान कुल विकास व्यय में ₹ 4,232 करोड़ (11.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण विकास राजस्व व्यय में ₹ 2,851 करोड़ (9.65 प्रतिशत) तथा विकास पूँजीगत व्यय में ₹ 1,295 करोड़ (20.60 प्रतिशत) तथा विकास ऋण तथा अग्रिमों में ₹ 86 करोड़ (110.26 प्रतिशत) का वृद्धि था।

### 1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.23 पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक / आर्थिक अधोसंरचना	2014–15			2015–16			(प्रतिशत में)
	सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी	सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी	
<b>सामाजिक सेवाएं</b>							
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	3.38	0.79	34.06	3.40	0.48	40.82	
सामान्य शिक्षा	0.57	0.85	36.99	0.96	0.12	39.21	
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.51	0.63	50.83	0.56	0.70	50.09	
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.52	2.12	8.50	1.27	2.52	9.53	
<b>आर्थिक सेवाएं</b>							
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	10.23	4.06	13.95	11.15	2.38	12.73	
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.13	0.55	15.64	0.12	0.53	15.55	
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.33	9.18	52.77	3.35	10.12	51.00	

(स्रोत: वित्त लेखे)

टीई: संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सीई: संबंधित क्षेत्र में पूँजीगत व्यय;

तालिका 1.23 से यह स्पष्ट है कि:

- कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2014–15 में 3.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 3.40 प्रतिशत हो गया जिसका कारण सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 1559.87 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,807.01 करोड़ हो गया।
- जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 34.06 प्रतिशत से बढ़कर 40.82 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2015–16 के दौरान अनुरक्षण व्यय 0.79 प्रतिशत से घटकर 0.48 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में ₹ 4,726.64 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 5,775.67 करोड़ बढ़ने के कारण कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत

व्यय का हिस्सा वर्ष 2014–15 में 10.23 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 11.15 प्रतिशत हो गया।

- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन का हिस्सा 13.95 प्रतिशत से घटकर 12.73 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष के दौरान उसका अनुरक्षण व्यय क्रमशः 4.06 प्रतिशत से घटकर 2.38 प्रतिशत हो गया।

## 1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में राज्य से यह अपेक्षा है कि वह न केवल अपना राजकोषीय घाटे (एवं उधारियों) को न्यूनतम स्तर पर बनाये रखे अपितु पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार आर्थिक सहायता के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिए एवं वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यह खण्ड विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

परियोजनाओं की विभागवार जानकारी (जिसकी लागत ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक है) जो अपने निर्धारित समयावधि तक और 31 मार्च 2016 तक भी पूर्ण नहीं हुये थे, तालिका 1.24 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.24 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं			
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	प्राकक्लित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2016 को संचयी व्यय
लोक निर्माण	37	963.06	1,526.38	939.99
जल संसाधन	157	6,329.39	8,080.29	4,971.54
<b>योग</b>	<b>194</b>	<b>7,292.45</b>	<b>9,606.67</b>	<b>5,911.53</b>

(झोत: वित्त लेखे 2015–16)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभारित करता है। सभी 194 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 9,606.67 करोड़) को 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु उनके अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन कार्यों पर व्यय राशि ₹ 5,911.53 करोड़ अवरुद्ध हो गई। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2016 की स्थिति में, शासन ने 16 सरकारी कंपनियों (₹ 5,969.44 करोड़), 1462 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 162.37 करोड़), छ: सांविधिक निगमों (₹ 33.50 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 24.31 करोड़) तथा एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 2.60 करोड़) में ₹ 6,192.22 करोड़ निवेश किया (तालिका 1.25)। अवधि 2011–16 के


### वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

दौरान शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिफल के अंतर को चार्ट 1.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: निवेश पर प्रतिफल

निवेश / प्रतिफल / उधार की लागत	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में)	1,194.38	1,916.18	1,866.44	1,872.53	6,192.22
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.46	2.19	14.21	0.86	5.73
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.04	0.11	0.76	0.05	0.09
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.08	6.34	6.12	6.16	6.25
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.04	6.23	5.36	6.11	6.16

\*(वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)



वर्ष 2014–15 के ₹ 0.86 करोड़ (0.05 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2015–16 में इस निवेश पर औसत प्रतिफल ₹ 5.73 करोड़ (0.09 प्रतिशत) था। वर्ष 2015–16 के दौरान शासन ने अपने उधारियों पर 6.25 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया, जबकि राज्य के निवेश पर प्रतिफल केवल 0.09 प्रतिशत है। उधार ली गई निधि का लगातार निवेशित निधि में उपयोग करना, जिसका पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल न होता हो, असतत् वित्तीय स्थिति को पैदा करता है। शासन उच्च लागत के निधियों के निवेश के लिए समुचित औचित्य सुनिश्चित कर सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूति के आंकड़े राज्य के वित्त लेखे के साथ मिलना चाहिए। उस स्थिति में जब आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को समाशोधन करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.26: बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों की स्थिति

बकाया संबंध में	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार राशि	(₹ करोड़ में) अंतर
इक्विटी	5,969.83	8,255.08	2,255.25
ऋण	257.25	531.71	274.46
प्रत्याभूति	857.76	1,353.46	495.70

यह पाया गया कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अंतर पाया गया तथा इन अंतरों का समाशोधन 2004–05 से लंबित था। यद्यपि, वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के राशि में अंतरों को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया था, राज्य शासन द्वारा सुधार हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया था। शासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंतरों का समाशोधन हेतु समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए।

### 1.8.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियाँ का विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारंभिक शेष	1,535.64	1,517.88	1,864.72	1,545.99	1,395.41 <sup>13</sup>
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,268.74	1,888.79	1,318.53	88.32	164.73
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	1,282.53	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39
<b>अंतशेष</b>	<b>1,521.85</b>	<b>1,864.66</b>	<b>1,545.99</b>	<b>1,439.45</b>	<b>1,263.75</b>
ऐसे बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई हैं	1,094.48	1,864.66	1,544.99	1,438.45	1,263.75
निवल वृद्धि	(–)13.79	342.78	(–)318.74	(–)106.54	(–)131.66
ब्याज प्राप्तियाँ	62.79	8.27	274.43	47.30	47.02
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	4.11	0.44	17.75	3.29	3.54
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.08	6.34	6.12	6.16	6.25
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	(–)2.97	(–) 5.90	11.63	(–) 2.87	(–)2.71

(स्रोत: वित्त लेखे)

मार्च 2016 की समाप्ति पर शासन के ₹ 1,263.75 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम बकाया थे जिसमें से ₹ 1.71 करोड़, ₹ 774.35 करोड़ तथा ₹ 497.96 करोड़ के ऋण क्रमशः सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के थे। सरकारी कर्मचारियों से ₹ 10.27 करोड़ ऋण तथा अग्रिमों की वसूली कर बकाया ऋण तथा अग्रिमों का समायोजन किया गया। इन ऋणों तथा अग्रिमों से प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष 3.17 प्रतिशत (₹ 47.30 करोड़) के विरुद्ध वर्ष 2015–16 में 3.54 प्रतिशत (₹ 47.02 करोड़) था।

### 1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.28 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.28: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

(अ) सामान्य रोकड़ शेष	1 अप्रैल 2015 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम शेष
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	(–) 134.31	(–)577.94
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
<b>कुल (1+2+3)</b>	<b>(–) 134.31</b>	<b>(–)577.94</b>

<sup>13</sup> प्रोफार्मा समायोजन से ₹ 44.04 की कमी।

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	(-)1.26	1,856.17
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	(-)135.57	1,278.23
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	9.98	11.54
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशागी राशियों	0.33	0.32
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,343.64	1,543.63
<b>कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)</b>	<b>1,353.95</b>	<b>1,555.49</b>
<b>कुल (अ) तथा (ब)</b>	<b>1,218.38</b>	<b>2,833.72</b>

(झोत: वित्त लेखे 2015–16)

- वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर राज्य का रोकड़ शेष वर्ष 2014–15 के ₹ 1,218.38 करोड़ से ₹ 1,615.34 करोड़ (132.58 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,833.72 करोड़ हो गया।

- भारतीय रिजर्व बैंक से अनुबंध के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक में न्युनतम ₹ 0.72 करोड़ रोकड़ शेष रखना आवश्यक है। अगर किसी भी दिन यह राशि अनुबंधित निम्नतम राशि से कम होती है, तब कमी को समय–समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार ने कोई विशेष अथवा साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया था।

- राज्य शासन द्वारा आंतरायिकता अधिशेष रोकड़ शेष को शासकीय कोषालय देयकों के अल्प सावधि जमा तथा प्रत्याभूतियों में निवेश किया गया तथा वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 50.35 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया गया जो कि पिछले वर्ष (₹ 64.50 करोड़) की तुलना में ₹ 14.15 करोड़ कम था।

- मुख्य शीर्ष 8670–चेक तथा बिल के अंतर्गत अधिशेष राशि, 31 मार्च 2016 की स्थिती में, भुनाए नहीं गए चेकों के मूल्य को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2014–15 में बकाया राशि ₹ 45.33 करोड़ से ₹ 5.18 करोड़ घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 50.51 करोड़ हो गया।

### 1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

#### 1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2015 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2016 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को परिशिष्ट 1.4 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है।

कुल दायित्व, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 में परिभाषित किया गया है, वैसे दायित्व हैं जो राज्य के संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा निधि के अंतर्गत आते हैं। दायित्व के दो समूह हैं—लोक ऋण तथा अन्य दायित्व। लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण सम्मिलित है और जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि—पूंजीगत लेखा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।


इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, मुआवजा तथा अन्य ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय ऋण शामिल हैं। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारतीय प्रांत के अंदर अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा तक ऋण ले सकता है जैसा समय—समय पर विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई हो तथा

विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई सीमा के अंदर गारन्टी दे सकता है। लोक लेखे दायित्वों में अल्प बचत योजना के अंतर्गत जमा, भविष्य निधि इत्यादि, सुरक्षा निधि तथा अन्य जमा सम्मिलित हैं।

संचित निधि के अंतर्गत शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं।

### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.4 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना चार्ट 1.29 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वित्त लेखे)

यद्यपि राज्य के लोक लेखा दायित्वों में समग्र रूप से वृद्धि हुई, दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के 23.89 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2015–16 में 21.03 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में परिसम्पत्तियों का वृद्धि दर में वर्ष 2014–15 के 13.96 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2015–16 में 30.78 प्रतिशत हो गया।

विगत वर्ष की तुलना में जहाँ आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व के प्रतिशतता के रूप में 59 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया वहीं लोक लेखा दायित्व तथा भारत सरकार से प्राप्त बकाया ऋण तथा अग्रिम विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 35 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत तथा छः प्रतिशत से घटकर पाँच प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को तालिका 1.29 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय देयता—आधारभूत मानक

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आंतरिक ऋण	8,396	9,567	12,943	18,195	24,215
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,290	2,137	2,003	1,854	1,836
लोक लेखा देयता	6,417	7,564	9,958	10,932	11,766
कुल राजकोषीय देयताएं	17,103	19,268	24,904	30,981 <sup>14</sup>	37,817
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर	3.15	12.66	29.25	24.40	22.07

<sup>14</sup> वर्ष 2014–15 के आंकड़े वित्त लेखे में प्रारूप समायोजन एवं सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में बदलाव के कारण परिवर्तित हुए हैं।


### वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

(प्रतिशत में)					
राजकोषीय देयतायें/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	10.82	10.85	12.04	13.11	15.04
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	66.11	65.14	77.70	81.55	82.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 <sup>a</sup>	2,36,318 <sup>a,b</sup>	2,51,447 <sup>c</sup>
जनसंख्या (करोड़ में)	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75
प्रति व्यक्ति ऋण (₹ में)	6,707	7,411	9,398	11,549	13,752

(स्रोत: वित्त लेखे 2015–16)  
(ए=अग्रिम, ब्यू=तत्काल एवं पी=अस्थायी)

- राज्य का समग्र राजकोषीय देयता ₹ 20,714 करोड़ (121.11 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ वर्ष 2011–12 में ₹ 17,103 करोड़ से वर्ष 2015–16 में ₹ 37,817 करोड़ हो गया।
- राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के 24.40 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान 22.07 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2015–16 के समाप्ति पर राजकोषीय दायित्व, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 82.09 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान यह 81.55 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान, बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 15.04 प्रतिशत था जो एफआरबीएम प्रकटीकरण में दिये गये अनुमान (16.09 प्रतिशत) के अन्दर था।
- प्रति व्यक्ति ऋण प्रभावी वृद्धि के साथ लगभग दो गुणा हो गया तथा 105 प्रतिशत (₹ 7,045) की वृद्धि के साथ वर्ष 2011–12 में ₹ 6,707 से वर्ष 2015–16 में ₹ 13,752 हो गया।

**चार्ट 1.30** अवधि 2011–16 के दौरान प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



#### 1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लेखे (लोक लेखे) में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप में परिभाषित उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु आरक्षितों एवं आरक्षित निधियों का गठन किया गया है तथा इनकी पूँजी भारत/राज्य के समेकित निधि के अंशदान/अनुदान से पूरी की जाती है। वर्ष 2000–01 एवं 2015–16 के बीच कुछ विशेष उद्देश्यों हेतु 16 आरक्षित निधि चिह्नित किये गये थे जिसमें से 12 सक्रिय तथा चार असक्रिय थे। 31 मार्च 2016 के अंत तक इन निधियों में ₹ 3,579.11 करोड़ जमा हुए। 31 मार्च 2016 के अंत तक निधि में उपलब्ध ₹ 3,579.11 करोड़ निवल संचित शेष में से राज्य शासन ने ₹ 1,543.63 करोड़ (43.13 प्रतिशत) निवेश

किया था। निधियाँ, जो मुख्य शीर्ष 8229—विकास तथा कल्याण निधियों तथा 8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों में असंचालित रहे हैं, का विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है।

#### तालिका 1.30: असंचालित आरक्षित निधि का विवरण

आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष ( $\text{₹ करोड़ में}$ )	वर्ष जब से असंचालित है
<b>8229—विकास एवं कल्याण निधियाँ</b>		
कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निवेश खाता	0.06(क्रेडिट)	2000–01
वनरोपण क्षतिपूरक निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008–09
शिक्षा उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011–12
<b>8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि</b>		
अन्य निधियाँ	0.01 (क्रेडिट)	2000–01
<b>कुल योग</b>	<b>18.99(क्रेडिट)</b>	

इसके अतिरिक्त, आरक्षित निधि, ग्रामीण विकास निधि, जिसका गठन 2001–02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु किया गया था, का 31 मार्च 2016 की स्थिति में शेष ₹ 159.68 करोड़ था लेकिन इसके गठन के पश्चात् से अब तक इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

इन निधियों को यदि जारी रखना जरूरी न हो तो इनकी जाँच और बंद करने तथा शेष को समेकित निधि में प्रेषण करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

#### राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर, राज्य शासन ने वर्ष 2010–11 में एक राज्य आपदा राहत निधि का गठन किया। वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार के राज्य आपदा राहत निधि के अंशदान ₹ 249.73 करोड़ के विरुद्ध ₹ 212.47 करोड़ (₹ 159.35 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 53.12 करोड़ राज्यांश) निधि को स्थानांतरित किया गया था। केन्द्रांश ₹ 90.38 करोड़ एवं समरूप राज्यांश ₹ 30.12 करोड़ निधि में अस्थानांतरित रहे जिसके कारण ₹ 120.50 करोड़ के सीमा तक राजस्व अधिक्य में बढ़ाकर तथा राजकोषीय घाटे में घटाकर दर्शाया गया, साथ ही केंद्रीय निधि को राज्य के पास अनाधिकृत रूप से रोका गया। इसके साथ ही भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि का ₹ 522.31 करोड़ भी राज्य शासन द्वारा एस.डी.आर.एफ. में स्थानांतरित किये गये। 31 मार्च 2016 को निधि का शेष ₹ 447.10 करोड़ था।

#### निक्षेप निधि

शासन ने वर्ष 2006–07 के दौरान खुले/बाजार ऋण के लिए एक निक्षेप निधि का गठन किया। इस निधि का उपयोग परिशोधन के रूप में बकाया आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों के विमोचन के लिए वर्ष 2011–12 से किया जाना था। यद्यपि, वर्ष 2015–16 तक शासन द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2015–16 में निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में शेष ₹ 1,546.94 करोड़ था। वर्ष 2015–16 के दौरान, शासन ने ₹ 154.90 करोड़ के न्यूनतम अंशदान अर्थात् वर्ष 2014–15 के अंत तक बकाया दायित्वों (₹ 30,980.93 करोड़) का 0.5 प्रतिशत के विपरीत, ₹ 200 करोड़ का अंशदान दिया।

#### 1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति—आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूति राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक उत्तरदायित्व होती है जब उधारकर्ता जिसके विरुद्ध प्रत्याभूति दी गई है, के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।

राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत मार्च 2016 तक ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई थी जिससे शासन राज्य के समेकित निधि के प्रतिभूति पर प्रत्याभूति दे सके। यद्यपि राज्य के एफआरबीएम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि

### वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

राज्य शासन कम से कम शर्तों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत या जोखिम भारित के आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो, से ज्यादा एक वर्ष में प्रत्याभूति नहीं देगा।

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले तीन वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.31 में दिया गया है।


**तालिका 1.31: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति**


प्रत्याभूतियाँ	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	7,079.29	6,605.49	7,571.99	9,080.06	14,883.41
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,637.40	2,694.90	3,358.27	2,314.47	1,988.24
राजस्व प्राप्तियाँ	25,867.38	29,578.09	32,050.26	37,988.01	46,067.71
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम प्रत्याभूति राशि का प्रतिशतता	27.37	22.33	23.63	23.90	32.31

(ज्ञात: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्त लेखे में दर्ज विवरण संख्या 9 तथा 20 के अनुसार ₹ 1,988.24 करोड़ की प्रत्याभूति मार्च 2016 के अंत तक बकाया थी। इनमें से सहकारिता (₹ 1,000.15 करोड़), ऊर्जा (₹ 827.46 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 87.64 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 69.23 करोड़) तथा अन्य (₹ 3.76 करोड़) को प्रत्याभूति दी गई जो 31 मार्च 2016 तक बकाया थे। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 4.32 प्रतिशत था। नये प्रत्याभूतियां एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत थी।

पांच वर्ष की अवधि के दौरान जबकि प्रत्याभूति बकाया राशि में काफी कमी हुई, कुल राजस्व के सापेक्ष प्रत्याभूति में काफी बढ़ोत्तरी हुई जैसा कि चार्ट 1.31 एवं चार्ट 1.32 में दर्शाया गया है।





राज्य सरकार को प्रत्याभूति की आकस्मिक विमुक्ति के दायित्व के निर्वाह के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्यों को पूर्व निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क से एक प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना करनी चाहिए। तथापि, राज्य शासन के द्वारा उनके प्रत्याभूतियों का मूल्यांकन “मध्यम एवं निम्न जोखिम” मानते हुए प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष के दौरान किसी प्रत्याभूति को रद्द नहीं किया गया था।

वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 4.11 करोड़ की राशि प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूली की गई जो कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.20 करोड़ थी।


### 1.9.5 सरकार द्वारा लिए गए उधार का विश्लेषण

वर्ष 2015-16 के दौरान लोक ऋण का विवरण तथा इसके घटक को क्रमशः तालिका 1.32 तथा चार्ट 1.33 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.32: वर्ष 2015-16 के दौरान लोक ऋण का विवरण**

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	पुनर्मुग्तान	31 मार्च 2016 को अंतिम शेष	(₹ करोड़ में) निवल वृद्धि (+) कमी (-)
बाजार ऋण	9,887.69	4,850.00	183.25	14,554.44	4,666.75
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	96.73	870.12	48.32	918.53	821.80
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,033.41	673.52	147.60	2,559.33	525.92
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,793.17	712.23	323.14	6,182.26	389.09
भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम	383.80	0.00	383.80	0.00	(-)383.80
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,854.38	145.28	164.07	1,835.59	(-)18.79
<b>योग</b>	<b>20,049.18</b>	<b>7,251.15</b>	<b>1,250.18</b>	<b>26,050.15</b>	<b>6,000.97</b>

(स्रोत: वित्त लेखे 2015-16)



वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 7,251.15 करोड़ का उधार लिया गया तथा ₹ 1,250.18 करोड़ इसके पुनर्भुगतान के रूप में विमुक्त किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान बाजार से उधारियों एवं अन्य उधारियों का विश्लेषण निम्नानुसार है:

#### वित्तीय संस्थाओं से ऋण

सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 673.52 करोड़ का उधार वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 673.42 करोड़) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 0.10 करोड़) से लिया गया तथा ₹ 147.60 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण का बकाया शेष वर्ष 2014–15 में ₹ 2,033.41 करोड़ से ₹ 525.92 करोड़ (25.86 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ वर्ष 2015–16 में ₹ 2,559.33 करोड़ हो गया।

#### राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्त ऋण

सरकार द्वारा लघु बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि गठित किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 712.23 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹ 323.14 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कर्जों के बकाया शेष में ₹ 389.09 करोड़ (6.72 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2014–15 में ₹ 5,793.17 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 6,182.26 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 552.21 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

#### बाजार ऋण


अवधि वर्ष 2011–16 के दौरान बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति तालिका 1.33 में दिया गया है।

## तालिका 1.33: वर्ष 2011–16 की अवधि में बाजार ऋण की समग्र स्थिति

वर्ष	बाजार ऋण का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण	अंतिम शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	(₹ करोड़ में) विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
2011–12	2,512.72	0.00	313.14	2,199.58	(-) 313.14	(-) 12.46
2012–13	2,199.58	1,500.00	463.53	3,236.05	1,036.47	47.12
2013–14	3,236.05	3,000.00	156.01	6,080.04	2,843.99	87.88
2014–15	6,080.04	4,200.00	392.35	9,887.69	3,807.65	62.63
2015–16	9,887.69	4,850.00	183.00	14,554.44	4,666.75	47.20

(स्रोत: वित्त लेखे)

तालिका 1.33 से यह स्पष्ट है कि मार्च 2012 की समाप्ति पर बाजार ऋण ₹ 2,199.58 करोड़ प्रबल रूप से लगभग सात गुणा (₹ 12,354.86 करोड़: 561.69 प्रतिशत) बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 14,554.44 करोड़ हो गया, जो कि भविष्य में वृहद भुगतान दायित्व की ओर ले जाएगा जैसा कि नीचे के चार्ट में दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 864.95 करोड़ का ब्याज भुगतान किया। अवधि 2011–16 के दौरान बाजार ऋण के अंतः शेष की प्रवृत्ति चार्ट 1.34 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र

उज्ज्वल डिस्काम एसोरेन्स योजना (उदय), विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना, जो भारत सरकार के द्वारा राज्य डिस्काम के परिचालन एवं वित्तीय दक्षता को सुधारने के लिए अनुमोदित किया गया तथा सिर्फ राज्य के स्वामित्व वाले डिस्काम पर लागू होगा। योजना में भारत सरकार के द्वारा राज्य शासन को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कुल ऋण का 50 प्रतिशत (₹ 870.12 करोड़) वर्ष 2015–16 में 30 सितंबर 2015 तक अधिग्रहित किया जाएगा एवं शेष 25 प्रतिशत (₹ 435.06 करोड़) वर्ष 2016–17 में किया जाएगा तथा पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ऋण का निर्वहन करने में किया जायेगा तथा अनुदान के रूप में हस्तांतरित किया जायेगा। उपरोक्त के लिए, राज्य सरकार द्वारा अग्रिम ऋण के भुगतान के लिए ₹ 870.12 करोड़ का गैर एसएलआर बॉण्ड जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित ऋण वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के राजकोषीय घाटे के सीमा के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा।

## 1.10 ऋण प्रबंधन

### 1.10.1 ऋण प्रारूप

राज्य शासन के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण धारणीयता<sup>15</sup> को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण<sup>16</sup>; गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता<sup>17</sup>; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता<sup>18</sup>; ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

### 1.10.2 ऋण धारणीयता

एक समयावधि में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को स्थिर बनाए रखने की राज्य की योग्यता को ऋण धारणीयता कही जाती है। अतएव, यह राज्य के ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करता है।

**तालिका 1.34** विगत पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

**तालिका 1.34: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ**

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
बकाया ऋण	17,103	19,268	24,904	30,981	37,817
बकाया ऋण वृद्धि दर (प्रतिशत )	3.15	12.66	29.25	24.40	22.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऋण वृद्धि दर (प्रतिशत में)	—	12.30	16.49	14.28	6.40
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर	7.08	6.34	6.12	6.16	6.25
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति)	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
ऋण पुनर्भुगतान / ऋण प्राप्ति	0.89	0.69	0.45	0.47	0.47
राज्य को शुद्ध ऋण की उपलब्धता	(-)672	1,012	4,283	4,551	4,687
बकाया ऋण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.82	10.85	12.04	13.11	15.04

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**तालिका 1.34** से देखा जा सकता है:

- राज्य का बकाया ऋण वर्ष 2011–12 में ₹ 17,103 करोड़ से तीव्रता से बढ़कर ₹ 20,714 करोड़ (121.11 प्रतिशत) वर्ष 2015–16 में ₹ 37,817 करोड़ हो गई।

<sup>15</sup> ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण—जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में वित्त को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिस्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ सतुर्लन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

<sup>16</sup> स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण—जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बर्शर्ट प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मानूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर—ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ—साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण—जीएसडीपी अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ—साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण—जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण—जीएसडीपी अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

<sup>17</sup> राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

<sup>18</sup> उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूलधन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सुचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।

- राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 2011–16 अवधि में असमान रूप से बढ़ा एवं वर्ष 2015–16 में 15.04 प्रतिशत पहुँच गया।
- बकाया ऋण की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 में 3.15 प्रतिशत से तीव्रता से बढ़कर 2012–13 में 12.66 प्रतिशत तथा 2013–14 में 29.25 प्रतिशत हो गई उसके बाद घटकर 2015–16 में 22.07 प्रतिशत हो गई।
- मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात् उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2011–12 में (–) ₹ 672 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 4,687 करोड़ हो गई। वर्ष 2015–16 के दौरान शासन ने ₹ 6,067 करोड़ (₹ 1,086 करोड़ के आंतरिक ऋण का मूलधन एवं ब्याज, भारत सरकार से ₹ 164 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 4,817 करोड़ का भी निपटान) का पुनर्भुगतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 12,902 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 7,106 करोड़, भारत सरकार से ₹ 145 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 5,651 करोड़) से कम था, परिणामतः उत्पादक/पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 4,687 करोड़ (कुल उधारों का 36.33 प्रतिशत) के निधि की शुद्ध उपलब्धता थी।

राज्य द्वारा भविष्य में पुनर्भुगतान हेतु योग्य, राज्य ऋण के परिपक्वता का परिपेक्ष्य तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: राज्य के ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	कुल ऋण का प्रतिशत
0–5	4,252.03	3,914.35	4,207.57	5,828.95	5,934.05	23
6–10	3,115.08	3,204.48	7,937.95	11,849.84	17,028.20	65
11–15	1,958.45	3,312.46	1,674.14	1,553.25	1,846.17	07
16–20	1,012.50	802.49	658.63	528.11	448.46	02
20 और उससे ऊपर	347.50	470.22	467.95	289.04	793.26	03
योग	<b>10,685.56</b>	<b>11,704.00</b>	<b>14,946.24</b>	<b>20,049.19</b>	<b>26,050.14</b>	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया लोक ऋण कि परिपक्वता की रूपरेखा यह दर्शाता है कि अगले 10 वर्षों में कुल बकाया ऋण का 88 प्रतिशत होगा। आगे यह दर्शाता है कि ऋण चुकाने का राज्य का दायित्व वर्ष 2016–21 के दौरान ₹ 5,934 करोड़ तथा वर्ष 2021–26 के दौरान ₹ 17,028 करोड़ होगा जो कि उस अवधि के दौरान सरकारी बजट पर दबाव डालेगा। अतः भविष्य के ऋण भुगतान की अधिक जागरूकता के साथ शासन को इस स्थिति में होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये ऋण का भुगतान उन वर्षों में नहीं करना पड़े जिन वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान बकाया हो।

ऋण पर ब्याज अदायगी, राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष 2011–12 में 4.61 से वर्ष 2012–13 में 3.90 का घटता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है और उसके बाद वर्ष 2012–13 में 3.90 से वर्ष 2015–16 में 4.66 का बढ़ता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है, जैसा कि तालिका 1.36 से देखा जा सकता है। अवधि 2011–16 के दौरान ब्याज अदायगी का राजस्व प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में प्रवृत्ति को चार्ट 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.36: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज भुगतान

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
ब्याज भुगतान (करोड़ में)	1,193	1,153	1,351	1,727	2,149
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	4.61	3.90	4.23	4.55	4.66

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)




### 1.11 राजकोषीय अस्थिरता


तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे—राज्य शासन के वित्त में एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की विवक्षेशीलता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण हेतु संसाधन की व्यवस्था एवं उपयोग के तरीके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटे के पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, आकार तथा तरीके एवं एफआरबीएम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

#### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.36, चार्ट 1.37 तथा तालिका 1.37 वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए घाटे के सूचकांकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**तालिका 1.37: घाटे की प्रवृत्ति**

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+)	(+) <sup>3,239</sup>	(+) <sup>2,606</sup>	(-) <sup>809</sup>	(-) <sup>1,573</sup>	(+) <sup>2,367</sup>
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) <sup>801</sup>	(-) <sup>2,655</sup>	(-) <sup>5,057</sup>	(-) <sup>8,008</sup>	(-) <sup>4,574</sup>
प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य (+)	(+) <sup>392</sup>	(-) <sup>1,502</sup>	(-) <sup>3,706</sup>	(-) <sup>6,281</sup>	(-) <sup>2,425</sup>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

राजस्व घाटा/आधिक्य, राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा उधारियों को बढ़ाता है तथा राजस्व आधिक्य उधारियों को घटाता है।

वर्ष 2011–12 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 3,239 करोड़ से घटकर वर्ष 2012–13 में ₹ 2,606 करोड़ हो गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटा में तब्दील हो गया जो कि वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 764 करोड़ बढ़कर ₹ 1,573 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व घाटा, ₹ 2,367 करोड़ के साथ राजस्व आधिक्य में परिवर्तित हो गया एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा वर्ष 2014–15 में (−)0.67 से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 0.94 हो गया।

राजकोषीय घाटा जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 410 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य था, लेकिन यह वर्ष 2011–12 में ₹ 801 करोड़ के राजकोषीय घाटे में तब्दील हो गया तथा धीरे–धीरे बढ़कर 2014–15 में ₹ 8,008 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व घाटा पिछले वर्ष के विरुद्ध ₹ 3,434 करोड़ (42.88 प्रतिशत) कम हो गया। राजस्व प्राप्तियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 1.82 था जो 14वें वित्त आयोग प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 3.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर था।

राजकोषीय घाटा में 42.88 प्रतिशत की कमी तथा ब्याज अदायगियों में 24.44 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा वर्ष 2014–15 में ₹ 6,281 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,425 करोड़ हो गया।

**राजकोषीय संकेतक पर उदय योजना का प्रभाव:** उदय योजना के अनुसार, राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं किया जाना था। राज्य ने गैर-एसएलआर बॉण्ड के रूप में ₹ 870.12 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया था। यदि उपरोक्त लेन–देन को शामिल किया जाता तो राजकोषीय घाटा (₹ 5,443.83 करोड़), राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.16 प्रतिशत होता जो कि अब ₹ 4,573.71 करोड़ या राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.82 प्रतिशत था। मार्गदर्शिका के तारतम्य में, राज्य सरकार के द्वारा लेन–देन यद्यपि राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं परंतु उन्हें लेखांकित नहीं किया गया।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे का घटक तथा इसके वित्त पोषण की संरचना

राजकोषीय घाटा राज्य द्वारा लिये जाने वाले कुल उधारियों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से राजस्व व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे का विभाजन यह प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली तालिका 1.38 में प्रदर्शित की गई है।

**तालिका 1.38: राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय संरचना**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
<b>राजकोषीय घाटे का विभाजन</b>					
राजस्व घाटा (−)/आधिक्य (+)	3,239.33	2,606.25	−809.31	−1,573.28	2,366.65
निवल पूँजीगत व्यय	(−)4,052.47	(−)4,916.94	(−)4,566.55	(−)6,541.22	(−)7,942.17
निवल ऋण एवं अग्रिम <sup>19</sup>	11.97	(−)344.45	318.58	106.23	131.69
उदय योजना के अंतर्गत असम्मिलित व्यय <sup>20</sup>	—	—	—	—	870.12
<b>योग</b>	<b>(−)801.17</b>	<b>(−)2,655.14</b>	<b>(−)5,057.28</b>	<b>(−)8,008.27</b>	<b>(−)4,573.71</b>

<sup>19</sup> इसमें अंतर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है।

<sup>20</sup> उदय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना हेतु राज्य द्वारा लिए गए ऋण की वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में राजकोषीय घाटे की सीमा के विरुद्ध गणना नहीं की जाएगी।

राजकोषीय घाटे का वित्तीय संरचना*					
बाजार से उधार	(-)313.14	1,036.47	2,843.99	3,807.65	4,666.75
भारत सरकार से उधार	(-)85.15	(-)152.37	(-)134.50	(-)148.49	(-)18.79
एन.एस.एस.एफ. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	13.00	15.00	1.42	414.18	389.09
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)45.86	119.34	531.33	645.80	525.92
भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	383.80	(-)383.80
अन्य बचत, भविष्य निधि इत्यादि	307.76	293.47	265.40	443.83	514.30
जमा एवं अग्रिम	585.94	521.18	1,818.98	466.62	(-)69.54
उच्चता एवं विविध	1,758.77	(-)1,107.52	(-) 1,243.93	1,449.74	(-)1,823.27
प्रेषण	96.10	(-)264.11	(-) 98.03	193.52	11.94
अन्य <sup>21</sup>	58.90	332.15	305.16	264.02	389.93
<b>योग</b>	<b>2,376.32</b>	<b>793.61</b>	<b>4,289.82</b>	<b>7,920.67</b>	<b>4,202.53</b>
<b>समग्र आधिक्य (+) / घाटा (-)</b>	<b>1575.15</b>	<b>(-) 1861.53</b>	<b>(-) 767.46</b>	<b>(-) 87.60</b>	<b>(-)371.18</b>
<b>योग</b>	<b>801.17</b>	<b>2,655.14</b>	<b>5,057.28</b>	<b>8,008.27</b>	<b>4,573.71</b>

\*ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाही हैं।  
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त के तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा बाजार ऋण से राजकोषीय घाटे को अधिक से अधिक वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान, राजकोषीय घाटा वित्त पोषण में इसका हिस्सा 102 प्रतिशत था।

### 1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे<sup>22</sup> तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त पोषण में घाटा गुणवत्ता की कमी को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उधार ली गई निधियों का वर्तमान में किस सीमा तक उपभोग किया गया है, को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटे का विभाजन (**तालिका 1.39**) यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.39: प्राथमिक घाटा/आधिक्य—कारकों का विभाजन

वर्ष	गैर— ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय <sup>23</sup>	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य(+)	(₹ करोड़ में)
								1
2011–12	27,156	21,435	4,056	1,273	26,764	5,721	392	
2012–13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	5,305	(-) 1,502	
2013–14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,408	2,191	(-) 3,709	
2014–15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281	
2015–16	46,367	41,552	7,075*	165	49,662	4,815	(-)2,425	

<sup>21</sup> इसमें आकस्मिता निधि एवं आरक्षित निधि सम्मिलित है।

<sup>22</sup> प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

<sup>23</sup> राज्य का प्राथमिक राजस्व व्यय ब्याज भुगतान का सकल शुद्ध व्यय, जो वर्ष के दौरान लेन देन पर होने वाले व्यय को इंगित करता है, के रूप में परिभाषित है।

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

\*उदय योजना के अंतर्गत असमिलित राजस्व व्यय ₹ 870 करोड़

- गैर-ऋण प्राप्तियों में ₹ 19,211 करोड़ (70.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 27,156 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 46,367 करोड़ हो गया जबकि इसी अवधि में प्राथमिक राजस्व व्यय ₹ 22,898 करोड़ (85.56 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ ₹ 26,764 करोड़ से बढ़कर ₹ 49,662 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य के पास ₹ 392 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य था जो कि वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 1,502 करोड़ का प्राथमिक घाटे में तब्दील हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 6,281 करोड़ से घटकर ₹ 2,425 करोड़ हो गया। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व लेखा में प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।

### 1.12 राज्य वित्त पर प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्त प्रतिवेदन, राज्य विधायिका में प्रस्तुत की जा रही है। इन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में अभी भी चर्चा प्रारंभ किया जाना है।

### 1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

#### राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2015–16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, चौदहवें वित्त आयोग के 14.42 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 6.40 प्रतिशत रही।
- पिछले वर्ष के अपेक्षा राज्य के राजकोषीय स्थिति के प्रमुख मानदण्डों के संदर्भ में सुधार प्रदर्शित हुई है। चौदहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य को वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य बनाये रखना था। वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व अधिक्य ₹ 2,367 करोड़ था जो कि 2014–15 के दौरान हुए ₹ 1,573 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है।
- वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा घटकर ₹ 4,574 करोड़ हो गया, जो 14वें वित्त आयोग के प्रावधानों, एफआरबीएम अधिनियम एवं बजट आंकलन के निर्धारित सीमा के अंदर था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा वर्ष 2014–15 के 3.81 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष में 1.82 प्रतिशत हो गया, जो 14वें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य (3.50 प्रतिशत) के अन्तर्गत था।

शासन को चौदहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर राजस्व अधिक्य तथा राजकोषीय घाटा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

#### संसाधन की गतिशीलता

- वर्ष 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति (₹ 46,067.71 करोड़) 21.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान से ₹ 11,889 करोड़ से कम था।
- चालू वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 17,075 करोड़) बजट अनुमान (₹ 20,086 करोड़) से कम था। करेतर राजस्व भी बजट अनुमान से

₹ 3,448 करोड़ कम था।

- यद्यपि कुल कर राजस्व की राजस्व सकल घरेलू उत्पाद से प्रफुल्लता स्वस्थ प्रदर्शित थी, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की राज्य सकल घरेलू उत्पाद से प्रफुल्लता की प्रवृत्ति 2013–14 तक घटने की थी तथा उसके बाद 2014–15 एवं 2015–16 में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

शासन को बजट दस्तावेज में स्वयं के निर्धारित प्राप्तियों के लक्ष्यों मुख्यतः स्वयं के कर राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

### व्यय प्रबंधन तथा राजकोषीय प्राथमिकताएँ

- वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व व्यय निरंतर रूप से (84.35 प्रतिशत) कुल व्यय का प्रभावकारी घटक रहा। वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 15.33 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में सुधार है।

राज्य कुल व्यय के अनुपात में पूँजीगत व्यय को बढ़ाने पर विचार करे जिससे वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए परिसंपत्तियों निर्मित की जा सके।

- मार्च 2016 के अंत तक राज्य सरकार ने ₹ 6,192.22 करोड़ का निवेश किया तथा ₹ 1,263.75 करोड़ बकाया ऋण तथा अग्रिमों की वसूली शेष था। वर्ष 2015–16 के दौरान सरकारी निवेश तथा बकाया ऋणों पर औसत प्रतिफल क्रमशः 0.09 प्रतिशत तथा 3.72 प्रतिशत मात्र था जबकि सरकार ने अपनी उधारियों पर 6.25 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया। यह अवहनीय वित्तीय स्थिति की ओर अग्रेषित कर सकता है।

शासन को मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान न करने वाले संस्थानों/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

### अपूर्ण परियोजनाएँ

- 31 मार्च 2016 तक लोक निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के 194 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 5,911.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

शासन को अपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पहल करना चाहिए जिससे कि आगे और समय एवं लागत बढ़ने से बचा जा सके।

### दायित्वों का प्रबंधन

- चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 37,817 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 30,981 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.41 प्रतिशत) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 15.04 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजकोषीय दायित्व का राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात में वृद्धि हुई थी जो कि एफआरबीएम अधिनियम एवं 14वें वित्त आयोग के द्वारा 13.73 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक था।

शासन को भविष्य में राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखना चाहिए।

## द्वितीय अध्याय

### वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

**2.1.1** विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लेखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट के प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूँजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को अभिप्रेरित करते हैं और इसलिए यह वित्त लेखे के संपूरक है।

**2.1.2** विनियोग की लेखापरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और जब भी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियोगों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

#### 2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के बजट प्रावक्कलन प्रत्येक विभाग के प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के पूर्व तैयार किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा प्रदाय प्रपत्र में बजट नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष आंकित राजस्व एवं व्यय का विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट नियमावली के अनुच्छेद 91 के अनुसार सभी अनुमानित बचतों को यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी ईकाई या ईकाइयों के आधिक्य को समाहित करने हेतु आवश्यक न हो, सरकार को तुरंत समर्पित कर देना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के अनुच्छेद 116 के अनुसार प्रत्येक संवितरण अधिकारी उनके अधिपत्य में रखे आवंटन के लिए उत्तरदायी है वह विनियोजन की प्रत्येक ईकाई में हुए व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है तथा उसके अधीनस्थ को पर्याप्त समय में अतिरिक्त व्यय की संभावना को समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित कर अतिरिक्त निधि प्राप्त कर संभावित अतिरिक्त व्यय से बचाता है।

हमने वर्ष 2015–16 के दौरान अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्यों को देखा, जो बजट प्रबंधन में कमियों का दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

#### 2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2015–16 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गई है।

**तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश**

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/अधिक्य (+)	समर्पण की राशि	31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि	31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दत्तमत	राजस्व	51,788.54	4,782.20	56,570.74	41,867.09	(-)14,703.65	14,117.97	13,795.43	93.82
	पूंजीगत	11,653.55	1,300.41	12,953.96	8,263.79	(-)4,690.17	2,538.63	2,516.84	53.66
	ऋण तथा अग्रिम	283.06	0.00	283.06	165.22	(-)117.84	115.74	115.74	98.22
	<b>कुल दत्तमत</b>	<b>63,725.15</b>	<b>6,082.61</b>	<b>69,807.76</b>	<b>50,296.10</b>	<b>(-)19,511.66</b>	<b>16,772.34</b>	<b>16,428.01</b>	<b>84.20</b>
भारित	राजस्व	2,730.50	67.03	2,797.53	2,795.95	(-)1.58	72.59	72.59	उपलब्ध नहीं
	पूंजीगत	7.38	4.48	11.86	11.63	(-)0.23	0.43	0.43	उपलब्ध नहीं
	लोक ऋण पुनर्भुगतान	1,082.87	639.51	1,722.38	1,250.18	(-)472.20	471.72	471.72	99.90
	<b>कुल भारित</b>	<b>3,820.75</b>	<b>711.02</b>	<b>4,531.77</b>	<b>4,057.76</b>	<b>(-)474.01</b>	<b>544.74</b>	<b>544.74</b>	<b>उपलब्ध नहीं</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>67,545.90</b>	<b>6,793.63</b>	<b>74,339.53</b>	<b>54,353.86</b>	<b>(-)19,985.67</b>	<b>17,317.08</b>	<b>16,972.75</b>	<b>84.92</b>

(स्रोत: विनियोग लेखा 2015–16)

- अवधि 2015–16 में कुल बचत ₹ 19,985.67 करोड़ रहा जो कि राजस्व अनुभाग के 64 अनुदानों एवं 40 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग के 51 अनुदानों एवं पांच विनियोगों में, कुल बचत राशि ₹ 20,083.91 और राजस्व के अनुभाग के एक अनुदान एवं एक विनियोग तथा पूंजीगत अनुभाग के दो अनुदानों एवं एक विनियोग में कुल ₹ 98.24 करोड़ के अधिक व्यय के प्रतिसंतुलन का परिणाम था।
- वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 6,793.63 करोड़ था जो मूल प्रावधान का 10.06 प्रतिशत रहा।
- वास्तविक व्यय (₹ 54,353.86 करोड़), मूल बजट प्रावधान (₹ 67,545.90 करोड़) से भी कम होने के कारण, अनुपूरक प्रावधान (₹ 6,793.63 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुई। यह अवास्तविक बजट अनुमान एवं बजट नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।
- वर्ष 2015–16 के अंत में, ₹ 20,083.91 करोड़ के कुल बचत राशि में ₹ 17,317.08 करोड़ समर्पित किया गया तथा ₹ 2,766.83 करोड़ (कुल बचत का 13.78 प्रतिशत) का बचत संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। आगे, ₹ 16,972.75 करोड़ मार्च 2016 के अंतिम दिवस पर समर्पित किया गया, फलस्वरूप इस राशि को अन्य विकासात्मक कार्यों में सदुपयोग करने की संभावना नहीं रही।
- राज्य शासन का मदवार व्यय की स्थिति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक सिविल लेखा विवरण तथा मासिक विनियोग लेखा द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके बावजूद शासन द्वारा अनुदान के अत्यधिक बचत एवं व्यय को कम करने हेतु कदम नहीं उठाया गया।

## 2.4 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

### 2.4.1 विनियोग की तुलना में आबंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 64 प्रकरणों से संबंधित 45 अनुदानों एवं चार विनियोगों के प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के

भी 20 प्रतिशत से अधिक की सकल बचत ₹ 17,514.84 करोड़ है, जिसे परिशिष्ट 2.1 (अ) में दर्शाया गया है।

आगे, ₹ 20,083.91 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध 22 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ या ज्यादा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा और एक विनियोग में ₹ 17,298.78 करोड़ (कुल बचत का 86 प्रतिशत) का प्रभावी बचत हुआ, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक तथा अनुदान के 10 प्रतिशत या उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची**

₹ करोड़ में						
संक्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
<b>क—राजस्व दत्तमत</b>						
1	08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	669.36	556.28	113.08	16.89
2	10	वन	909.67	803.98	105.69	11.62
3	13	कृषि	1,021.00	755.77	265.23	25.98
4	19	लोक स्वास्थ्य योग्यता	1,314.22	1,124.45	189.77	14.44
5	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	156.29	41.79	114.50	73.26
6	24	लोक निर्माण कार्य—सड़के तथा पुल	1,068.38	753.65	314.73	29.46
7	27	स्कूल शिक्षा	3,922.70	2,965.25	957.45	24.41
8	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,413.14	1,279.60	1,133.54	46.97
9	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	5,329.81	3,714.54	1,615.27	30.31
10	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	9,554.34	6,408.15	3,146.19	32.93
11	44	उच्च शिक्षा	594.72	462.67	132.05	22.20
12	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	592.05	256.16	335.89	56.73
13	55	महिला और बाल कल्याण से संबंधित व्यय	907.87	621.76	286.11	31.51
14	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3,237.88	1,384.07	1,853.81	57.25
15	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,300.30	2,152.20	1,148.10	34.79
16	67	लोक निर्माण—भवन	503.99	377.89	126.10	25.02
17	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	484.58	139.04	345.54	71.31
18	80	त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,498.55	3,096.12	402.43	11.50
19	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,525.89	1,224.58	301.31	19.75
20	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,396.54	1,139.50	257.04	18.41
<b>योग—क</b>			<b>42,401.28</b>	<b>29,257.45</b>	<b>13,143.83</b>	
<b>ख—पूँजीगत दत्तमत</b>						
21	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	920.69	304.24	616.45	66.96
22	24	लोक निर्माण—सड़क एवं सेतु	1,494.20	815.44	678.76	45.43

### वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
23	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	991.55	673.83	317.72	32.04
24	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,353.81	1,666.85	686.96	29.19
25	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण—सड़क एवं सेतु	781.67	409.67	372.00	47.59
26	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,158.17	687.73	470.44	40.62
27	67	लोक निर्माण—भवन	608.51	482.86	125.65	20.65
28	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	401.50	285.27	116.23	28.95
29	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	407.50	108.96	298.54	73.26
योग—ख			9,117.60	5,434.85	3,682.75	
<b>ग—पूँजीगत प्रभारित</b>						
30		लोक ऋण	1,722.38	1,250.18	472.20	27.42
		योग—ग	1,722.38	1,250.18	472.20	
		योग क+ख+ग	53,241.26	35,942.48	17,298.78	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

इसके अतिरिक्त, 11 अनुदानों के 40 उप—शीर्षों/योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत पायी गयी। कारणों के साथ, बचत का विस्तृत विवरण वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे में प्रदर्शित की गयी है जो परिशिष्ट 2.1 (ब) में दिया गया है।

#### 2.4.2 सतत अतिरेक व्यय

15 अनुदानों के अंतर्गत 22 योजनाओं में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रावधान से अधिक सतत व्यय पाया गया। इन योजनाओं में प्रत्येक वर्ष में हुए अधिक व्यय को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.3: सतत अतिरेक व्यय**

₹ करोड़ में

संक्र.	मांग सं.	योजनाओं के नाम	2013–14	2014–15	2015–16
1	1	2052–090–4327—सचिवालय	0.14	0.08	2.66
2	3	2055–003–195— अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	7.53	0.86	0.04
3		2055–109–4491— सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	5.73	12.28	2.86
4	4	2235–60–200–2653— पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान	0.90	0.70	2.25
5	6	2071–01–102–3080— भारत में पेंशन का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	3.88	3.22	3.88
6		2071–01–105–2514— परिवार पेंशन	94.55	198.41	191.21
7		2071–01–111–4010— विधायकों का पेंशन	0.66	3.82	4.73
8		2235–60–200–7000— पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	2.06	4.43	3.56
9	7	2030–03–001–1480— जिला प्रभार	4.44	8.58	2.58
10	11	2851–200–1464— जिला उद्योग केन्द्र	0.35	0.02	0.02
11	17	2425–001–123— अधीक्षण	0.07	0.04	0.07
12	19	2071–01–800–5499— पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा	2.02	2.25	3.02
13		2210–03–197–5998— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1.05	5.96	10.60
14		2210–06–101–8150— बहुदेशीय कार्यकर्ता योजना	2.65	2.27	4.69
15	23	2700–01–101–2894— बांध तथा नहरें	1.95	1.07	0.88
16		4700–01–001–0101— राज्य आयोजना (सामान्य) –3556—जिला स्थापना	0.07	0.02	0.02

17	27	2202-01-001-3930— विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	1.17	0.09	0.41
18	41	2210-03-796-197-0102— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5998-सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र	3.20	7.48	11.47
19	44	2202-03-103-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)-798— कला, विज्ञान, तथा वाणिज्य महाविद्यालय	0.16	0.19	0.97
20	55	2235-02-102-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9044— एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	6.52	0.31	3.03
21	58	2245-02-111-7352— शोकाकुल परिवारों को सहायक अनुदान	3.15	2.07	2.75
22	64	2216-03-789-105-0703— केन्द्र प्रवर्तित योजना-6549— इंदिरा आवास योजना	4.26	4.23	0.02

(स्रोत: विनियोग लेखे 2013-16)

यह इंगित करता है कि विभाग धन की आवश्यकता का कुशलतापूर्वक आंकलन करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।

#### 2.4.3 योजनाओं के अंतर्गत व्यय का अतिरेक

27 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 4,618.74 करोड़ अधिक व्यय हुआ जिसमें प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

#### 2.4.4 सतत बचतें

अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान 11 प्रकरणों (10 अनुदानों) में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की सतत बचतें थीं जैसा कि तालिका 2.4 में प्रदर्शित है। वर्ष 2015-16 के संबंधित अनुदानों में कुल बचतें 10.15 और 47.59 प्रतिशत के बीच थीं जो यह इंगित करता है कि बजट वास्तविक नहीं था।

तालिका 2.4: अवधि 2011-16 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत सतत बचतों की सूची  
(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	पिछले वर्षों की बचत				
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
<b>राजस्व दत्तमत</b>							
1	10	वन	39.06 (6.19)	73.40 (10.93)	73.09 (9.98)	57.65 (7.34)	105.70 (11.62)
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	13.16 (4.19)	30.78 (10.26)	54.68 (16.89)	90.03 (19.21)	50.24 (12.80)
3	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	641.76 (20.31)	629.07 (17.03)	1,072.97 (22.82)	2,393.70 (28.82)	3,146.19 (32.93)
4	44	उच्च शिक्षा	139.25 (35.12)	146.54 (33.72)	140.49 (26.47)	186.97 (32.90)	132.05 (22.20)
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	141.60 (20.79)	156.44 (21.16)	115.87 (17.78)	229.20 (28.01)	286.11 (31.51)
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	397.67 (34.22)	284.43 (23.49)	398.96 (26.98)	932.09 (30.94)	1,148.10 (34.79)
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	60.89 (24.77)	56.11 (21.69)	84.63 (25.94)	68.11 (18.85)	66.00 (16.96)

पूंजीगत दत्तमत							
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	592.70 (40.33)	734.34 (37.91)	626.73 (31.00)	808.73 (41.50)	686.97 (29.19)
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पूल	232.71 (58.54)	234.80 (51.05)	185.03 (40.78)	81.59 (19.48)	372.00 (47.59)
10	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	263.74 (72.35)	149.14 (42.88)	124.31 (31.30)	56.81 (15.21)	125.66 (20.65)
11	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	57.10 (45.14)	74.24 (40.71)	67.02 (36.29)	46.83 (20.21)	20.87 (10.15)

(चोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्षों से बड़ी संख्या में अनुदानों में सतत् बचतें परिचारक हैं कि सरकार द्वारा विनियोग लेखे में पूर्व के वर्षों के रुझानों तथा मांग एवं व्यय के प्रवाह का सूक्ष्म परीक्षण किये बिना धन राशि के जरूरत का अधिक आंकलन किया गया।

इसे पूर्व में भी राज्य वित्त प्रतिवेदन में इंगित किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

#### 2.4.5 योजनाओं के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान

30 अनुदानों के अंतर्गत 53 प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए कुल प्रावधानों का कुल ₹ 1,366.82 करोड़ अनुपयोगी रह गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

#### 2.4.6 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान एक करोड़ या उससे अधिक की अनुपूरक प्रावधान के 38 प्रकरणों में प्राप्त कुल ₹ 2,331.89 करोड़ पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.4 दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त 11 प्रकरणों में ₹ 1,705.50 करोड़ के अतिरिक्त मांग के विरुद्ध ₹ 4,366.63 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। प्रत्येक प्रकरण में शेष बचतें जो एक करोड़ से ज्यादा थी, कुल ₹ 2,661.13 करोड़ था जो परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

यह इंगित करता है कि बी.सी.ओ. ने वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया तथा बजट नियमावली में वर्णित मासिक व्यय नियंत्रण तंत्र के जरिए व्यय के प्रवाह की निगरानी नहीं किया।

#### 2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत प्रत्याशित है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त आवश्यकता है, में निधियों का स्थानान्तरण है।

हमने पाया कि पुनर्विनियोजन के पश्चात् 16 अनुदानों और एक विनियोग के अंतर्गत 36 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक की अतिरेक/बचत हुई जैसा परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। यह इंगित करता है कि प्राक्कलनों का आंकलन उचित ढंग से नहीं किया गया, यहाँ तक कि पुनर्विनियोजन के जरिए निधियों की निकासी/वृद्धि के पश्चात् भी अनुदानों में अंतिम बचत/अतिरेक हुई।

#### 2.4.8 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

25 प्रकरणों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख और अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशियों का समर्पण, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल ₹ 5,254.88 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 5,691.72 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 436.84 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है। संबंधित विभागों ने वर्ष 2015–16 (जुलाई 2016) के विनियोग लेखे के अंतिम रूप देने तक समर्पणों का कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

#### 2.4.9 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 131 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचत का विवरण वित्त विभाग को 15वीं जनवरी तक प्रस्तुत कर देना चाहिए।

7 अनुदानों के अंतर्गत 8 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक बचत हुआ परन्तु संबंधित विभागों द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में कुल राशि ₹ 1,523.56 करोड़ (कुल बचत ₹ 20,083.91 करोड़ का 7.59 प्रतिशत) शामिल था, जैसा कि परिशिष्ट 2.8 में विस्तृत दिया गया है।

उसी तरह, 20 अनुदानों तथा दो विनियोगों (समर्पण के पश्चात प्रत्येक अनुदान में बचत ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) में कुल प्रावधान राशि ₹ 9,120.86 करोड़ की बचत में से राशि ₹ 1,913.83 करोड़ (उपरोक्त वर्णित बचत का 20.98 प्रतिशत) को समर्पित नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.9 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 78 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का समर्पण) मार्च 2016 के अंतिम दिवस को ₹ 16,981.67 करोड़ समर्पित किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का सूचक है जिसके कारण निधियाँ अवरुद्ध हो गई तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं थी। विभागों ने विनियोग लेखे वर्ष 2015–16 (जुलाई 2016) को अंतिम रूप देने तक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत को समर्पित करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

#### 2.4.10 अविवेकपूर्ण समर्पण

एक अनुदान (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत मांग संख्या 50) तथा दो विनियोगों (राजस्व शीर्ष के व्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं पूंजीशीर्ष के अंतर्गत मांग संख्या 41) में कुल प्रावधान राशि ₹ 2,282.99 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 2,352.45 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 69.46 करोड़ अधिक व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹ 11.08 करोड़ का समर्पण किया गया जो कि अविवेकपूर्ण था। विस्तृत विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	अधिक व्यय	समर्पण राशि
<b>राजस्व दत्तमत</b>						
1	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1.54	2.48	0.94	0.46
<b>राजस्व प्रभारित</b>						
2		व्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2,281.30	2,348.91	67.61	10.47
<b>पूंजीगत दत्तमत</b>						
	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना योग	0.15	1.06	0.91	0.15
			2,282.99	2,352.45	69.46	11.08

(झोत: विनियोग लेखे 2015–16)

#### 2.4.11 2015–16 के अवधि के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमित करने की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक का नियमितिकरण राज्य सरकार को प्राप्त करना अनिवार्य है। तालिका 2.6 में वर्ष 2015–16 के दौरान तीन अनुदानों और दो विनियोगों के निधि को सात खंडों में प्रावधान से अधिक व्यय राशि ₹ 98.24 करोड़ का राशीकृत विवरण दिया गया है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.6: 2015–16 के दौरान प्रावधान से अधिक के नियमितिकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम/विभाग	कुल मांग/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि जिनका नियमितीकरण वांछित है
<b>राजस्व दत्तमत</b>					
1	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1.54	2.48	0.94
<b>राजस्व प्रभारित</b>					
2		ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2,281.30	2,348.91	67.61
<b>पूंजीगत दत्तमत</b>					
3	6	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.10	0.49	0.39
4	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	157.30	185.69	28.39
<b>पूंजीगत प्रभारित</b>					
5	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	0.15	1.06	0.91
<b>योग</b>			<b>2,440.39</b>	<b>2,538.63</b>	<b>98.24</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

#### 2.4.12 पिछले वर्ष के संबंध में अतिरेक प्रावधान पर नियमितता की जरूरत (2000–01 से 2014–15)

अवधि 2000–01 से 2014–15 तक के अतिरेक व्यय राशि ₹ 3,146.93 करोड़ को अभी तक नियमित करना था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में दिया गया है।

#### 2.4.13 व्यय का प्रवाह/अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन के द्वारा अनुसरित) की कंडिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के प्रवाह से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह को बजटीय नियंत्रण की मूलभूत आवश्यकता को कायम करने को सुनिश्चित करना है। इसके विपरीत, 50 मुख्य शीर्षों में, अंतिम तिमाही के दौरान (₹ 7,889.87 करोड़) व्यय हुआ जो कुल व्यय (₹ 13,356.31 करोड़) के 59 प्रतिशत से ज्यादा है। इसमें कुल 13 प्रकरण हैं जहाँ वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय (₹ 1,502.73 करोड़) हुआ जो वर्ष 2015–16 के दौरान कुल व्यय (₹ 2,233.09 करोड़) का 67 प्रतिशत है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है।

### 2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य के छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 के अनुसार, आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा, जब तक कि निधि द्वारा विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित अप्रत्याशित व्यय के/निधि का संचालन ₹ 40 करोड़ के संग्रह

सीमा के साथ अग्रधन की प्रकृति के अनुरूप किया जाना जाए। उदाहरण के लिए, जैसा कि अधिनियम में उल्लेखित प्रक्रिया अनुरूप/आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 1.72 करोड़ की निधि की निकासी का विस्तृत विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

**तालिका 2.7: राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय**

(₹ करोड़ में)				
संक्र.	विभाग	व्यय की प्रकृति जिसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण किया गया है	आहरित माह	अग्रिम राशि
1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एम्बुलेंस की खरीदी	अगस्त 2015	0.19
2	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	क्षेत्रीय कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लिए	अगस्त 2015	1.15
3	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	डिक्री राशि के भुगतान के लिए	अगस्त 2015	0.38
योग				1.72

उपरोक्त से यह विदित है कि ये आकस्मिकता निधि से आहरण के लिए निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर रहे थे क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे। अतएव, आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम अधिनियम का उल्लंघन था।

## 2.6 अनुदान संख्या –27 स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग अनुदान संख्या–27 के बजट प्रस्तावों, वास्तविक व्यय और निधि प्रबंधन की समीक्षा जैसा कि नमूना जाँच में (सितंबर 2016) और विनियोग लेखे में प्रतिवेदित है, निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

### 2.6.1 सारांशीकृत स्थिति

बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और वर्ष 2015–16 के दौरान अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत आधिक्य/बचत की संपूर्ण स्थिति **तालिका 2.8** में दिया गया है।

**तालिका 2.8: अनुदान संख्या 27 का बजट प्रावधान और व्यय**

विभाग	बजट प्रावधान			वास्तविक व्यय	समर्पण	बचत(–)/आधिक्य(+)
	मूल बजट	अनुपूरक बजट	योग			
राजस्व	3,894.79	27.91	3,922.70	2,965.25	930.64	(–)957.45
पूंजीगत	110.27	0.22	110.49	77.57	33.80	(–)32.92
<b>कुल</b>	<b>4,005.06</b>	<b>28.13</b>	<b>4,033.19</b>	<b>3,042.82</b>	<b>964.44</b>	<b>(–)990.37</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि कुल बजट प्रावधान ₹ 4,033.19 करोड़ के विरुद्ध ₹ 990.37 करोड़ की बचत हुई (पूर्ण अनुदान का 25 प्रतिशत)। संपूर्ण बचत ₹ 990.37 करोड़ में से राजस्व तथा पूंजीगत में क्रमशः ₹ 957.47 करोड़ तथा ₹ 32.92 करोड़ की बचत हुई। राजस्व तथा पूंजीगत में अनुपूरक अनुदान क्रमशः ₹ 27.91 करोड़ तथा ₹ 0.22 करोड़ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मूल प्रावधान से भी व्यय कम हुआ है। बचत राशि ₹ 990.37 करोड़ के विरुद्ध ₹ 964.44 करोड़ का समर्पण अविवेकपूर्ण है।

### 2.6.2 बजट प्रावक्कलन से अधिक्य व्यय

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन द्वारा अनुसरण किया गया) की कंडिका 91 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके नियंत्रण के अधीन

### वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

लोक सेवाओं पर हुए व्यय में वृद्धि पर निगरानी के साथ व्यय को स्वीकृत आबंटन के अधीन रखें।

वर्ष 2015–16 के दौरान, स्कूल शिक्षा विभाग में चार योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 295.16 करोड़ के विरुद्ध ₹ 302.06 करोड़ व्यय किया जिसके फलस्वरूप व्यय में ₹ 6.10 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 2.9 में विस्तृत है।

**तालिका 2.9: प्रावधान से अधिक्य व्यय**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	व्यय	अधिक्य व्यय
1	27	2202–01–101–4396–सरकारी प्राथमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	248.22	250.33	2.11
2		2202–01–112–0701–5169–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	28.17	30.07	1.90
3		2202–02–109–0101–5551–हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	14.56	16.49	1.93
4		2204–104–1084–खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय	4.21	5.17	0.96
<b>योग</b>			<b>295.16</b>	<b>302.06</b>	<b>6.90</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

इस प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग के जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि कोई भी आधिक्य व्यय नहीं हुआ है। जबकि, विस्तृत विनियोजन लेखे 2015–16 के अनुसार, जिसमें उपरोक्त योजनाओं पर राशि ₹ 6.90 करोड़ का आधिक्य व्यय दिखाया गया है, विभाग का जवाब मानने योग्य नहीं है।

#### 2.6.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक अनुदान अधिक व्यय को समाविष्ट करने के लिए प्राप्त किया जाता है जोकि वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजन की मध्यावधि समीक्षा के बाद पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया जाता है।

अनुदान संख्या— 27 (स्कूल शिक्षा विभाग) के निम्नलिखित अंतर्गत लेखाओं में वर्ष के दौरान तीन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि विभाग मूल बजट प्रावधान को भी व्यय नहीं कर सका। अनावश्यक बजट प्रावधान का विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

**तालिका— 2.10: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय
2202–01–001–1500–जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	63.45	15.00	59.04	19.41
2202–01–0101–3491–माध्यमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	479.81	0.10	462.95	16.96
2202–01–0101–4396–सरकारी प्राथमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	257.77	0.05	234.03	23.79
2202–02–109–0101–7367–मॉडल स्कूल योजना	0.00	5.76	0.00	5.76
4202–01–0101–3491–माध्यमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3.00	0.11	0.23	2.88
4202–01–0101–4396–सरकारी प्राथमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	5.00	0.11	0.99	4.12
<b>योग</b>	<b>809.03</b>	<b>21.13</b>	<b>757.24</b>	<b>72.92</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा बताया गया है कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया अपूर्ण होने, फर्नीचर की क्रय नहीं होने तथा प्रशासकीय अनुमोदन अप्राप्त होने के कारण शेष राशि को व्यय नहीं किया गया (नवंबर 2016)।

#### 2.6.4 योजना के अंतर्गत कुल प्रावधानों का उपयोग न होना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैराग्राफ 31 के अनुसार एक मुश्त प्रावधान बजट अनुमान में ही बनाना/शामिल करना चाहिए।

अनुदान संख्या-27 (स्कूल शिक्षा विभाग) के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्ष लेखाओं का सम्पूर्ण धनराशि उपयोग में नहीं लाया गया, जिसकी विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

**तालिका 2.11: योजना के अंतर्गत कुल प्रावधानों का उपयोग न होना**

स. क्र.	लेखाओं का शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	₹ करोड़ में
1	2202-01-107-0701-7673—विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	3.00	0	3.00	
2	2202-02-109-0101-7367—मॉडल स्कूल योजना	5.76	0	5.76	
3	2202-80-0101-5528—छत्तीसगढ़ भाषा परिषद् का गठन	0.01	0	0.01	
4	4202-01-201-0101-7657—विज्ञान केन्द्र की स्थापना	1.00	0	1.00	
5	4202-01-202-0101-5646—सैनिक स्कूल की स्थापना	15.00	0	15.00	
6	4202-01-202-0101-578—उच्चतर माध्यमिक शालाएँ	2.00	0	2.00	
<b>योग</b>		<b>26.77</b>	<b>0</b>	<b>26.77</b>	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

प्रकरणों को स्कूल शिक्षा विभाग के जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा कहा गया कि प्रशासन स्तर से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण तथा अध्यक्ष तथा सचिव का पद रिक्त होने के कारण बजट प्रावधान को उपयोग में नहीं लाया गया (नवम्बर 2016)।

#### 2.6.5 पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव भेजने में विलंब

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) के परिशिष्ट-II के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद नहीं भेजना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 964.50 करोड़ की राशि 31 मार्च 2016 तक नियमावली के प्रावधानों को उल्लंघित कर समर्पित किए गए।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि वित्त विभाग के पत्रानुसार समर्पण/पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव 31 मार्च 2016 तक स्वीकृत किया गया तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 अप्रैल 2016 तक भेजा गया।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस तक बजट के समर्पण, अन्य किसी अनुदान/विनियोग के अंतर्गत सदुपयोग का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा।

#### 2.6.6 अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता

बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के विशेष कर अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचना चाहिए।

### वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

हमने पाया कि वर्ष 2015–16 के अंतिम तिमाही के दौरान अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत 13 योजनाओं में मार्च के महीने के अंतिम तिमाही में तथा माह मार्च कुल व्यय में 50 से 100 प्रतिशत तक की हुई व्यय में हुई बढ़ोतरी का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.13 में दिया गया है।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा कहा गया कि अपेक्षित जानकारी विभिन्न सेलों से एकत्रित किए जा रहे हैं तथा संकलन हो जाने बाद अग्रेषित किया जाएगा।

#### 2.6.7 उपशीर्ष के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्राक्कलन अत्यधिक सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्राक्कलन न ही बढ़े तथा न ही आवश्यकता से कम हो।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत, 25 योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक बचत हुई जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.14 में दिया गया है।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया कि सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने, कुछेक जिलों द्वारा खर्च नहीं किए जाने तथा भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण वास्तविक बचत हुई। (नवंबर 2016)

#### 2.6.8 सतत बचत

अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित 124 उप–शीर्षों/योजनाओं में समीक्षा किए गए सतत बचतें परिशिष्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

सतत बचत की पुनरावृति विभाग में मौजूद बजटिंग नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा प्रत्युत्तर आया कि भारत सरकार से निधि अप्राप्त, विद्यार्थी कोटा में कमी, विभाग में रिक्त पद नहीं भरे जाने तथा राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होने के कारण सतत बचत हुई। (नवंबर 2016)

### 2.7 अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा

नगरीय प्रशासन तथा विकास (अनुदान संख्या 69) के संबंध में बजट प्रस्ताव की समीक्षा, वास्तविक व्यय और निधि व्यय जैसा की विनियोग लेखों का वर्णन किया गया है, में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईः

#### 2.7.1 बजट और व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रस्ताव, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य का संपूर्ण स्थिति का विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12: अनुदान संख्या 69 का बजट और व्यय

भाग	बजट प्रावधान			वास्तविक व्यय	समर्पण	बचत(–)/आधिक्य(+)
	मूल	अनुपूरक	व्यय			
राजस्व	484.58	0	484.58	139.04	345.54	(–)345.54
पूँजीगत	0	0	0	0	0	0
योग	<b>484.58</b>	<b>0</b>	<b>484.58</b>	<b>139.04</b>	<b>345.54</b>	<b>(–)345.54</b>

(स्रोत: विनियोग लेख 2015–16)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि कुल बजट प्रावधान ₹ 484.58 करोड़ के विरुद्ध ₹ 139.04 करोड़ का व्यय किया गया जिसमें ₹ 345.54 करोड़ की बचत हुई जिसे 31 मार्च 2016 को समर्पण किया गया।

### 2.7.2 उपशीर्ष के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्रावक्कलन अधिक सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्रावक्कलन न ही बढ़े, न ही कम हो।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या-69 के अंतर्गत, राजस्व भाग में सात योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की वास्तविक बचत हुई जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

**तालिका 2.13: एक करोड़ से ज्यादा का योजनावार बचत**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	योजना का नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत
1	2217-80-191-0701-7610-स्वच्छ भारत	37.00	13.45	23.55	64
2	2217-80-191-0701-7685-स्मार्ट स्टी	170.00	4.00	166.00	98
3	2217-80-191-0701-7686-सरदार पटेल शहरी आवास	119.20	3.64	115.56	97
4	2217-80-191-0701-8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	22.88	11.42	11.46	50
5	2217-80-192-0701-7610-स्वच्छ भारत	26.00	15.67	10.33	40
6	2217-80-192-0701-8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	4.12	2.06	2.06	50
7	2217-80-193-0701-7610-स्वच्छ भारत	30.00	6.24	23.76	79
योग		409.20	56.48	352.72	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

वास्तविक बचत यह इंगित करता है कि व्यय प्रावक्कलन के अनुसार नहीं किए गए तथा जो बजट प्रावक्कलन तथा व्यय में नियंत्रण की कमी थी।

### 2.7.3 योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण धन राशि अनुपयोगी रहना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 31 के अनुसार, एक मुश्त प्रावधान बजट प्रावक्कलन में नहीं दर्शाया जाना चाहिए।

विनियोग लेखों की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या 69 (नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग) के अंतर्गत तीन योजनाओं की कार्यान्वयन के लिए ₹ 70.87 करोड़ का प्रावधान दिया गया था। जबकि इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय निरंक रहा जैसा तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.14: योजना के अंतर्गत कुल प्रावधानों का उपयोग न होना**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	योजना का नाम	बजट	व्यय	बचत
1	2217-05-191-0101-7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	8.40	0	8.40
2	2217-05-192-0101-7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	6.16	0	6.16
3	2217-05-193-0101-7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	7.91	0	7.91
4	2217-80-191-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	2.00	0	2.00
5	2217-80-191-0101-7682-सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	16.58	0	16.58
6	2217-80-192-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	3.00	0	3.00
7	2217-80-192-0101-7682-सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	14.30	0	14.30
8	2217-80-193-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	1.50	0	1.50
9	2217-80-193-0101-7682-सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	11.02	0	11.02
योग		70.87	0	70.87

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

## वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

इन पर गौर किया गया कि इन योजनाओं पर या तो परियोजना अधिकारी द्वारा माँग प्राप्त न होने के कारण या भारत सरकार से केन्द्रीय अंश प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किया गया। इस तरह इन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, जो इंगित करता है कि बजट अनुमान में लिए माँग तदर्थ आधार पर तैयार किए गये।

### 2.7.4 सतत् बचत्

अनुदान संख्या—69 अंतर्गत विगत दो वर्षों में निम्नलिखित पाँच उप-शीर्ष/योजनाओं में किए गए सतत् बचते तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.15: सतत् बचत्**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	लेखाओं का शीर्ष	2014–15		2015–16	
		बजट	बचत	बजट	बचत
1	2217–80–191–0701–7404–आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	2.00	2.00	2.00	2.00
2	2217–80–191–0701–8996–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	7.00	0.16	22.88	11.46
3	2217–80–192–0701–7404–आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	3.00	3.00	3.00	3.00
4	2217–80–192–0701–8996–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	7.00	0.16	4.12	2.06
5	2217–80–193–0701–7404–आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	1.50	1.50	1.50	1.50

(झोत: विनियोग लेखे 2015–16)

सतत् बचत की पुनरावृति विभाग में मौजूद बजटिंग का नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। तथ्य शहरी प्रशासनिक एवं विकास विभाग के ध्यान में लाया गया, हालांकि उत्तर अभी तक अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

### 2.7.5 समर्पण प्रस्ताव भेजने में विलंब

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) के परिशिष्ट-II अनुसार समर्पण प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद नहीं भेजना चाहिए।

वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 345.54 करोड़ की राशि 31 मार्च 2016 को नियमावली के प्रावधानों को उल्लंघित कर समर्पित किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बजट का समर्पण, अन्य किसी अनुदान/विनियोग के अंतर्गत सदुपयोग का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता।

### 2.7.6 व्यय का अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार वैसे अनुदान जिसका लाभकारी रूप से सदुपयोग नहीं किया जा सकता उसे समर्पित कर देना चाहिए। व्यय के अतिवेग, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में करने से बचना चाहिए।

यह देखा गया कि विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। व्यय का वस्तु-शीर्षवार विस्तृत विवरण जहाँ वर्ष 2015–16 के दौरान अंतिम तिमाही के दौरान और मार्च माह में व्यय का प्रतिशत प्रत्येक प्रकरण में 50 प्रतिशत और ज्यादा है, तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय		मार्च माह के दौरान व्यय	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2217–05–191–0101–7487— नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना	0.17	0.17	100	0.17	100
2	2217–05–192–0101–1785— झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	1.52	1.52	100	0.95	63
3	2217–05–192–0101–7487— नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना	0.05	0.05	100	0.05	100
4	2217–05–193–0101–1785— झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	1.52	1.52	100	1.52	100
5	2217–80–191–0101–4178— शहरी कमज़ोर वर्ग के कमाने वाले सदस्यों का समूह बीमा	0.49	0.49	100	0.49	100
6	2217–80–191–0701–6741— राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	45.83	45.52	99	45.52	99
7	2217–80–191–0701–6808— लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना	30.00	30.00	100	30.00	100
8	2217–80–191–0701–7686 सरदार पटेल शहरी आवास	3.64	3.64	100	3.64	100
9	2217–80–192–0101–4178— शहरी कमज़ोर वर्ग के कमाने वाले सदस्यों का समूह बीमा	0.36	0.36	100	0.36	100
10	2217–80–193–0101–4178— शहरी कमज़ोर वर्ग के कमाने वाले सदस्यों का समूह बीमा	0.36	0.36	100	0.36	100

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015–16)

वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय का एकीकरण बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय प्रबंधन नीति नहीं है और यह व्यय पर नियंत्रण पर नियमावली के प्रावधान के विपरीत है।

तथ्य को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के ध्यान में लाया गया। शीर्ष लेखा 2217–05–191–0101–7487— नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना तथा शीर्ष लेखा 2217–05–192–0101–7487— नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम/नगर निकाय द्वारा प्रस्ताव निर्धारित समय में नहीं प्रस्तुत किया गया तथा 2217–05–192–0101–1785— झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान तथा 2217–05–193–0101–1785— झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान के संबंध में बताया गया कि गर्मी के मौसम में पीने की पानी को उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु निधि व्यय करने हेतु बचत की जाती है। शेष बिन्दुओं पर विभाग द्वारा जवाब अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

## 2.8 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

वर्ष 2015–16 के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2015–16 के दौरान प्रावधान से अधिक ₹ 98.24 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 2000–2015 के अवधि के दौरान किए गए अतिरेक व्यय को भी नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।

सरकार को पूर्व वर्षों में हुए अतिरेक व्यय के नियमितीकरण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

## **वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)**

### **अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण बड़ी बचतें**

- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 74,339.53 करोड़ के विरुद्ध ₹ 19,985.67 करोड़ (27 प्रतिशत) की बड़ी बचत हुई जो अनुचित बजट प्राक्कलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनों/उप-शीर्षों के अंतर्गत बड़ी बचतें राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदानों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान सतत बचतें देखा गया।

बचत विशेषकर जहाँ सतत बचतें हुई हैं तथा अप्रयुक्त अनुपूरक अनुदान से बचने के लिए सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

### **आकस्मिकता निधि से अग्रिम**

- वर्ष 2015–16 के दौरान तीन अवसरों पर एंबुलेंस के क्रय, क्षेत्रीय कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन एवं डिक्री राशि के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 1.72 करोड़ की निकासी की गई जो कि न तो अनापेक्षित और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।
- आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अनापेक्षित तथा आकस्मिक व्यय के लिए ही दिया जाना चाहिए।

**स्कूल शिक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी**

स्कूल शिक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण के बजट नियंत्रक अधिकारियों ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिसके फलस्वरूप विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी हुई।

स्कूल शिक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण विभाग को बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

## तृतीय अध्याय

### वित्तीय प्रतिवेदन

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ—साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देश सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

#### 3.1 अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब पर अनुपालन लेखापरीक्षा

##### 3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान, किसी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति द्वारा सहायता, दान या अंशदान के रूप में प्रदत्त भुगतान होता है। सहायता अनुदान, संघीय शासन द्वारा राज्य शासन, पंचायती राज संस्थाओं, अभिकरणों, निकायों एवं संस्थानों को प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को सहायक अनुदान वितरित करता है। इस तरह जारी किए गए अनुदान इन एजेंसियों, निकायों तथा संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पूरा करने और पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—1 के नियम 173 के अनुसार जब तक शासन के अन्यथा आदेश न हो, विशिष्ट प्रयोजन हेतु दिये जाने वाला प्रत्येक अनुदान निम्न शर्तों के अन्तर्गत होगा:

I- यदि व्यय की कोई समयावधि न हो तो अनुदान उचित प्रयोजन पर उचित समय में व्यय किया जाएगा। और

II- यह कि अनुदान का वह अंश जो व्यय नहीं हुआ है, शासन को समर्पित की जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—1 नियम 182 के अनुसार वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।


छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों से सहायता अनुदान के देयक धनराशि ₹ 10,502.86 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान कुल 4237 उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। वित्तीय वर्ष के अनुसार लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की स्थिति को नीचे की तालिका में दिया गया है।

तालिका 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल भुगतान की गई निधि		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007–08	5158	1,871.82	5015	1,301.43	143	570.39
2008–09	6691	2,182.37	6607	1,731.06	84	451.31
2009–10	5881	2,798.36	5720	2,270.47	161	527.89
2010–11	6957	3,204.49	6639	2,132.74	318	1,071.75
2011–12	7661	3,562.13	7216	2,386.34	445	1,175.79
2012–13	22774	7,461.02	21928	5,574.85	846	1,886.17
2013–14	34474	11,347.98	33418	8,797.28	1056	2,550.70
2014–15	1060	2,328.93	477	957.90	583	1,371.03
2015–16	626	910.42	25	12.59	601	897.83
योग	91282	35,667.52	87045	25,164.66	4237	10,502.86

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

मुख्य शीर्ष और वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शायी गयी है।

ऊपर दिये गये चार्ट को देखने से यह पता चलता है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र में वर्ष 2007–08 से 2013–14 के दौरान लगातार वृद्धि हो रही थी, उसके पश्चात् के दो वर्षों में इसमें काफी तेजी से गिरावट आई है।

### 3.1.2 लेखा परीक्षा का विस्तार

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कारणों के अध्ययन करने हेतु विस्तृत समीक्षा किया गया। राज्य सरकार द्वारा संचालित कुल 56 मुख्य शीर्ष में से तीन मुख्य शीर्ष 2202—सामान्य शिक्षा, 2217—शहरी विकास विभाग तथा 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित किया गया। ये तीन मुख्य शीर्ष में 2509 उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि ₹ 3,943.55 करोड़ लंबित है तथा कुल उपयोगिता प्रमाण पत्रों का 59 प्रतिशत है। इनके विस्तृत विश्लेषण हेतु कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा वर्ष 2015–16 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदन में उपयोगिता प्रमाण पत्र में संबंध में उल्लेखित आपत्तियों को सम्मिलित किया गया। साथ ही, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारणों को जानने हेतु इन विभागों के संचालक/निदेशक से संपर्क किया गया।

### 3.1.3 चयनित मुख्य शीर्षों की लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

चयनित किये गये तीन मुख्य शीर्षों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति तालिका 3.2 में दी गई है।

**तालिका 3.2:** चयनित मुख्य शीर्षों के अधीन वितरित किये गये सहायता अनुदान के अंतर्गत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की 31 मार्च 2016 तक की स्थिति

विभाग	सहायता अनुदान वितरित वर्ष	भुगतान की गई अनुदान की संख्या	भुगतान की गई अनुदान की राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
2202—सामान्य शिक्षा	2007–08 से 2015–16	32533	8,561.77	31882	7,987.19	651	574.58
2217—षहरी विकास विभाग	2007–08 से 2015–16	817	3,045.21	243	844.03	574	2,201.18
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2007–08 से 2015–16	4620	3,810.29	3336	2,642.50	1284	1,167.79
योग		37970	15,417.27	35461	11,473.72	2509	3,943.55

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

**तालिका 3.2** में यह दर्शाया गया है कि उपरोक्त तीन विभाग में राशि ₹ 3,943.55 करोड़ (2509 उपयोगिता प्रमाण पत्र) 31 मार्च 2016 तक लंबित था। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा 01 से 09 वर्ष के बीच उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किए गए, जो कि छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 182 का उल्लंघन है।

तीन विभागों से संबंधित तीन वर्ष का दस सबसे बड़ी मूल्य वाली प्रमाणकों का विश्लेषण किया गया जो तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.3:** चयनित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वर्षवार 10 उच्चतम मूल्य वाले प्रमाणक की लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

मुख्य शीर्ष	2012–13			2013–14			2014–15			कुल योग	
	प्रमाणक की संख्या	प्रमाणक की संख्या	प्रतिशत	प्रमाणक की संख्या	प्रमाणक की संख्या	प्रतिशत	प्रमाणक की संख्या	प्रमाणक की संख्या	प्रतिशत	संख्या	राशि
2202	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	30	457.38	86.54	30	457.38
2217	10	283.20	48.71	10	460.65	57.15	10	50.75	85.83	30	794.69
2515	10	105.48	26.15	10	129.44	18.36	10	5.55	44.58	30	240.46

उपरोक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि उपरोक्त प्रकरण में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रतिशत वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान 18 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के मध्य रहा। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में समीक्षा के दौरान यह पता चला कि:

- मुख्य शीर्ष 2202 के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रतिशत कमशः 36 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत रहा।
- मुख्य शीर्ष 2217 के अंतर्गत राजीव आवास योजना में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रतिशत वर्ष 2014–15 के दौरान सम्पूर्ण लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का 49 प्रतिशत रहा।

- और यह भी देखा गया कि वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2014–15 में मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतिशत कमशः 18 प्रतिशत और 39 प्रतिशत रहा।

यह इंगित करने पर विभाग ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संचालनालय स्तर पर निगरानी नहीं रखी जा सकी है। साथ ही संचालकों द्वारा यह भी बताया गया कि विभाग के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र बाबत् नियंत्रण हेतु कोई भी अभिलेख/रजिस्टर अनुरक्षण नहीं किया गया।

इन तथ्यों का विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि अनुदानों को उपयोग में नहीं लाना, बैंक लेखे में अनुदान अवरुद्ध रहना, अपूर्ण कार्य, विलंब से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना या उपयोग में लाए जाने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के कारण रहे।

संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर पाई कि अनुदान पूरी तरह उपयोग में लाया गया। इस तरह की विशाल लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागों में अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा अप्रभावी निगरानी को दर्शाता है।

### 3.1.4 विलंब से प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र

कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संकलित डाटा से यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष-2515 के अंतर्गत कुल राशि ₹ 2,776.38 करोड़ का 3427 उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मुख्य शीर्ष-2217 के अंतर्गत कुल राशि ₹ 1,682.38 करोड़ का 464 उपयोगिता प्रमाण पत्र 04 से 34 महीने विलंब से प्राप्त हुए। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

### 3.1.5 लेखा परीक्षा अवलोकन के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में चयनित विभागों का बाह्य लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

#### 2202 सामान्य शिक्षा

सामान्य शिक्षा विभाग में वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक राशि ₹ 574.58 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था। कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नमूना जांच से निम्नलिखित अनियमितता पाया गया:

##### 3.1.5.1 छात्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के लिए निधि प्रदाय करती है। अवितरित धनराशि वर्ष के अंत में शासकीय लेखे में समर्पण करनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी के अभिलेखों की माह जुलाई 2015 (भाटापारा), सितंबर 2015 (कोरबा) और फरवरी 2016 (जगदलपुर) एवं (गरियाबंद) की जांच में पता चला कि निम्न प्रकरण में छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि शासन को समर्पण नहीं किए तथा बैंक खाताओं में रखा गया। विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

## तालिका 3.4: छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अवरुद्ध राशि

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग/संस्था का नाम	स्वीकृत वित्तीय वर्ष	अवितरित राशि
1	जिला शिक्षा अधिकारी, बलोदा बाजार, भाटापारा	2011–12 से 2014–15	112.36
2	खंड शिक्षा अधिकारी, करतला, कोरबा	2013–14 से 2014–15	9.74
3	सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण, जगदलपुर	2012–13 से 2014–15	1,458.23
4	कलेक्टर, गरियाबंद	2012–13 से 2014–15	322.70
योग			1,903.03

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक छात्रवृत्ति की धनराशि ₹ 1,903.03 करोड़ बैंक खाता में रखे रहे। अवितरित छात्रवृत्ति को शासकीय लेखा में जमा नहीं किया गया जिससे ₹ 1,903.03 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

तथ्य को खण्ड शिक्षा अधिकारी, करतला के ध्यान में लाने पर बताया गया कि छात्रवृत्ति की राशि खण्ड शिक्षा अधिकारी, करतला के खाते में नहीं है यह धनराशि, सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण के खाते में है। अन्य तथ्यों के मामले में जवाब अप्राप्त है (नवंबर 2016)।

## 3.1.5.2 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना नियमावली के अनुसार रसोई के उपकरण को बदलने हेतु 5000/- प्रति विद्यालय प्रावधान किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित राज्यों को अनुमोदित मद (अ) खाना बनाने के सामान (स्टोव, चूल्हा, इत्यादि), (ब) अनाज एवं अन्य सामग्री के भंडारण हेतु बर्तन एवं (स) खाना बनाने तथा परोसने का सामग्री पर व्यय संबंधी लचीलापन होगा।

मार्गदर्शिका अनुसार केंद्रीय अनुदान रसोई सामग्री क्य करने हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग को अनुदान प्रदाय किया गया। बाद में राशि को विभिन्न विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। पांच खंड शिक्षा अधिकारी के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि विद्यालयों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र को खण्ड कार्यालय/जिला कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

## तालिका 3.5: विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग/संस्था का नाम	वित्त वर्ष	रसोई सामग्री खरीदने के लिए स्वीकृत राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	अंकेक्षण का माह
1	खंड शिक्षा अधिकारी, केशकाल, कोडांगांव	2010–11 2014–15	6.80 5.61	सितंबर 2011 सितंबर 2015	प्रस्तुत नहीं किया गया	फरवरी 2016
2	खंड शिक्षा अधिकारी, करतला, कोरबा	2013–14	7.07	सितंबर 2014	प्रस्तुत नहीं किया गया	सितंबर 2015
3	खंड शिक्षा अधिकारी, नवागढ़, जांजगीर	2013–14	5.63	सितंबर 2014	प्रस्तुत नहीं किया गया	जुलाई 2015
4	खंड शिक्षा अधिकारी, उभरा, जांजगीर	2012–13	4.62	सितंबर 2013	प्रस्तुत नहीं किया गया	जुलाई 2015
5	खंड शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद	2012–13	2.49	सितंबर 2014	प्रस्तुत नहीं किया गया	जून 2015
योग			32.22			

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एक से पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, रसोई सामग्री की क्य राशि ₹ 32.22 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया

गया। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अनुदान का उपयोग किया गया अथवा नहीं।

इंगित किये जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद द्वारा बताया गया कि सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान अध्यापक द्वारा जारी किए जाते हैं। शेष तथ्यों के बारे में विभागों द्वारा जवाब अप्राप्त था (नवंबर 2016)।

साथ ही यह भी पाया गया कि सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण, कोण्डागांव के द्वारा वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन बनाने की लागत तथा रसोईयां तथा सहायक की मजदूरी हेतु कोण्डागांव के विभिन्न विकास खण्ड को ₹ 3,995.45 लाख दिए। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा दिनांक तक अप्राप्त है (फरवरी 2016)। अतः यह निर्धारण करना संभव नहीं है कि निधि को उपयोग में लाया गया या अभी तक व्यर्थ पड़ा है।

खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि सभी विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखा परीक्षा को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी। जवाब से स्पष्ट है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गये हैं, जबकि आगामी वित्त वर्ष के जून माह के अंत तक प्राप्त किया जाना चाहिए। स्मरण पत्र विभाग को जारी किया गया है। इस संबंध में जवाब अप्राप्त है (नवंबर 2016)।

- **सर्व शिक्षा अभियान** का उद्देश्य ऐसे स्थानों, जहां विद्यालयी सुविधा नहीं है, वहां पर नये विद्यालयों की स्थापना करना है तथा मौजूदा विद्यालयी आधारभूत संरचना को अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पीने का पानी, ग्राम्य विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर एकमुश्त अनुरक्षण अनुदान एवं विद्यालय सुधार अनुदान के द्वारा मजबूती प्रदान करना है।

इस योजना के जिला समन्वयक के द्वारा प्रशासनिक सहमति प्रदान करने के पश्चात् योजना के अभिकरणों अर्थात् ग्राम पंचायतों को अनुदान सशर्त प्रदान किया जाता है कि कार्य, अनुदान अनुमोदन के तीन माह के भीतर पूर्ण हो।

जनपद पंचायत धमतरी के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 के दौरान 80 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से लेखा परीक्षण माह (तिथि) तक 65 कार्य पूर्ण थे और 15 कार्य अपूर्ण पाये गये जबकि ₹ 40 लाख रुपये की धनराशि इन अपूर्ण कार्यों पर व्यय हुई थी। एक से तीन वर्ष की समाप्ति के बावजूद ये कार्य पूर्ण नहीं किये गये एवं संस्था के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत की गई।

इसे संज्ञान में लाने पर, धमतरी जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. ने बताया (नवंबर 2016) कि सभी अपूर्ण कार्य मई 2016 तक पूर्ण कर लिये गये थे एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भी मई 2016 तक प्रस्तुत किये जा चुके थे। कार्यों पूर्ण होने में विलंब की अवधि की सीमा सात से तीस माह है।

- कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ₹ 10,000 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान किया जाता है, जिसे वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 15,000 कर दिया गया।

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, जगदलपुर के लेखाओं (फरवरी 2016) के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त योजनांतर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 8.95 लाख आवंटित किये गये थे जिसमें से ₹ 7.15 लाख पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गये परंतु एक से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संदर्भ में विभाग को एक स्मरण पत्र भी जारी किया गया जिसका जवाब अद्यतन स्थिति (नवंबर 2016) तक प्रतिक्षित है।

### 3.1.5.3 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रु.सा.) योजना

उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), भारत सरकार ने मार्च 2014 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्षमता निर्माण और तैयारी के अवयव, आंकड़ों के संग्रह एवं योजना, संस्थागत पुनर्गठन एवं सुधार एवं प्रबंध की निगरानी मूल्यांकन एवं अनुसंधान हेतु छत्तीसगढ़ को ₹ 404.00 लाख की धनराशि आवंटित की।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुदानों के उद्देश्यपूरक उचित उपयोग के प्रमाण पत्र मंत्रालय को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए। सूक्ष्म परीक्षण (सितंबर 2015) के दौरान ये पाया गया कि मंत्रालय को वर्ष 2013–14 के लिए सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 404.00 लाख में से ₹ 127.19 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालय को 28.03.2015 को प्रस्तुत किये गये एवं ₹ 276.81 की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक उपयोग नहीं की गई। इस राशि के ₹ 104 लाख को 27 महाविद्यालयों एवं छ: विश्वविद्यालयों में इस योजना के तहत दिनांक 27.03.2015 को क्षमता निर्माण और योजना क्रियाकलापों हेतु व्यय किया गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षण माह (सितंबर 2015) तक नहीं प्राप्त हुआ। एम.एच.आर.डी. से अनुदान मिलने के एक साल बाद ₹ 104 लाख का अनुदान विभिन्न महाविद्यालयों को प्रदान किया गया, अतः उतने ही राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। साथ ही यह पाया गया कि शेष ₹ 172.81 लाख की अनुदान राशि विभाग के पास निष्क्रिय पड़ी रही। परिणामतः निधि को अवरुद्ध रखा गया एवं आर.यू.एस.ए. के तहत अनुदान राशि ₹ 276.81 लाख की सीमा तक उपयोग नहीं किया गया।

चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः अनुदानों की उचित उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जवाब में संयुक्त निदेशक ने बताया (सितंबर 2015) कि कार्यों के क्रियान्वयन में समय लगेगा तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सितंबर 2015 तक उपयोगिता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है। उपरोक्त संदर्भ में विभाग को एक स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है, जिसका जवाब तत्कालीन स्थिति (नवंबर 2016) तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार यह तथ्य पूर्ववत ही रहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र को एम.एच.आर.डी. के निर्देशानुसार उपलब्ध नहीं कराया गया।

### 3.1.5.4 रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा निधि का अवरोधन एवं अनुदानों का उपयोग न किया जाना

जिला नारायणपुर के कलेक्टर कार्यालय से लेखा एवं हकदारी कार्यालय को प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शीर्ष 41–2202–02–110–0102–307–14–001 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम से संबंधित तीन संस्थानों को वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान भुगतान किये गये सहायता अनुदानों में से कुछ अव्ययित शेष राशियां सरकार के खाते को समर्पित नहीं की गई हैं और ये राशियां अभी भी संस्थान के खाते में निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। विवरण तालिका 3.6 में प्रदर्शित किया गया है।

**तालिका 3.6: निधि का अवरोधन एवं अनुदान अनुपयोगी रहना**

(₹ लाख में)

संख्या	संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अव्ययित राशि
1	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण एवं सेवा संस्थान	2015–16	22.07	19.69	2.38
2	रामकृष्ण आश्रम, नारायणपुर	2015–16	726.77	694.16	32.61
3	श्री विवेकानंद शैक्षणिक परिसर, नारायणपुर	2015–16	51.62	46.93	4.69
योग			800.46	760.78	39.68

यह ₹ 39.68 लाख की निधि के अवरोधन के रूप में परिणित हुआ।

इसे इंगित करने पर सहायक निदेशक, लोक शिक्षण ने बताया कि विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण एवं सेवा संस्थान, जनजातिय विकास विभाग से संबंधित है और राशि संस्थान के पास पड़ी हुई है एवं इसे लेखापरीक्षा विभाग के संज्ञान में लाते हुए चालान के द्वारा विभाग शीर्ष में जमा करा दिया जायेगा एवं रामकृष्ण आश्रम एवं विवेकानंद शैक्षणिक परिसर, नारायणपुर के संदर्भ में ये बताया गया कि शेष राशि वर्ष 2016–17 में समायोजित की जाएगी।

**2217 शहरी विकास विभाग**

शहरी विकास विभाग में ₹ 2,201.18 करोड़ के वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। कुछ डी.डी.ओ. के नमूना जाँच के फलस्वरूप निम्नलिखित परिणाम प्रकट हुए:

- 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं पर की गई प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित तीन ईकाईयों को धनराशि स्वीकृत की गई जो तालिका 3.7 में प्रदर्शित है।

**तालिका 3.7: 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत निधि का अवरोधन**

(₹ लाख में)

संख्या	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष	अवरुद्ध राशि
01	नगर निकाय, कोरबा	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई एवं सेनिटेशन इत्यादि	1,414.00	744.54	669.46	669.46
02	सी.एम.ओ., नगर पंचायत, घरघोड़ा	भागिरथी नल जल योजना	15.44	4.68	10.76	10.76
03	सी.एम.ओ., नगरपालिका परिषद, कुम्हारी, दुर्ग	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वाटर सप्लाई	35.00	29.88	5.12	5.12
योग			1,464.44	779.10	685.34	685.34

13वें वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार धनराशि को निर्धारित अवधि के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए तथा उपरोक्त तीन प्रकरणों में ₹ 685.34 की अव्ययित धनराशि को सरकारी खाते में जमा कर देनी चाहिए थी। लेकिन उपरोक्त प्रकरणों में कार्य अपूर्ण रहने के कारण, न तो राशि को पूर्णतः उपयोग किया गया ना ही सरकारी खाते को समर्पण किया गया। चूंकि अनुदानों को उपयोग नहीं किया जा सका अतः इससे संदर्भित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उपरोक्त प्रकरणों में कमशः जुलाई 2015 (कोरबा), फरवरी 2016 (घरघोड़ा) एवं मार्च 2016 (कुम्हारी, दुर्ग) के प्रत्येक के लेखा परीक्षण में इसे इंगित करने पर नगर पंचायत के सी.एम.

ओ. ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि अनुदान प्राप्ति में विलंब एवं अधूरे निर्माण कार्यों की वजह से धनराशि समर्पित नहीं की गई। आगे भी विभाग को संस्मरण पत्र जारी किया गया किंतु तत्कालीन अवधि (नवंबर 2016) तक जवाब प्रतीक्षित था।

आगे सी.एम.ओ. कुम्हारी ने बताया कि ₹ 5.12 लाख की राशि में से ₹ 2.23 लाख वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान व्यय हुए एवं ₹ 2.89 लाख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्ययोजन की तैयारी हेतु तत्कालीन स्थिति (नवंबर 2016) तक लंबित था।

विभाग द्वारा अव्ययित अनुदानों के उपयोग के बारे में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने की असफलता एवं सरकारी खाते में धन राशि वापस जमा न करना प्रभावहीन आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रदर्शित करता है।

### 2515 अन्य ग्रामीण विकास

अन्य ग्रामीण विकास विभाग में ₹ 1,167.79 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक लंबित है। कुछ नमूना जांच के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- **12वें वित्त आयोग** के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों के उपयोग स्वीकृत धनराशियों के अव्यय शेष राशियों को या तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरकार को समर्पित किया जायेगा अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार अगले वर्ष के अनुदान में समायोजित, अगर कोई हो, किया जा सकता है।

**12वें वित्त आयोग** के अवधि का क्रियान्वयन 2005 से 2010 तक था। 12वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों की शेष राशियों को वित्त आयोग की समाप्ति के पश्चात् सरकारी खाते में समर्पित किया जाना चाहिए।

(अ) मई 2015 में सी.ई.ओ., जनपद पंचायत अभनपुर के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ₹ 7.37 लाख 21.10.2013 तक कैश बुक में अंत शेष के रूप में पड़े हुए थे जबकि सभी कार्य पूर्ण हो चुके थे एवं वित्त आयोग की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। सरकारी खाते में धनराशि को वर्ष 2015–16 तक समर्पित नहीं किया गया। विभाग को इस संदर्भ में स्मरण पत्र भी जारी किया जा चुका है, जिसका जवाब (नवंबर 2016 तक) प्रतीक्षित है।

इसे इंगित करने पर सी.ई.ओ. ने (नवंबर 2016) बताया कि ₹ 7.37 लाख की धनराशि को दिनांक 22.11.2016 को जिला पंचायत को प्रत्यर्पित कर दिया गया है। फिर भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि धनराशि को वर्तमान स्थिति तक सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है।

(ब) **12वें वित्त आयोग** के अनुशंसा के आधार पर राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अंतर्गत, ₹ 39.20 लाख विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बसना जिला–महासमुंद को स्वीकृत किये गये। जिसमें से ₹ 21.99 लाख व्यय के रूप में शामिल थे एवं ₹ 17.21 लाख वर्ष 2009–10 के बही खाते में अंतःशेष के रूप में पड़े थे। आगे इस राशि को वित्तीय वर्ष 2010–11 के योजनाओं में उपयोग किया गया जो अनियमित है। आगे यह भी पाया गया कि इस योजना में ₹ 19.84 लाख की कुल धनराशि दिनांक 21.05.2015 तक बैंक खाते में ही पड़ी हुई थी।

लेखा परीक्षण में इसे इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शेष राशि को 12वें वित्त आयोग की समाप्ति पर सरकारी खाते में समर्पित नहीं किया गया एवं उपरोक्त राशि को अगले वित्त वर्ष 2010–11 में अनियमित व्यय किया गया। विभाग को एक स्मरण पत्र भी जारी किया जा चुका है, जिसका जवाब (नवंबर 2016 की स्थिति तक) प्रतीक्षित है।

- 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य विशिष्ट जरूरतों के अंतर्गत निम्नलिखित तीन नमूना जाँच इकाइयों को अनुदान स्वीकृत की गई जो तालिका 3.8 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.8: 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत निधि का अवरोधन

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष	अवरुद्ध राशि
01	सी.इओ, जनपद पंचायत, बसना	विभिन्न निर्माण कार्य	40.65	19.75	20.90	20.90
02	सी.इओ, जनपद पंचायत, कुरुद	विभिन्न निर्माण कार्य	789.14	699.84	89.30	89.30
योग			<b>829.79</b>	<b>719.59</b>	<b>110.20</b>	<b>110.20</b>

13वें वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार अनुदानों को तय अवधि के अंदर उपयोग कर लिया जाना चाहिए एवं उपरोक्त दोनों प्रकरणों में ₹ 110.20 लाख की शेष अव्ययित राशि को सरकारी खाते में जमा करा देना चाहिए था। तथापि, दोनों में से प्रत्येक प्रकरणों में कार्य पूर्ण न होने की वजह से न तो धनराशि को पूर्णतया उपयोग किया गया और ना ही सरकारी खाते में समर्पित किया गया। चूंकि अनुदानों को उपयोग नहीं किया जा सका अतः इन कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

जून 2015 (बसना) एवं सितंबर 2015 (कुरुद) के लेखा परीक्षण में इसे इंगित करने पर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने आपत्ति से सहमत होते हुए बताया कि अनुदानों के मिलने में देरी एवं अधूरे निर्माण कार्यों की वजह से धनराशि को समर्पित नहीं किया जा सका। तथापि, जवाब नवंबर 2016 की स्थिति तक प्रतीक्षित है।

अव्ययित अनुदानों के उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश दे पाने में विभाग की असफलता एवं इस धनराशि को सरकारी खाते में समर्पित न कर पाना प्रभावहीन आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है।

### 3.1.5.5 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत, जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में प्रदर्शित है, विभिन्न योजनाओं के 64 प्रकरणों के लिए ₹ 48.79 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत हुए थे। परंतु उपयोगिता प्रमाण पत्र 20 महीनों के विलंब से दिनांक 20.05.2016 को प्राप्त हुए।

साथ ही, सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र के फार्म 19ए के अनुसार देना चाहिए था, जिसे विभाग द्वारा संकलित नहीं किया गया।

इन बड़ी धनराशियों को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब विभागीय अधिकारीयों के निश्चित उद्देश्यों हेतु प्रदत्त अनुदानों की समयबद्ध उपयोगिता सुनिश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन करने में असफलता को प्रदर्शित करता है।

### 3.1.6 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के गठन का उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। चुने हुए जिलों में विकास के लिए दी जाने वाली राशि के प्रवाह में वृद्धि करने तथा उसे समन्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की ऐसी नाजुक कड़ियों को जोड़ा जा सके जो मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ठीक नहीं हो पा रही है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायत और नगरपालिका स्तर की शासन व्यवस्था को क्षमता सृजन के माध्यम से पर्याप्त सुदृढ़ करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियोजन, निर्णय करने, क्रियान्वयन और निगरानी में मदद मिले ताकि स्थानीय आवश्यकताओं, क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में पेशेवर सहायता उपलब्ध कराया जा सके। पिछड़ा क्षेत्र

अनुदान निधि विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से अधूरी महत्वपूर्ण ढांचागत (विकास) अंतराल और भागीदारी विकास प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के दोहरे उद्देश्य के साथ किया गया है। अल्पावधि में, कार्यक्रम के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने और स्थानीय संस्थाओं के विकास की योजना बनाने की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए करना है। लम्बी अवधि में, इसका उद्देश्य, क्षेत्र में गरीबी कम करके एवं आजीविका की दशा में सुधार कर जिले/क्षेत्र के संपूर्ण पिछड़ेपन को कम करना है।

### **3.1.6.1 विलंब/उपयोगिता प्रमाण पत्र का अप्रस्तुतीकरण**

बी.आर.जी.एफ योजना में कार्यों की स्वीकृति के प्रशासनिक आदेशानुसार यह निर्देश दिया गया कि स्वीकृति के 90 दिनों के अंदर कार्यों को पूर्ण करके उनका मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जिला पंचायत, बिलासपुर के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान प्रकट हुआ कि वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि से संबंधित 390 कार्य तत्कालीन तिथि तक अपूर्ण थे। इसके लिए बी.आर.जी.एफ. योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को ₹ 2,034.60 लाख स्वीकृत हुए थे, जिसमें से ₹ 1,890.35 लाख व्यय हुए थे। तत्कालीन तिथि तक ₹ 144.25 लाख की राशि अव्ययित रही थी। यह अनुदानों की उपयोगिता के विलंब के रूप में परिणित है।

लेखा परीक्षण (नवंबर 2016) में इसे इंगित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि अक्टूबर 2016 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे।

यह जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इन पूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नवंबर 2016 तक प्राप्त नहीं हुए थे। आगे, यह भी है कि कार्यों को निर्धारित तीन माह की अवधि में पूरा करना था जो कि दो से पांच वर्षों की अतिरिक्त समयावधि की समाप्ति के पश्चात् पूर्ण किया गया।

### **3.1.6.2 निधि का अवरोधन**

जनपद पंचायत, नगरी के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2008–09 से 2013–14 की अवधि के दौरान बी.आर.जी.एफ योजनांतर्गत 103 कार्यों के लिए ₹ 430.27 लाख स्वीकृत हुए थे, जिसके विरुद्ध ₹ 397.67 लाख प्राप्त हुए। सभी कार्य ₹ 379.24 लाख के व्यय में पूर्ण हो चुके थे एवं ₹ 18.43 लाख की अव्ययित धनराशि दिसंबर 2015 तक खाते में पड़ी हुई थी। इस धनराशि को सरकारी खाते में समर्पित किया जाना चाहिए था। परंतु इसे समर्पित नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 18.43 लाख की निधि अवरुद्ध रही।

इसे इंगित करने पर जनपद पंचायत, नागरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आपत्ति से सहमत होते हुए बताया कि धनराशि को सरकारी खाते में शीघ्र ही समर्पित कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग को एक स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है, जिसका जवाब नवंबर 2016 की स्थिति तक प्रतीक्षित है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति से संबंधित एक नमूना जांच एवं एक विस्तृत समीक्षा से यह प्रदर्शित हुआ कि तीन विभागों (2202—सामान्य शिक्षा, 2217—नगरीय विकास विभाग, 2515—अन्य ग्रामीण विकास) के क्रमशः ₹ 574.58 लाख, ₹ 2,201.18 लाख ₹ 1,167.79 लाख के मूल्य के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अक्षमता दर्शाती है।

### 3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

#### 3.2.1 नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थाओं/संगठनों को चिन्हित करने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किये गये वित्तीय सहायता, सहायता के उद्देश्य एवं संस्थाओं के कुल व्यय का एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष के द्वारा लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में उल्लेख है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो संस्थाओं या प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई अंत तक (क) सहायता की राशि (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, कि एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेगा।

छत्तीसगढ़ के मात्र 19 संस्थाओं ने ही वर्ष 2015–16 की जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि परिशिष्ट 3.4 में संलग्न है। इस प्रकरण को मई 2016 में वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया था। नवंबर 2016 तक उत्तर प्रतिक्षित था।

राज्य के वित्त लेखों वर्ष 2015–16 से एकत्रित जानकारी के आधार पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गये 66 निकायों/संस्थानों में से 14 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नवंबर 2016 तक विभिन्न अवधियों में की गई, जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिये गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के प्रस्तुत न किये जाने के कारण विधानमंडल/सरकार को अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को कमज़ोर बनाता है।

#### 3.2.2 नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा 49 स्वायत्त निकायों को विभिन्न क्षेत्र में जैसे की कृषि, कानून, आवास, ग्रामीण विकास, वन और व्यावसायिक इत्यादि में प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य की 25 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। 25 स्वायत्त निकायों में से 22 स्वायत्त निकाय जो कि सरकारी कंपनी एवं निगमों से संबंधित हैं, कि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया गया है और उनकी लेखापरीक्षा उनके लेनदेन, परिचालन गतिविधियाँ, वार्षिक खाता, प्रणालियों के नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर संपादन किया जाता है। सौंपे गये लेखापरीक्षा की स्थिति, लेखाओं का प्रतिपादन तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने की जानकारी परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है।

परिशिष्ट 3.6 में दर्शाये अनुसार नौ प्रकरणों में लेखा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब हुआ, तीन प्रकरणों में एस.ए.आर. को विधान सभा के पटल में प्रस्तुत करने में अत्यधिक

विलंब हुआ एवं 17 प्रकरणों में एस.ए.आर को विधान सभा के पटल में प्रस्तुत ही नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायें जहाँ सरकारी राशि निवेशित हैं के वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करने एवं उन निकायों के कामकाज के जांच में देरी हो रही थी।

### 3.3 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.को.सं.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक आकस्मिक देयक में चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित पूर्व माह के सभी संक्षिप्त देयकों के लिए विस्तृत देयकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के पूरक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आगामी माह के पांचवीं तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक विस्तृत आकस्मिक देयक को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्यय में पारदर्शिता नहीं होती है। दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति में वर्ष 2015–16 में आहरित ₹ 645.86 करोड़ राशि के 303 ए.सी. देयक लंबित थे।

वर्षवार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों के जमा करने में विलम्ब की जानकारी वर्ष 2011–16 के लिए तालिका 3.9 में दिया गया है।

**तालिका 3.9: संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की स्थिति**

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित ए.सी. देयक		वर्ष के दौरान जमा किए गए डी.सी. देयक		बकाया ए.सी. देयक		(₹ करोड़ में) बकाया डी.सी. देयक प्रतिशत में
	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	
2011–12	70	4.53	208	6.93	278	11.46	0	0	0
2012–13	0	0	206	6.22	106	1.93	100	4.29	68.97
2013–14	100	4.29	378	472.25	391	413.41	87	63.13	13.37
2014–15	87	63.13	412	733.31	479	717.06	20	79.37	10.82
2015–16	20	79.37	1418	5,491.72	1135	4,925.23	303	645.86	11.76
<b>योग</b>	<b>277</b>	<b>151.32</b>	<b>2622</b>	<b>6,710.43</b>	<b>2389</b>	<b>6,069.09</b>	<b>510</b>	<b>792.65</b>	<b>11.81</b>

(झोल: वित्त लेखे वर्ष 2015–16 तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा संग्रहित जानकारी)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान सबसे ज्यादा संक्षिप्त देयक आहरित किए गए। 31 मार्च 2016 तक, 303 विस्तृत देयक लंबित थे। कुल ₹ 645.86 करोड़ के 303 संक्षिप्त आकस्मिक देयक मुख्यतः खाद्य संरक्षण एवं माल भंडारण (₹ 338.24 करोड़), ऊर्जा (₹ 281.02 करोड़), उद्योग (₹ 9.68 करोड़), लौह एवं इस्पात पर पूँजीगत व्यय (₹ 9.00 करोड़) तथा ग्राम एवं लघु उद्योग (₹ 7.80 करोड़) के थे। मुख्य शीर्षवार बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयक जिसके विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, का विवरण परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 में संक्षिप्त आकस्मिक देयक पर निकले गए ₹ 5,491.72 करोड़ में, ₹ 266.14 करोड़ (4.85 प्रतिशत) ए.सी. देयक, मार्च 2016 के माह में ही आहरित किये गये थे, जिनमें ₹ 37.94 करोड़ (0.69 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर आहरित किया गया था। ए.सी. देयक पर आहरित महत्वपूर्ण व्यय यह

दर्शाता है कि यह मुख्य तौर पर बजट को समाप्त करने के लिए था तथा यह अपर्याप्त बजटीय योजना को दर्शाता है।

पूर्व में आहरित किये ए.सी. देयक के विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा किए बिना ए.सी. देयक आहरित करना, प्रावधान के विरुद्ध है जैसा कि उपरोक्त वर्णित है। सूक्ष्म परीक्षण में यह ज्ञात हुआ कि इन विभागों के सारे देयक सहायक अनुदान से संबंधित थे। सहायक अनुदान आकस्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं और उन्हें सहायक अनुदान देयकों पर आहरित करना चाहिए।

चूंकि डी.सी. देयक नियंत्रण अधिकारी द्वारा जमा नहीं किया गया था, इसलिए ए.सी. देयक पर आहरण के कारण राज्य का व्यय उस वर्ष के दौरान अधिक बताया गया।

### 3.4 व्यक्तिगत जमा खाते की जांच

व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते एक ऐसा जमा खाता है जो प्रशासकों के नाम से कोषालय में रखा जाता है। धन को 8443–सिविल जमा–106–व्यक्तिगत जमा के तहत रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग के अनुमोदन से खोले जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता नियम–543 के अनुसार पीडी खातों के रखरखाव के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में, पीडी खाते राज्य की संचित निधि को आंकलित कर खोले जाने के लिए अधिकृत हैं। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व में सुसंगत सेवा शीर्ष में ऋण विकलन द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। पीडी खाते की शेष राशि को शासकीय खातों में संचित निधि में जमा करने की कार्यवाही वर्ष के समाप्ति के पूर्व को किया जाना चाहिए। राज्य शासन द्वारा मार्च 2016 में विभिन्न मुख्य शीर्ष से ₹ 3.04 करोड़ राशि निकाल कर व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किये गये जिसका विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 3.8 में दी गई है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस प्रकार का स्थानांतरण बजट प्रावधानों की व्यपगत होने से बचाव की ओर इंगित करता है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान पीडी खाते में लेन–देन का वर्षवार विवरण तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.10: राज्य की पीडी खाते की शेष का वर्षवार विवरण वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक**

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष में वृद्धि / प्राप्तियां		वर्ष के अंत शेष / वितरण		बकाया		(₹ करोड़ में)
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2011–12	153	496.30	0	4,669.96	10	437.08	143	729.22	
2012–13	143	729.22	01	25.00	07	148.43	137	605.79	
2013–14	137	605.79	209	1,388.51	24	328.68	322	1,665.62	
2014–15	322	1,665.62	37	640.52	135	675.32	224*	1,630.82	
2015–16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46	
<b>योग</b>		<b>252</b>			<b>201</b>				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

\* 31 मार्च 2015 के अंतर्शेष की संख्या एवं 01 अप्रैल 2015 के प्रारंभिक शेष की संख्या में अंतर पुनर्मिलान के कारण हुआ है।

अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान 252 पीडी खाते खोले गये तथा 201 बंद किये गये। 31 मार्च 2016 की अवधि में 292 पीडी खाते प्रचलन में थे।

पीडी खाते में अंत शेष यह दर्शाता है कि नियमानुसार प्रशासक द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सुसंगत सेवा शीर्ष में ऋण विकलन द्वारा बंद नहीं किया गया है। क्योंकि पीडी खाते में राशि का स्थानांतरण राज्य के संचित निधि से अंतिम खर्च को बताता है, पीडी खाते के बंद न होने के फलस्वरूप संचित निधि से खर्च के आधिक्य को दर्शाता है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान पीड़ी खाते में कुल शेष तालिका 3.10 में दिया गया है।

उपर दिये गये तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान पीड़ी खाते में अंतिम शेष राशि ₹ 729.22 करोड़ से बढ़कर ₹ 1696.46 करोड़ तक हो गया है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 584 से 590 के नीचे राज्य शासन के निर्देशानुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष एवं मार्च माह के धन एवं ऋण ज्ञापन के अनुसार अंतिम शेष बराबर है, यदि इसमें अंतर हो तो अंतर की राशि का समाधान तत्काल किया जावे। परंतु 31 मार्च 2016 के अवधि में राशि ₹ 17.52 करोड़ का पुनर्मिलान नहीं किया गया। पीड़ी खाते का कोषालय खाते के साथ नियमित पुनर्मिलान कराना संबंधित प्रशासक की जिम्मेदारी होती है।

31 मार्च 2016 की स्थिति में पीड़ी खाते प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रशासकों से संबंधित हैं:

#### तालिका 3.11: 31 मार्च 2016 की स्थिति में पीड़ी खाते में अंतर्शेष के साथ प्रशासकों के नाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रशासकों के नाम	राशि
1	भू—अर्जन अधिकारियों (कलेक्टरों, उपसंभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों)	1414.99
2	सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास	57.76
3	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर	83.24
4	संभागीय वन अधिकारियों	62.75
5	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं—1, रायगढ़	15.01
6	अधीक्षक जेल	14.19

(स्रोत: माह मार्च 2016 के धन ऋण ज्ञापन)

बकाया शेष मुख्य रूप से भू—अधिग्रहण मुआवजा, आश्रमों एवं छात्रावास का निर्माण कार्य, प्रक्रिया शुल्क दोहन की पंजीयन शुल्क, परिवहन, पेड़ कटाई, सीमांकन, मुनारा का निर्माण तथा कैदी के मजदूरी को पीड़ित परिवार को देना एवं खाद्य सुरक्षा निधि आदि।

वर्षों से जमा खाते में शेष बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है एवं शेष राशि को वापस करने के लिए प्रावधानों का पालन करने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक था।

#### 3.5 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—1 के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि लोक धन की हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि अचल संपत्ति जैसे भवन, सड़क एवं पुलिया की अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई हानि को भी महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अनुसरण में विभागों को विस्तृत जाँच करके हानि के कारणों तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों/कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 2,218 लंबित प्रकरणों में ₹ 117.02 करोड़ शासकीय धन का मार्च 2016 के अंत तक निर्णयात्मक जाँच एवं निपटारा अपेक्षित था। ऐसे लंबित प्रकरणों का विभागवार तथा श्रेणीवार स्थिति परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है। प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी एवं हानि के लंबित प्रकरण को तालिका 3.12 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

लंबित प्रकरणों की अवधि		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	493	7,169.65
5 – 10	450	3,094.69
10 – 15	287	508.39
15 – 20	254	510.85
20 – 25	368	293.54
25 एवं उससे अधिक	366	125.75
<b>योग</b>	<b>2218</b>	<b>11,702.87</b>

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
चोरी	114	51.41
संपत्ति / सामग्रियों की हानि	2033	11,419.37
गबन	71	232.09
<b>कुल लंबित प्रकरण</b>	<b>2218</b>	<b>11,702.87</b>

आगे विश्लेषण यह दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित है उनको तालिका 3.13 में पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.13: हानि एवं गबन आदि के प्रकरणों के लंबित रहने के कारण

(₹ लाख में)

क्र.	प्रकरण विलम्ब / लंबित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	प्रत्याशित विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान	3	3.14
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अनिर्णित नहीं	717	1,786.79
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन प्रमाणिक प्रकरण की राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित	1	0.01
4	वसूली / अपलेखन के आदेश अपेक्षित	1454	9,831.61
5	न्यायालय में प्रकरण लंबित	43	81.31
	<b>योग</b>	<b>2218</b>	<b>11,702.87</b>

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 2,218 लंबित प्रकरणों में 1,454 प्रकरण (65 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 9,831.61 लाख था, विभागों/शासन द्वारा वसूली अथवा अपलेखन आदेश न जारी किए जाने के फलस्वरूप लंबित था। यह इंगित करता है कि विभागों/शासन के द्वारा विलंब से कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासकीय धन की वसूली या प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया।

इसके अलावा ₹ 1,786.79 लाख की 717 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी जो 31 मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं हो पाया।

विभिन्न विभागों के 51<sup>1</sup> प्रकरणों से संबंधित कुल मूल्य ₹ 13.04 लाख वसूली कर वर्ष 2015–16 शासकीय खातों में जमा किया गया। संपूर्ण जानकारी परिशिष्ट 3.11 में दर्शायी गई है।

**3.6 लघु शीर्ष “800–अन्य प्राप्तियाँ” एवं “800–अन्य व्यय” के अंतर्गत समायोजन**

चूंकि सरकार की अधिकांश गतिविधि संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची जो कि महालेखानियंत्रक द्वारा पारित है, में उल्लेखित है, बजट नियंत्रक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु शीर्ष “800–अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय” का परिचालन कम से कम हो। वर्ष 2015–16 के वित लेखे की जाँच में पाया गया कि 41 मुख्य शीर्षों में प्रमाणित ₹ 1,012.06 करोड़, जो कि पूर्ण व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 3.48 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष “800–अन्य व्यय” में वर्गीकृत किया गया है।

<sup>1</sup> वन 36 प्रकरण (₹ 12.00 लाख), पुलिस 13 प्रकरण (₹ 0.77 लाख), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं एक प्रकरण (₹ 0.26 लाख) तथा स्कूल शिक्षा एक प्रकरण (₹ 0.02 लाख)

यह भी देखा गया है कि वित्त लेखे (राजस्व एवं पूंजीगत) के पांच मुख्य शीर्षों<sup>2</sup> में ₹ 856.08 करोड़, जो कि कुल व्यय (₹ 1,117.28 करोड़) का 77 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय में वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्षों के कुल व्यय का 62 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में उल्लेखित है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों का ₹ 7,707.13 करोड़, जो कि मुख्य शीर्षों की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 30,367.59 करोड़) का 25.38 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियों” में वर्गीकृत किया गया है। 16 मुख्य शीर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 9,205.05 करोड़ में से ₹ 6,280.27 करोड़ (68.23 प्रतिशत) को लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियों” में वर्गीकृत किया गया। लघु शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 से 124 प्रतिशत के बीच रहा। विवरण परिशिष्ट 3.13 में दर्शाया गया है।

जांच में यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 4700—मुख्य सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय एवं 4701—मध्यम सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय, निर्माण कार्य जैसे सेतु एवं संबंधित कार्य जो कि क्रमशः ₹ 470.53 करोड़ (79.81 प्रतिशत) एवं ₹ 54.25 करोड़ (81.69 प्रतिशत) को लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया। यह लघु शीर्ष—051—निर्माण में दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 3275—अन्य संचार सेवायें जैसे लैपटॉप/टैबलेट, स्वान परियोजना, डिजिटल शासन, ई—जिला परियोजना, वाई—फाई शहर परियोजना इत्यादि पर ₹ 120.79 करोड़ (100 प्रतिशत) व्यय को लघु शीर्ष 101 या 102 के बजाय लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया, जो कि अनियमित था।

लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियाँ” एवं “800—अन्य व्यय” में दर्ज की गई अधिक मात्रा की राशि, वित्त प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है क्योंकि यह लेखे में शासन के विभिन्न गतिविधियों का अलग—अलग जानकारी इंगित करने में विफल रहता है।

### 3.7 राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण

भारतीय लेखा नियम 1990 में नियम 30 एवं सी.जी.एफ.सी. के कंडिका 324 में उल्लेखित है कि किसी व्यय की किस तरह समेकित निधि के राजस्व या पूंजीगत शीर्ष में वर्गीकृत करना है।

1 पूंजीगत व्यय के संबंध में मोटे तौर पर परिभाषित है कि ऐसा खर्च जो ठोस एवं स्थायी परिसंपत्ति को बढ़ाने के लिए हो उसे पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकृत किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय अथवा स्थानीय निकायों अथवा संस्थाओं को सहायता अनुदान पर व्यय जो की उस निकाय या संस्था की संपत्ति बनाने के लिए किया गया हो उसको आम तौर पर पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महाराजा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत मामलों को छोड़कर पूंजीगत खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा।

2 बजट ऑकलन एवं शासकीय लेखे दोनों में पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय से अलग रखा जाएगा।

3 अस्थायी संपत्ति पर व्यय को आमतौर पर पूंजीगत व्यय के प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता।

4 पूंजीगत और राजस्व खातों के बीच एक पूंजीगत योजना पर होने वाले खर्च के आवंटन का मुख्य सिद्धांत है:- (अ) पूंजीगत खाते को प्रथम निर्माण और उपकरण के खर्च तथा प्रोजेक्ट चालू होने से पहले का रख—रखाव को वहन करना चाहिए। यह आगे का परिवर्धन और सुधार का खर्च भी नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुसार किए गए वहन करना चाहिए। (ब) प्रोजेक्ट खोलने के बाद का रख—रखाव तथा सभी काम

<sup>2</sup> 1. सामान्य विविध सेवाओं, 2. अन्य संचार सेवाओं 3. मध्यम सिंचाई 4. मुख्य सिंचाई  
5. उर्जा परियोजना पर पूंजीगत व्यय

कर रहे खर्च को राजस्व खाता ही वहन करेगा। परियोजना के काम करने और रखरखाव पर किये गये सभी व्यय तथा सरकार द्वारा निर्धारित नवीनीकरण और प्रतिस्थापना इसके अलावा सुधार या विस्तार पर खर्च को भी राजस्व खाते के नामें किया जायेगा।

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि को दर्शाता है। भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 के अनुसार सहायक अनुदान पर व्यय का वर्गीकरण, अंतिम उपयोग को, राजस्व व्यय में किया जाता है।

वर्ष 2015–16 में छत्तीसगढ़ शासन ने गलत तरीकों से सरकारी अनुदान राशि जो कि परिसंपत्ति निर्माण के लिए था, ₹ 1,349.92 करोड़ (**परिशिष्ट 3.14**) का बजट आंकलन में, उसके समावेशन को पूँजीगत मुख्य शीर्ष में किया जबकि इसको राजस्व शीर्ष में करना चाहिए था।

वर्ष 2015–16 में छत्तीसगढ़ शासन के स्वीकृति आदेश की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कार्य जिसके लिए स्वीकृति आदेश दिया गया था, वे राजस्व स्वभाव के थे और उनको पूँजीगत क्षेत्र में लिया गया एवं पूँजीगत कार्य को राजस्व क्षेत्र में लिया गया। यह शासन वित्तीय नियमों का उल्लंघन था एवं यह अनियमित था। खर्च की स्वीकृति की गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.66 करोड़ राजस्व में कमी/पूँजीगत व्यय में वृद्धि एवं ₹ 6.21 करोड़ की पूँजीगत व्यय में कमी/राजस्व व्यय में वृद्धि हुआ है। जानकारी **परिशिष्ट 3.15** में दी गई है।

### 3.8 विविध लोक निर्माण अग्रिम के समायोजन

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, कंडिका 13.4 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण विभाग को विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखा संधारण करना चाहिए। विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखा एक उचन्त लेखा है जो कि (1) उधार बिक्री<sup>3</sup> (2) जमा कार्यों में प्राप्ति से अधिक व्यय (3) हानि, अपवर्तन, त्रुटि, इत्यादि<sup>4</sup> (4) अन्य मदों में व्यय<sup>5</sup> कि लेन-देनों का लेखा रखा जाता है। वसूली योग्य राशि जिनका वसूली नहीं हो सकता है उन राशि को किसी अन्य मदों में स्थानांतरित अथवा अपलेखन नहीं किया जा सकता जब तक कि इस हेतु आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो। जमा कार्यों को छोड़कर किसी राशि जैसे कि स्वीकृति का अभाव, असम्पूर्ण स्वीकृति अथवा विनियोजन के अभाव के कारण उचन्त लेखे में स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। विविध लोक निर्माण अग्रिम के मुख्य शीर्ष 2059–799–उचन्त लेखा के अंतर्गत में विकलन होगा एवं विविध लोक निर्माण अग्रिम के विस्तृत लेखा फार्म 67 “उचन्त लेखा पंजी” में रखा जायेगा। ऐसे मदों पर व्यय जो कि जमा कार्यों पर प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय के श्रेणी में आते हैं उनके विस्तृत विवरण इस खाते में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जमा कार्यों पर व्ययों के लेखा-जोखा पृथक रूप से जमा कार्यों के अनुसूची (फार्म 65) में रखा जाता है। अन्य तीनों मदों के लिए पृथक फोलियों आरक्षित कर विस्तृत रूप से रखा जाना चाहिए जिससे प्रत्येक मदों को व्यक्तिगत रूप से समायोजन हेतु निगरानी किया जा सके। सभी वर्गों के समग्रता को दर्शाते हुए सार तैयार किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक वर्गों के सभी मदों का विवरण बनाना चाहिए ताकि समायोजन की व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके।

<sup>3</sup> उधार बिक्री— जब भंडार की किसी सामग्री को उधार पर बेचा जाता है तो उसकी कीमत एवं पर्यवेक्षण व्यय यदि वसूली योग्य हो आदि विविध लोक निर्माण अग्रिम के (उधार बिक्री) मद में भारित किया जायेगा जिससे कि भंडार-लेखा सटिक रूप से रखा जा सके एवं व्यक्ति अथवा विभाग से वसूली योग्य राशि की निगरानी की जा सके।

<sup>4</sup> हानि, अपवर्तन, त्रुटि इत्यादि— प्रकरण जैसे कि (क) नगद या भंडार में कमी, (ख) नगद या भंडार का वास्तविक हानि, (ग) समायोजन हेतु अपेक्षित लेखा में त्रुटि, (घ) शासकीय सेवक से वसूली योग्य अपवर्तन एवं हानि प्रकरण आदि।

<sup>5</sup> अन्य मदों में व्यय— ऐसे मदों में व्यय जिनका शीर्ष ज्ञात न हो एवं वसूली हेतु अपेक्षित हो।

### 3.8.1 असमायोजित विविध लोक निर्माण अग्रिम (एम.पी.डब्ल्यू.ए.) की स्थिति

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को तीन विभाग द्वारा जमा किए गए मासिक लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2016 तक विविध लोक निर्माण अग्रिम के तहत ₹ 118.12 करोड़<sup>6</sup> असमायोजित पड़े थे। जिसका विवरण परिशिष्ट 3.16 में दिया गया है। तीन<sup>7</sup> निर्माण विभाग की लंबित एम.पी.डब्ल्यू.ए. अग्रिम की वर्षवार जानकारी तालिका 3.14 में दी गई है।

**तालिका 3.14: वर्षवार लंबित एम.पी.डब्ल्यू.ए. लेखाओं को दर्शाती तालिका**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग			योग
	लोक निर्माण विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	जल संसाधन विभाग	
2013–14	60.30	27.93	44.16	132.39
2014–15	59.98	28.35	42.24	130.57
2015–16	50.53	27.16	40.43	118.12

तीन निर्माण विभाग उच्चत शीर्ष को समाशोधन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहा। उचित अवधि के बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग की राशि न तो समायोजित की गई और न ही वसूली की गई।

### 3.9 कर्मकार उपकर के अंतिम उपयोग

#### 3.9.1 परिचय

कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, सनिर्माण पर उपकर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए अधिनियमित किया गया। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 (1) के प्रयोजनों के लिए उपकर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण किसी नियोजक द्वारा उपगत सनिर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अनाधिक किन्तु एक प्रतिशत से कम नहीं के दर से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय समय पर विनिर्दिष्ट करें। तदनुसार राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 बनाया गया एवं दिनांक 13 जून 2008 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन सितम्बर 2008 किया गया। मण्डल इस प्रकार संग्रहित निधि का उपयोग कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के उद्देश्य हेतु करेगा।

भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने सभी श्रम निरीक्षकों एवं श्रम उपनिरीक्षकों को उपकर संग्रहण अधिकारी और सभी सहायक श्रम आयुक्तों एवं श्रम अधिकारी को, आंकलन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 2011–16 के दौरान मण्डल द्वारा 22 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जो परिशिष्ट 3.17 में दर्शाया गया है।

#### 3.9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कर्मकार उपकर के अंतिम उपयोग की लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- बकाया निधि का उचित रूप से संग्रहण, जमा एवं इच्छित उद्देश्य हेतु उपयोग।
- क्या निधि निष्क्रिय या अप्रयुक्त पड़ी हुई है

<sup>6</sup> लोक निर्माण विभाग (₹ 50.53 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 40.43 करोड़), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (₹ 27.16 करोड़)

<sup>7</sup> लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।

### 3.9.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि कर्मकार उपकर के अंतिम उपयोग पर लेखापरीक्षा सितम्बर–अक्टूबर 2016 के दौरान संपादित किया गया। 27 जिला कोषालयों में से सात<sup>8</sup> संबंधित जिलों के अधिकातम आबंटन के आधार पर चयनित किये गये थे। चयनित सात जिलों के वर्षवार आबंटन, व्यय और शेष का विवरण परिशिष्ट 3.18 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा मानदंड विभिन्न आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, श्रम विभाग, वित्त विभाग और श्रम कल्याण मण्डल के निर्देशों एवं लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग के मासिक लेखों/फार्म–79 के आधार पर निर्धारित किए गये हैं।

### 3.9.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 3.9.4.1 वित्तीय प्रबंधन

अधिनियम के अनुसार, संगृहीत उपकर भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को देय है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा संगृहीत उपकर मण्डल को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भेजे गये थे या जिला श्रम कार्यालयों के उद्देश्य हेतु खोले गये मण्डल के बचत खाते में जमा किये गये थे। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में उपकर प्राप्ति एवं व्यय की वर्षवार जानकारी तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: कर्मकार उपकर की वर्षवार प्राप्ति और उपयोगिता

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	उपार्जित व्याज /अन्य प्राप्तियाँ	कुल	व्यय	अंतिम शेष	(₹ करोड़ में) उपलब्ध निधि की उपयोगिता का प्रतिशत
2011–12	38.64	62.40	2.78	103.82	12.26	91.56	11.81
2012–13	91.56	85.27	6.28	183.11	57.91	125.20	31.63
2013–14	125.20	134.81	9.81	269.82	104.23	165.59	38.63
2014–15	165.59	131.92	13.71	311.22	62.98	248.24	20.24
2015–16	248.24	126.90	21.36	396.50	121.95	274.55	30.76

(स्रोत : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)

तालिका से देखा जा सकता है कि मण्डल उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं कर सका तथा अवधि 2011–16 के दौरान उपलब्ध निधि की उपयोगिता का प्रतिशत 11.81 से 38.63 के बीच था एवं वर्ष 2011–12 में विभिन्न योजनाओं में उपयोगिता का प्रतिशत बहुत ही कम था।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि व्यय का प्रतिशत की गणना संबंधित वर्ष के केवल कुल प्राप्तियों के आधार पर किया गया और उसके अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 में व्यय कम था। आगे यह भी कहा कि अधिकांश योजनाओं जैसे— विवाह सहायता, प्रसुति आदि में अनुग्रह राशि का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका और लाभार्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ही भुगतान किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विगत वर्षों की बड़ी धनराशि उपलब्ध थी लेकिन असंगत योजना एवं लक्ष्यों के निर्धारण के कारण, उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

### 3.9.4.2 चेक अस्वीकृत होने के कारण ₹ 6.08 करोड़ की निधियों का मण्डल के खाते में जमा नहीं होना।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (सितम्बर 2009) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत संगृहीत उपकर को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मण्डल के खाते में जमा किया जाना चाहिए एवं पुनः जून 2013 में जारी आदेशानुसार संगृहीत राशि को मण्डल के खाते में या तो बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि अपर्याप्त धन, कालातित चेक एवं हस्ताक्षर में अंतर इत्यादि कारण से वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में राशि ₹ 10.16 करोड़ का चेक अस्वीकृत हुआ जो सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी और अन्य विभागों एवं अभिकरणों से प्राप्त किए गए थे। ये चेक पुनर्वैधीकरण/संशोधन के लिए वापस किए गए थे जिसमें से ₹ 4.08 करोड़ के चेक पुनर्वैधीकरण/संशोधन किये गये तथा शेष राशि ₹ 6.08 करोड़ अभी भी समाशोधित नहीं हुए हैं। वर्ष 2011–12 में समाशोधन का प्रतिशत बहुत कम (0.46 प्रतिशत) था तथा अवधि के दौरान 0.46 प्रतिशत से 96.37 प्रतिशत के बीच रहा (परिशिष्ट 3.19)। इस प्रकार उपरोक्त राशि बोर्ड निधि का हिस्सा नहीं हुआ जो श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित किया गया था और इस प्रकार ₹ 6.08 करोड़ का नुकसान हुआ।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि अस्वीकृत चेक के बदले में नया चेक प्रस्तुत करने हेतु सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं। यह भी कहा गया कि संबंधित सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी को समय समय पर संशोधित चेक जमा करने हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया तथा जिन संस्थाओं/व्यक्तिओं के चेक अस्वीकृत थे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

### 3.9.4.3 अपात्र महिला श्रमिकों को ₹ 81.25 लाख का अनियमित भुगतान।

अधिसूचना क्रमांक 12, दिनांक 27 नबंवर 2012 तथा पुनः संशोधित (अधिसूचना क्रमांक 29, दिनांक 01 जून 2013) के अनुसार 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के पंजीकृत महिला श्रमिक मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत लाभ के लिए पात्र थे।

मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि अपात्र महिला श्रमिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से ज्यादा थी, कुल 2963 सायकल वितरित किये गये इसकी जिलावार जानकारी परिशिष्ट 3.20 में दर्शाया गया है। इस प्रकार से योजना के तहत सायकल की अनियमित मंजूरी के कारण ₹ 81.25 लाख मूल्य के सायकल (2963\*2742 प्रति सायकल) का अनियमित वितरण किया गया।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्तों एवं श्रम अधिकारियों की सत्यापन एवं आवश्यक सुधार हेतु पत्र जारी किया गया है तथा 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

### 3.9.4.4 अपात्र पुरुष श्रमिकों को ₹ 4.41 लाख का अनियमित भुगतान।

18 से 50 वर्ष की आयु के बीच के पंजीकृत पुरुष श्रमिकों (दिसम्बर 2013 तक पंजीकृत) को मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत सायकल वितरित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आदेश क्रमांक 60/2015 दिनांक 25 मई 2015 जारी किया गया।

मण्डल के अभिलेखों के जांच के दौरान यह पाया गया कि 50 वर्ष से अधिक आयु के 161 पुरुष श्रमिकों को योजना के तहत सायकल प्रदान किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.21 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप संबंधित सहायक श्रम

आयुक्त/श्रम अधिकारी द्वारा अपात्र लाभार्थियों को ₹ 4.41 लाख (161\*2742) का अनियमित भुगतान किया गया।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि सत्यापन एवं तथ्य को प्रस्तुत करने हेतु सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी को पत्र जारी किया गया है ताकि लेखापरीक्षा दल को सूचित किया जा सके।

यद्यपि अभी तक इस संबंध में अब तक (नबंवर 2016) मण्डल से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

### 3.9.4.5 समान लाभार्थी को दोहरा लाभ प्रदाय किये जाने के कारण ₹ 48.47 लाख का अधिक भुगतान।

मण्डल के अधिसूचना क्रमांक 11, दिनांक 27 नबंवर 2012 (समय—समय पर संशोधित) के अनुसार वैसी पंजीकृत महिला श्रमिकों जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच है और जो पहले कभी भी मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत लाभ नहीं लिए हैं, वे मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना के पात्र हैं।

मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कुल 1374 श्रमिक (799+575) दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया जिसमें से 799 वैसे श्रमिक थे जो सिलाई मशीन का लाभ ले चुके थे उनको सायकल प्रदान किया गया और 575 वैसे श्रमिक थे जो पहले से ही सायकल का लाभ ले चुके थे उनको सिलाई मशीन प्रदान किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.22 में दर्शाया गया है। इस प्रकार मण्डल के श्रमिकों को दोहरा लाभ देने के कारण सिलाई मशीन योजना के तहत (799\*2742+575\*4620 = ₹ 48.47 लाख) अधिक भुगतान हुआ।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव द्वारा बताया गया कि पत्र जारी किया गया है एवं सहायक श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों को तथ्यों की सत्यापन करने तथा गलती करने के मामले में वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही तथा तीन दिवस के अंदर सूचित करने हेतु निर्देश दिए गये हैं।

यद्यपि अभी तक इस संबंध में अब तक (नबंवर 2016) मण्डल से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

### 3.9.4.6 विभिन्न योजनाओं में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होना।

मण्डल के विभिन्न अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा।

मण्डल के अभिलेखों के जांच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण तालिका 3.16 में वर्णित है।

तालिका 3.16 : वर्षवार आबंटन एवं कार्य की स्थिति

स. क.	वर्ष	योजना का नाम	लाभार्थियों की लक्ष्य संख्या	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2011–12	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन	10,000	7,715	77.15
2	2011–12	मुख्यमंत्री औजार सहायता	10,000	5,960	59.60
3	2011–12	मुख्यमंत्री सायकल सहायता	10,000	6,235	62.35
4	2012–13	मुख्यमंत्री कौशल विकास	15,000	353	2.35
	2013–14	मुख्यमंत्री कौशल विकास	15,000	2,747	18.31
5	2014–15	मुख्यमंत्री कौशल विकास	15,000	10,711	71.41
	2014–15	नौनिहाल छात्रवृत्ति	1,25,000	49,710	39.77

2015–16	नौनिहाल छात्रवृत्ति	1,25,000	1,10,351	88.28
(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)				

**तालिका 3.16** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–12 में सिलाई, औजार और सायकल सहायता योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया और आगे के वित्तीय वर्षों में भी इन तीन योजनाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। इसके अलावा वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार 2014–15 से 2015–16 के दौरान नौनिहाल योजना का निर्धारित लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि योजनाओं को लाभ आवेदनों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। यह भी बताया गया कि 2012–13 एवं 2013–14 में मुख्यमंत्री कौशल विकास और 2014–15 में नौनिहाल योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हासिल नहीं हुआ।

सिलाई मशीन सहायता योजना और सायकल सहायता योजना एवं अन्य योजनाओं के संबंध में यह बताया गया कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है।

उत्तर दर्शाता है कि आवेदन प्राप्त करने एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

#### 3.9.4.7 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि ₹ 46.59 करोड़ अवितरित रहना

मण्डल के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों के सहायक श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों को ₹ 222.82 करोड़ आंबटित किये थे। यद्यपि यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में ₹ 176.23 करोड़ के व्यय किये गये तथा ₹ 46.59 करोड़ शेष पड़ा रहा जैसा कि परिशिष्ट 3.23 में वर्णित है।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि अपर्याप्त बजट के कारण कुछ योजनाओं में आबंटन से अधिक व्यय करने की अनुमति दी गई है। बजट का आबंटन जिले द्वारा मांग के आधार पर किया जाता है। यह भी कहा गया कि जहाँ कोई राशि अनुपयोगी पड़ी रहती है तो उसको आगामी वर्ष में समायोजित किया जाता है।

#### 3.9.4.8 अभिलेखों का संधारण, रोकड़ बही और पासबुक में अंतर पाया जाना और आबंटन से अधिक व्यय किया जाना।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 के अनुसार सभी वित्तीय लेनदेनों की प्रवृष्टि होने के तुरन्त बाद रोकड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिए तथा रोकड़ बही के प्रभारी को प्रमाणित करना चाहिए कि सभी प्रविष्टियां रोकड़ बही लिखने वालों द्वारा सत्यापित हैं। रोकड़ बही समय–समय पर बंद एवं पूरी तरह से जांच किया जाना चाहिए। रोकड़ बही के प्रविष्टियों की योग की जांच रोकड़ बही प्रभारी या किसी जिम्मेदार अधीनस्थ के माध्यम से की जानी चाहिए।

चयनित जिलों के रोकड़ बहियों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः

श्रम कार्यालय राजनांदगांव में अवधि 2011–16 के दौरान रोकड़ बही में रोकड़ शेषों का 16 सितम्बर 2015 के बाद आगे नहीं ले जाया गया एवं विभिन्न योजनाओं के खाता बहियों का संधारण नहीं किया गया था।

2. 16 मार्च 2012 से 30 जून 2015 के बीच रोकड़ बही का संधारण किया गया था लेकिन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था और 30 जून 2015 के बाद रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है। श्रम कार्यालय दुर्ग में अवधि 2011–16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के खाता बहियों को संधारण नहीं किया गया था।

3. श्रम कार्यालय बिलासपुर के रोकड़ बही एवं पासबुक के शेषों के मध्य ₹ 25.80 लाख (रोकड़ बही शेष ₹ 71,45,090 और बैंक पासबुक ₹ 97,24,745) का अन्तर पाया गया जो यह दर्शाता है कि बैंक से पुनर्मिलान नहीं किया गया है।

4. रोकड़ बही 7 अप्रैल 2015 के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया और श्रम कार्यालय रायपुर में 31 मार्च 2016 को रोकड़ बही और पासबुक के शेषों के बीच ₹ 1.51 करोड़ (रोकड़ बही शेष ₹ 3,64,28,517 और पासबुक – ₹ 5,04,80,372 + ₹ 11,29,575) का अंतर था।

5. श्रम कार्यालय बलौदा बाजार के रोकड़ बही और पासबुक के शेषों के बीच ₹ 1.52 करोड़ का अन्तर पाया गया। आगे यह भी पाया गया कि केवल विवाह सहायता योजना का खाता बही संधारित किया गया लेकिन रोकड़ बही एवं विवाह सहायता योजना के खाता बही में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर बिना मुहर के पाया गया। 2011–16 के अवधि में अन्य योजनाओं के खाता बहियों को संधारित नहीं किया गया।

6. श्रम कार्यालय महासमुन्द 2011–12 से 2012–13 के अवधि में आंबटन से अधिक ₹ 37,450 व्यय किया गया। अधिक व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

मदों का आंबटन एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.17** में वर्णित है।

**तालिका 3.17 : वर्षावार आंबटन एवं कार्य का स्थिति**

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	शीर्ष का नाम	आंबटन	व्यय	आंबटन से अधिक
1	2011–12	वाहन मरम्मत	3,000	3,553	553
2	2012–13	सम्मेलन	1,40,000	1,73,300	33,300
3	2012–13	लेखन सामग्री	20,000	23,597	3,597
<b>कुल</b>			<b>1,63,000</b>	<b>2,00,450</b>	<b>37,450</b>

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)

इंगित किये जाने पर बोर्ड के सचिव ने बताया कि इस संबंध में संबंधित सहायक श्रमायुक्तों/श्रम अधिकारियों को उनके द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में सूचित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

#### 3.9.4.9 बैठकों का आयोजन नहीं किया जाना।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (7 फरवरी 2012) प्रत्येक भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल दो महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा। साथ ही अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन, उठाये गए कदमों, योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने एंवं क्रियान्व्यन तथा योग्य आवेदकों को निधियों के वितरण से संबंधित कार्यवृत्त को सरकार के सचिव (श्रम), प्रत्येक त्रैमासिक को प्रस्तुत करेगा।

मण्डल के अभिलेखों के जांच के दौरान पाया गया कि उच्चतम न्यायालयों के आदेश द्वारा छह बार के विरुद्ध बैठकों का आयोजन वर्ष 2012–13 में 5 बार, वर्ष 2013–14 में तीन बार, 2014–15 में एक बार और 2015–16 में चार बार आयोजित किए गए थे। इसके अलावा प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासिक रूप से सरकार के सचिव (श्रम) को प्रस्तुत नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर बोर्ड के सचिव ने बताया कि निर्धारित बैठकों का आयोजन 2013–14 एवं 2014–15 के अवधि में क्रमशः विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं किया जा सका तथा यह आश्वासन दिया कि भविष्य में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक दो महीनों पर बैठक आयोजित किया जाएगा।

### 3.9.4.10 नियमित कर्मचारियों का पदस्थापना नहीं किया जाना

बोर्ड के कर्मचारियों की स्थिति का विवरण तालिका 3.18 में वर्णित है।

**तालिका 3.18: कार्य के लिए कर्मचारी की स्थिति**

स. क्र.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	नियुक्त	रिक्त पद
1	सचिव	01	01	00
2	लेखाधिकारी	01	01	00
3	योजना अधिकारी	01	00	01
4	कल्याण अधिकारी	06	00	06
5	निजी सचिव	01	00	01
6	आशुलिपिक	01	01	00
7	आशुटंकन	02	00	02
8	डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	08	02	06
9	सहायक ग्रेड-II	06	00	06
10	सहायक ग्रेड-III	10	02	08
11	चालक	03	03	00
12	चपरासी	12	06	06
13	प्रहरी	07	01	06
14	श्रम कल्याण निरीक्षक	27	27	00
<b>कुल</b>		<b>86</b>	<b>44</b>	<b>42</b>

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन से)

तालिका से देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है। यह सूचित किया गया है कि मण्डल के सचिव प्रतिनियुक्ति पर थे, लेखा अधिकारी और श्रमिक कल्याण निरीक्षक अनुबंध के आधार पर थे और शेष आउटसोर्सिंग के द्वारा पदस्थापित थे। यह भी सूचित किया गया कि भर्ती नियम सरकार के पास लबिंत होने के कारण नियमित नियुक्ति नहीं किया गया है।

इंगित किये जाने पर मण्डल के सचिव ने बताया कि समूह- ग और घ का भर्ती नियम तैयार किया गया तथा सरकार के अनुमोदन के लिए मई 2012 में मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया गया और सरकार का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। यह भी बताया गया कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्य को बाधित होने से रोकने के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है।

## 3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

### उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण

- राज्य सरकार द्वारा दी गई ₹ 10,502.86 करोड़ का अनुदान का बड़ी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र (4237) अनुदानग्रहीता संस्थाओं से प्रतिक्षित थे, जो कि संबंधित विभागों का अनुदानों के प्रति उपयोगिता का उचित निरीक्षण की कमी को दर्शाता है।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदानग्राही संस्थाओं को विमुक्त अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय प्रस्तुत करना चाहिए।

### स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुए थे जिससे स्वायत्त निकायों के कामकाज की जांच में विलंब हुई।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा ससमय प्रस्तुत किया जाए।

## संक्षिप्त आकस्मिक देयक के विरुद्ध प्रस्तुत किये गए विस्तृत आकस्मिक प्रतिहस्ताक्षरित देयक

- मार्च 2016 की स्थिति में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 645.86 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक प्रतिहस्ताक्षरित देयक प्रतिक्षित थे।

लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के समय समायोजन के लिए एक उचित निगरानी प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

### व्यक्तिगत निक्षेप खाताओं का अनुरक्षण

- व्यक्तिगत खाताओं का अंतिम शेष वर्ष 2011–12 में ₹ 729.22 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 1,696.46 करोड़ हो गया।
- प्रशासकों के खाते से व्यक्तिगत खातों का वार्षिक पुनर्मिलान संबंधित प्रशासकों के द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था।

व्यक्तिगत खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जाना चाहिए जैसा कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में वर्णित है तथा इन्हें प्रत्येक वर्ष के अंत में बंद कर देना चाहिए। व्यक्तिगत खातों का कोषालय कार्यालय से वार्षिक पुनर्मिलान को संबंधित प्रशासकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

### हानि तथा दुर्विनियोजन का प्रतिवेदन

- हानि तथा दुर्विनियोजन के ₹ 117.02 करोड़ के 2218 प्रकरणों के निपटारे का शासकीय अनुपालन लंबित था।

इन सभी दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि के प्रकरणों का विभागीय जांच तीव्र रूप से करनी चाहिए।

### लघु शीर्ष "800—अन्य व्यय" तथा "अन्य प्राप्तियां" के अंतर्गत समायोजन

- बड़ी मात्रा में प्राप्तियां तथा व्यय की राशि (₹ 8,698.96 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष—"800—अन्य व्यय/प्राप्तियां" में वर्गीकृत किया गया जो कि वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

यह सिफारिश की जाती है कि वैसे प्राप्तियां/व्यय जो कि प्रचलित कार्यक्रम के लघु शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है को केवल लघु शीर्ष "800—अन्य प्राप्तियां/व्यय" में समायोजित करना चाहिए था।

### विविध लोक निर्माण अग्रिम का समायोजन

- मार्च 2016 के अंत तक विविध लोक निर्माण अग्रिम में ₹ 118.12 करोड़ की बड़ी राशि पड़ी थी।

विभाग को वर्ष की समाप्ति के पहले अग्रिम को समाशोधित करने के लिए प्रभावी कदम उठना चाहिए।

### कर्मकार उपकर के अंतिम शेष

- मण्डल उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं कर सका तथा अवधि के दौरान उपयोगिता का प्रतिशत 11.81 से 38.63 के बीच रहा। बड़ी संख्या में चेक अनादरित होने और बदलने या पुनर्वैध करने हेतु समयबद्ध कार्यवाही करने में विफलता के कारण कम उपकर की प्राप्ति हुई। योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंड का पालन नहीं किये जाने से योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां पाई गई जिसके कारण अपात्र लाभार्थियों को भुगतान हुआ और लाभार्थियों को जिस उद्देश्य के लिए भुगतान किया गया था उसका उपयोगिता सुनिश्चित

नहीं किया गया। रोकड़ बही का संधारण राज्य कोषालय नियम के अनुसार नहीं पाया गया तथा बैंक समाशोधन नहीं किया गया जिसके कारण चयनित जिलों के रोकड़ बही एवं पासबुक में अंतर पाया गया। भर्ती नियम उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी थी और कार्य का निष्पादन आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा था। मण्डल उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दो महीने में कम से कम एक बैठक की निर्धारित संख्या में आयोजन करने में विफल रहा।

मण्डल को अस्वीकृत चेक के समाशोधन हेतु समयबद्ध कार्यवाही करनी चाहिए तथा कल्याण निधि में जमा करना चाहिए।


अपात्र एवं समान लाभार्थियों को वस्तुओं के वितरण को रोकने के लिए योजना के क्रियान्वयन के निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

रोकड़ बही का संधारण राज्य वित्तीय निधि एवं कोषालय संहिता के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए तथा विभिन्न योजनाओं के खाताबही का संधारण एवं समाशोधन पत्र तैयार किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया जाना तथा तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए सरकार एवं मण्डल के नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सरकार एवं मण्डल से श्रम उपकर संगृहीत कर समय पर प्राप्ति के लिए कदम उठाने चाहिए और मण्डल के खाते में संगृहीत करना चाहिए।

रायपुर  
दिनांक 25 JAN 2017

  
(विजय कुमार मोहन्ति)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक 1 फरवरी 2017

  
(शशी कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

**परिशिष्ट-1.1 (अ)**  
**(संदर्भ: कांडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ-1)**  
**छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा**

**अ—सामान्य आँकड़े**

स. क्र.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्र		1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ	2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या <sup>1</sup> (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=29.50 प्रतिशत)		47.90 प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)	70.28 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर <sup>2</sup> (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत = 39 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		43 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	गनी कोएफीशियेन्ट <sup>3</sup>		
	अ	ग्रामीण (राष्ट्रीय=0.29)	0.28
	ब	शहरी (राष्ट्रीय=0.38)	0.33
8	वर्तमान मूल्य के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>4</sup> (जीएसडीपी) 2015–16		₹ 2,51,447.14 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2006–07 से 2015–16)	सामान्य श्रेणी राज्यों में	14.27
		छत्तीसगढ़	14.30
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2006–07 से 2015–16)	सामान्य श्रेणी राज्यों में	15.75
		छत्तीसगढ़	15.85
11	जनसंख्या वृद्धि (2006–07 से 2015–16)	सामान्य श्रेणी राज्यों में	12.24
		छत्तीसगढ़	12.93

**ब— वित्तीय आँकड़े**

सीएजीआर	विवरण				
	2006–07 से 2014–15		2014–15 से 2015–17		
	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	
	(आँकड़े प्रतिशत में)				
क	राजस्व प्राप्तियों का	14.74	16.17	15.00	16.71
ख	स्वयं के कर राजस्व का	15.08	14.33	13.28	16.56
ग	कर भिन्न राजस्व का	10.20	16.52	6.00	15.25
घ	कुल व्यय का	16.71	18.63	16.42	17.88
ङ	पूँजीगत व्यय का	13.21	10.56	25.80	15.33
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.08	26.54	12.17	23.35
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.70	25.46	13.44	24.26
ज	वेतन एवं मजदूरी का*	15.49	18.72	9.95	17.54
झ	पेंशन का*	18.59	24.97	11.79	22.97

(नोट: वित्तीय आँकड़े राज्य के वित्त लेखों पर आधारित हैं) \* दिल्ली को छोड़कर

1 गरीबी को मापने के लिये कार्यपद्धति को पुनर्निरीक्षण करने के लिये विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन, योजना आयोग (जून 2014)

2 शिशु मृत्यु दर (सितंबर 2014 का एसआरएस बुलेटिन)

3 गनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय की असमानता का एक माप है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के निकट असमानता कम है, एक के निकट असमानता अधिक है (2009–10 के लिए उपलब्ध नवीनतकम आँकड़ों को अपनाया गया है )

4 आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015–16

**परिशिष्टः—1.1 (ब)**

(संदर्भ: कंडिका 1.1: पृष्ठ 3)

**सरकारी लेखों की संरचना एवं प्रारूप**

**सरकार के लेखे की संरचना:** राज्य शासन के लेखे तीन भागों (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा में रखे जाते हैं।

**भाग (I) समेकित निधि:** राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

**भाग (II) आकस्मिकता निधि:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

**भाग (III) लोक लेखा:** कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं हैं, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं हैं।

**भाग—स: वित्त लेखों की रूपरेखा**

वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

**खण्ड—1 — सारांशीय विवरणी**

विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का वितरण—वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण— वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण— शासन की राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण— कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण—पूँजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2016 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण—शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्ज, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्ज तथा पेशागियों का विवरण— राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए विभिन्न संबंधित पूँजीगत शेयर एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण—सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पूनर्भुगतान हेतु सरकार दी गई गारंटी।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण—वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य वितरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2015–16 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	समेकित निधि, आकस्मिता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।

**खण्ड—2 — विस्तृत विवरणी**

विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: वर्ष 2015–16 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूँजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता हैं।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरण: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2016 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण: 31 मार्च 2016 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कंपनीयों, अन्य संयुक्त पूँजी कंपनीयों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये गारंटियों का विवरण—संस्थावार
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिन्हित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।

## परिशिष्ट—1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.1: पृष्ठ 3)

**राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि**

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्पलावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इस पद्धति में बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सभिसडी को घटाते हुए किया गया है। इसलिए, अवधि 2011–12 से 2014–15 के के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में जीएसडीपी के सापेक्ष विभिन्न परिमाप के आकड़े भी पुनरिक्षित हुए हैं।

विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार विवरण**

(₹ करोड़ में)

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	1,58,074	1,77,511	2,06,786 <sup>पी</sup>	2,36,318 <sup>क्यू</sup>	2,51,447 <sup>र</sup>
जीएसडीपी का विकास दर (प्रतिशत में)	..	12.30	16.49	14.28	6.40

(झोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

नोट: ए—अग्रिम अनुमान, क्यू—त्वारित अनुमान, पी—अस्थायी अनुमान

राजकोषीय समूहों के नमूने एवं प्रचलनों के आंकलन में उपयोग में लाये गये कुछ  
चयनित शब्दों की परिभाषा नीचे दी गई है:

शब्द	संगणना के आधार
उत्प्लावकता का माप सूचक	मापसूचक की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
मापसूचक की उत्प्लावकता (X) अन्य मापसूचक के संदर्भ में (Y)	मापसूचक (X) की वृद्धि दर/मापसूचक (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (आरओजी)	[(चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)–1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं)/2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि–औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक*ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति/[प्रारंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व प्राप्ति–राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम–राजस्व प्राप्तियाँ–विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियों से घटाये सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियाँ–क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय+क्रमिक ब्याज भुगतान
ऋण की शुद्ध उपलब्धता	बकाया ऋण (चालू वर्ष–पिछले वर्ष)– ब्याज भुगतान

परिशिष्ट—1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.4; पृष्ठ—3, 10 एवं 21)

राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आँकड़ा विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
भाग—अ: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	25,867(94)	29,578(89)	32,050(85)	37,988(85)	46,068(86)
(i) स्वयं के कर राजस्व	10,712(41)	13,034(44)	14,343(45)	15,707(41)	17,075(37)
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर /वैट	6,006 (56)	6,929(53)	7,930(55)	8,429(54)	8,908(52)
राज्य आबकारी	1,597(15)	2,486(19)	2,549(18)	2,892(18)	3,338(20)
वाहन पर कर	502(5)	592(5)	651(4)	703(04)	829(05)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	846(8)	952(7)	990(7)	1,023(07)	1,185(07)
भू—राजस्व	271(3)	234(2)	226(2)	332(02)	364(02)
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	826(7)	954(7)	945(7)	982(06)	1,040(06)
अन्य कर	665(6)	887(7)	1,052(7)	1,346(09)	1,411(08)
(ii) कर भिन्न राजस्व	4,058(16)	4,616(16)	5,101(16)	4,930(13)	5,215(11)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	6,320(24)	7,218(24)	7,880(24)	8,363(22)	15,716(34)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4,776(18)	4,710(16)	4,726(15)	8,988(24)	8,062(18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4	2	8	3	2.84
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,283(5)	1,542(5)	1,637(4)	195(0.44)	296(0.55)
3 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	2	2	5	1	0.52
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	27,156	31,124	33,700	38,187	46,367
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	421(2)	2,058(6)	3,932(10)	6,440 (14)	7,251(14)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	365	2,041	3,917	6,431	7106
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन		..	..	..	..
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	57	17	15	9	145
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	27,577	33,182	37,632	44,627	53,618
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	34,161	39,579	45,868	51,322	55,059
9. राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	61,739	72,761	83,500	95,949	1,08,677
भाग—ब: व्यय / संवितरण					
10. राजस्व व्यय	22,628(81)	26,972(80)	32,859(85)	39,561(85)	43,701(84)
आयोजना	10,004(44)	12,440(46)	13,749(42)	20,990(53)	20,529(47)
आयोजनेतर	12,624(56)	14,532(54)	19,110(58)	18,571(47)	23,172(53)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	5,904(26)	6,649(25)	7,851(24)	9,041(23)	10,409(24)
सामाजिक सेवायें	10,477(46)	11,456(42)	14,282(43)	15,389(39)	16,339(37)
आर्थिक सेवायें	5,560(25)	8,012(30)	9,756(30)	14,152(36)	16,053(37)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	687(03)	854(03)	970(03)	979(02)	900(02)
11. पूँजीगत व्यय	4,056(14)	4,919(15)	4,574(12)	6,544(14)	7,945(15)
आयोजना	4,055(100)	4,914(100)	4,575(100)	6,535(99.86)	7,943(99.97)

**वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)**

	<b>2011–12</b>	<b>2012–13</b>	<b>2013–14</b>	<b>2014–15</b>	<b>2015–16</b>
आयोजनेत्तर	1	5	(–) 01	9(0.14)	2(0.03)
सामान्य सेवायें	42(2)	125(2)	182(4)	258(4)	362(05)
सामाजिक सेवायें	989(24)	951(24)	692(15)	1,560(24)	1,807(23)
आर्थिक सेवायें	3,025(74)	3,843(74)	3,700(81)	4,727(72)	5,776(73)
<b>12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>1,269(5)</b>	<b>1,889(6)</b>	<b>1,319(3)</b>	<b>89(0.19)</b>	<b>165(0.32)</b>
<b>12(अ) अंतर्राज्यीय समायोजन</b>	<b>4</b>	<b>(–)1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0.49</b>
<b>13. योग (10+11+12+12अ)</b>	<b>27,957</b>	<b>33,779</b>	<b>38,757</b>	<b>46,195</b>	<b>51,811</b>
<b>14. लोक ऋण की अदायगी</b>	<b>853(3)</b>	<b>1,039(3)</b>	<b>690(2)</b>	<b>1,337(3)</b>	<b>1,250(02)</b>
आंतरिक ऋण (आर्थोपाय आग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	711(83)	870(84)	541(78)	1,180(88)	1,086(87)
अर्थोपाय आग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	142(17)	169(16)	149(22)	157(12)	164(13)
<b>15 आकस्मिकता निधि से विनियोजन</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
<b>16 संचित निधि से संवितरण (13+14+15)</b>	<b>28,810</b>	<b>34,818</b>	<b>39,447</b>	<b>47,532</b>	<b>53,061</b>
<b>17 आकस्मिकता निधि से संवितरण</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 लोक लेखा संवितरण</b>	<b>32,940</b>	<b>38,527</b>	<b>43,434</b>	<b>49,933</b>	<b>54,001</b>
<b>19.राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>61,750</b>	<b>73,345</b>	<b>82,881</b>	<b>97,465</b>	<b>1,07,062</b>
<b>भाग—स: घाटा</b>					
<b>20. राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (1–10)</b>	<b>(+) 3,239</b>	<b>(+) 2,606</b>	<b>(–) 809</b>	<b>(–) 1,573</b>	<b>(+)2,367</b>
<b>21.राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) (4–13)</b>	<b>(–) 801</b>	<b>(–) 2,655</b>	<b>(–) 5,057</b>	<b>(–) 8,008</b>	<b>(–)4,574</b>
<b>22. प्राथमिक घाटा (–)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)</b>	<b>(+) 392</b>	<b>(–) 1,502</b>	<b>(–) 3,706</b>	<b>(–) 6,281</b>	<b>(–)2,425</b>
<b>भाग—द: अन्य आंकड़े</b>					
<b>23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)</b>	<b>1,193</b>	<b>1,153</b>	<b>1,351</b>	<b>1,727</b>	<b>2,149</b>
<b>24. स्थानीय निकायों आदि को आर्थिक सहायता</b>	<b>4,607</b>	<b>7,044</b>	<b>7,651</b>	<b>10,573</b>	<b>9,678</b>
<b>25. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष (दिनों में)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिनों में)	0	0	0	5	0
लिए गए अधिविकर्ष (दिनों में)	0	0	0	0	0
<b>26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष पर ब्याज</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)</b>	<b>1,58,074</b>	<b>1,77,511</b>	<b>2,06,786<sup>5</sup></b>	<b>2,36,318<sup>क्यू</sup></b>	<b>2,51,447<sup>ए</sup></b>
<b>28. बकाया ऋण (वर्षात)</b>	<b>17,103</b>	<b>19,268</b>	<b>24,904</b>	<b>30,981<sup>5</sup></b>	<b>37,817</b>
<b>29. बकाया प्रतिभूति (वर्षात)</b>	<b>2,637</b>	<b>2,695</b>	<b>3,358</b>	<b>2,314</b>	<b>1,988</b>
<b>30. प्रतिभूति दी गई अधिकतम राशि (वर्षात)</b>	<b>7,079</b>	<b>6,605</b>	<b>7,572</b>	<b>9,080</b>	<b>14,883</b>

5

वर्ष 2014–15 के आंकड़े वित्त लेखे में प्रारूप समायोजन एवं सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में बदलाव के कारण परिवर्तित हुए हैं।

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	137	146	166	167	194
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2,042	3,110	4,198	4,824	5,912
<b>भाग—इ: राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक</b>					
<b>1. संसाधनों का प्रचलन</b>					
स्वयं का कर राजस्व / जीएसडीपी (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
स्वयं का कर भिन्न राजस्व / जीएसडीपी (अनुपात)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण / जीएसडीपी (अनुपात)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
<b>2. व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय / जीएसडीपी (अनुपात)	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.08	1.14	1.21	1.22	1.12
राजस्व व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.81	0.80	0.85	0.86	0.84
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.15	0.15	0.12	0.14	0.15
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.14	0.14	0.11	0.14	0.15
<b>3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य) / जीएसडीपी (अनुपात)	0.02	0.01	0.00	(−)0.01	0.01
राजकोषीय घाटा(−) / आधिक्य (+) / जीएसडीपी (अनुपात)	(−)0.01	(−)0.01	(−)0.02	(−)0.03	(−)0.02
प्रारंभिक घाटा / आधिक्य / जीएसडीपी (अनुपात)	0.00	(−)0.01	(−)0.02	(−)0.03	(−)0.01
राजस्व घाटा / आधिक्य / राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(−)4.04	(−)0.98	0.16	0.20	(−)0.52
<b>4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देनदारियाँ / जीएसडीपी (अनुपात)	0.11	0.11	0.12	0.13	0.15
राजकोषीय देनदारियाँ / आरआर (अनुपात)	0.66	0.65	0.78	0.82	0.82
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात)	0.29	1.72	2.71	3.58	1.20
<b>5. अन्य राजकोषीय सूचक</b>					
निवेश पर प्रतिफल (वापसी)	0.04	0.11	0.76	0.05	0.09
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	10,113	11,763	9,730	12,097	17,363
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात)	1.60	1.66	1.48	1.36	1.47

- नोट:—
- वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इसलिए, अवधि 2011–12 से 2014–15 के दौरान विचले प्रतिवेदनों में जीएसडीपी के सापेक्ष विभिन्न परिमाप के आकड़े भी पुनरीक्षित हुए हैं।
  - ए (एडवांस) क्यू (विवक) पी (प्राविजनल)

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट— 1.4 (अ)

(संदर्भ: कंडिका— 1.1.1: पृष्ठ 3)

(वर्ष 2015–16 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार)

(₹ करोड़ में)

2014–15		प्राप्तियाँ	2015–16		2014–15	संवितरण	2015–16		
आयोजनेतर	आयोजना		योग	आयोजनेतर			आयोजना	योग	
37,988.01		राजस्व प्राप्तियाँ		46,067.71	39,561.29	राजस्व व्यय	23,172.02	20,529.04	43,701.06
	15,707.26	कर राजस्व	17,074.86		9,041.58	सामान्य सेवायें	10,348.93	59.83	10,408.76
	4,929.91	कर भिन्न राजस्व	5,214.79		15,388.85	सामाजिक सेवायें	5,885.62	10,453.73	16,339.35
	8,363.03	संधीय करों में राज्यांश	15,716.47		9,256.96	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3,444.82	5,880.73	9,325.55
	1568.29	आयोजनेतर अनुदान	2,328.79		2,098.89	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	639.30	1,780.12	2,419.42
	6435.44	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,775.83		1,556.13	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	390.18	1,023.08	1,413.26
	984.08	केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रबलित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	956.97		65.78	सूचना एवं प्रसारण	67.89	1.25	69.14
					184.02	अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	54.91	118.19	173.10
					173.35	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	75.80	151.32	227.12
					2,035.87	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	1,199.92	1,493.01	2,692.93
					17.84	अन्य	12.81	6.02	18.83
					14,152.22	आर्थिक सेवायें	6,037.06	10,015.48	16,052.54
					7,725.88	कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	3,241.43	5,083.12	8,324.55
					3,587.85	ग्रामीण विकास	1,413.95	1,552.23	2,966.18
					0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0
					76.41	संचार	0	120.79	120.79
					451.61	सिंचार्इ एवं बाढ़ नियंत्रण	267.92	221.62	489.54
					936.68	उज्ज्वल	0	2,816.12	2,816.12
					624.68	उद्योग एवं खनिज	294.31	195.06	489.37
					651.85	परिवहन	780.47	0.82	781.29
					10.30	विज्ञान प्रौद्यौगिकी एवं पर्यावरण	2.50	6.85	9.35
					86.95	सामान्य आर्थिक सेवायें	36.47	18.88	55.35
					978.64	सहायता अनुदान एवं अंशदान	900.41	0	900.41
37,988.01		कुल राजस्व प्राप्तियाँ		46,067.71	39,561.29	कुल राजस्व व्यय	23,172.02	20,529.04	43,701.06
1,573.28		अनुभाग ब में अंग्रेष्ट राजस्व घटा			0	अनुभाग ब में अंग्रेष्ट राजस्व आधिक्य			2,366.65
39,561.29		योग		46,067.71	39,561.29	योग			46,067.71

2014–15		प्राप्तियाँ	2015–16		2014–15		संवितरण	2015–16		
आयोजनेतर	आयोजना		योग							
2,735.29		स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष		1,218.38		0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00
3.03		विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		2.84		6,544.25	पूँजीगत व्यय	1.96	7,943.05	7,945.01
						257.74	सामान्य सेवाएँ	1.90	360.43	362.33
						1,559.87	सामाजिक सेवाएँ	0.07	1,806.94	1,807.01
						261.25	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	0.00	497.28	497.28
						234.46	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	289.82	289.82
						701.68	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	0.00	657.04	657.04
						0.02	सूचना एवं प्रसारण	0.02	0.00	0.02
						215.82	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.05	240.68	240.73
						94.32	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	49.25	49.25
						52.32	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	72.87	72.87
					4,726.64		आर्थिक सेवाएँ	0.00	5,775.67	5,775.67
						58.23	कृषि एवं संबंध क्रियाकलाप	0.00	63.17	63.17
						457.37	ग्रामीण विकास	0.00	721.19	721.19
						1,538.93	सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,736.71	1,736.71
						32.50	उर्जा	0.00	130.00	130.00
						35.84	उद्योग एवं खनिज	0.00	52.97	52.97
						2,591.37	परिवहन	0.00	3,068.92	3,068.92
						5.90	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	2.71	2.71
						6.50	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	0.00	0
					6,544.25		योग पूँजीगत व्यय	1.96	7,943.05	7,945.01
0.91		अंतर्राज्यीय समाशोधन		0.52		1.22	अंतर्राज्यीय समाशोधन			0.49
194.86		ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		296.39		88.32	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण			164.73
	73.17	विद्युत परियोजनाओं से	0.00			0.00	विद्युत परियोजनाओं हेतु	0.00		
	0.28	सरकारी सेवकों से	0.31			0.00	सरकारी सेवकों को	0.00		
	121.41	अन्य से	296.39			88.32	अन्य को	164.73		
0.00		लाया गया राजस्व अधिक्य		2,366.65		1,573.28	लाया गया राजस्व घाटा	0.00	0.00	0.00
6,439.67		लोक ऋण प्राप्तियाँ		7,251.15		1,336.73	लोक ऋणों का पुनर्भगतान			1,250.18
0.00		बाह्य ऋण	0.00			0.00	बाह्य ऋण			0.00
5,654.94		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	7,105.87			787.31	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण			702.31

**वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)**

2014–15		प्राप्तियाँ	2015–16		2014–15		संवितरण	2015–16		
								आयोजनेतर	आयोजना	योग
776.04		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00		392.24		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन			383.80
0.00		अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन	0.00							
8.69		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	145.28		157.18		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			164.07
0.00		आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00		0.00		आकस्मिकता निधि से विनियोग			1.72
0.00		आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित		1.72		0.00	आकस्मिकता निधि से व्यय			1.72
<b>51,321.89</b>		<b>लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>		<b>55,059.09</b>	<b>49,933.47</b>		<b>लोक लेखा संवितरण</b>			<b>54,000.89</b>
	994.91	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	1,094.55		551.08		लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ			580.25
	826.76	आरक्षित निधियाँ	1,628.09		463.67		आरक्षित निधियाँ			1,038.16
	36,997.13	उचंत एवं विविध	40,316.74		36,875.78		उचंत एवं विविध			40,281.04
	8,550.33	प्रेषण	8,601.45		8,356.80		प्रेषण			8,613.39
	4,152.76	निक्षेप एवं अग्रिम	3,418.26		3,686.14		निक्षेप एवं अग्रिम			3,487.80
<b>0.00</b>	0.00	<b>भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण</b>	0.00	0.00	<b>1,218.38</b>		<b>वर्ष के अंत में रोकड़ शेष</b>			<b>2,833.72</b>
						0.00	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			0.00
						(–)134.31	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप			(–)577.94
						10.31	स्थानीय अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			11.86
						1,342.38	रोकड़ शेष निवेश			3,399.80
<b>60,695.65</b>		<b>योग ब</b>		<b>66,196.72</b>	<b>60,695.65</b>		<b>योग ब</b>			<b>66,196.72</b>

## परिशिष्ट-1.4 (भाग ब)

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1, 1.9.1 एवं 1.9.2: पृष्ठ 3, 38 एवं 39)

छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31.03.2015 की स्थिति	दायित्व	31.03.2016 की स्थिति में
18,194.80	आंतरिक ऋण	24,214.56
9,885.57	ब्याज सहित बजार ऋण	14,552.32
2.11	ब्याज रहित बजार ऋण	2.11
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29
7,903.03	अन्य संस्थाओं से ऋण	9,639.84
383.80	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0.00
1,854.38	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,835.59
0.68	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.68
3.50	आयोजनेतर ऋण	2.16
1,850.24	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,832.79
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19
(-)0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण	(-)0.23
40.00	आकस्मिकता निधि	40.00
3,648.09	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	4,163.66
5,636.85	निक्षेप	5,567.30
3,190.53	आरक्षित निधियाँ	3,579.11
105.06	उचंत एवं विविध शेष	140.77
32,669.71	योग	39,540.99
41,556.06	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय	53,823.68
1,872.53	कम्पनियां निगमों इत्यादि में निवेश	6,192.22
39,683.53	अन्य पूंजीगत व्यय	47,631.46
1,439.45	ऋण एवं अग्रिम	1,263.75
108.71	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	108.71
1,168.01	अन्य विकास ऋण	1,163.60
162.73	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	
1,343.63	आरक्षित निधि में निवेश	1,543.63
1.95	अग्रिम	1.94
344.78	प्रेषण शेष	356.72
0.00	आकस्मिकता निधि	0.00
(-)125.26	नगदी	1,290.09
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
(-)134.31	रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-)577.94
9.98	विभागीय नगदी शेष अचल	11.54
0.33	स्थायी अग्रिम	0.32
(-)1.26	नगदी शेष निवेश	1,856.17
(-)11,890.90	सरकारी लेखे में घाटा	(-)18,738.82
1,573.28	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य	(-)2,366.65
(-)731.21	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	(-)4,481.27
(-)12,732.97	वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा	(-)11,890.90
32,669.71	योग	39,540.99

**परिशिष्ट–1.5**

(संदर्भ: कंडिका–1.1.3 एवं 1.3.1: पृष्ठ 6 तथा 13)  
वर्ष 2015–16 के बजट आंकलन के विरुद्ध वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट आंकलन 2015–16	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (-)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
राजस्व प्राप्तियाँ	57,956.45	46,067.71	(-)11,888.74	(-)20.51
स्वयं के कर राजस्व	20,085.85	17,074.86	(-)3,010.99	(-)14.99
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	10,998.00	8,908.36	(-)2,089.64	(-)19.00
राज्य आबकारी	3,528.00	3,338.40	(-)189.60	(-)5.37
वाहनों पर कर	864.00	829.22	(-)34.78	(-)4.03
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1,350.00	1,185.22	(-)164.78	(-)12.21
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	1,441.80	1,040.26	(-)401.54	(-)27.85
भूमि कर	496.80	363.84	(-)132.96	(-)26.76
शुल्कों एवं विद्युत पर कर	1,400.00	1,372.84	(-)27.16	(-)1.94
अन्य कर	7.25	36.72	29.47	406.48
कर भिन्न राजस्व	8,662.99	5,214.79	(-)3,448.20	(-)39.80
संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	16,213.36	15,716.47	(-)496.89	(-)3.06
भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,994.26	8,061.59	(-)4,932.67	(-)37.96
पूंजीगत प्राप्तियाँ	6,978.95	7,358.43	379.48	5.44
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	220.82	296.39	75.57	34.22
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.00	2.84	2.84	100.00
शुद्ध लोक ऋण	6,258.13	6,000.97	(-)257.16	(-)4.09
शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ	500.00	1058.23	558.23	111.65
राजस्व व्यय	53,729.81	43,701.06	(-)10,028.75	(-)18.67
सामान्य सेवा	10,620.69	10,408.76	(-)211.93	(-)2.00
राज्य के अंग	378.29	307.54	(-)70.75	(-)18.70
राजकीय सेवायें	958.35	925.63	(-)32.72	(-)3.41
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	2,281.30	2,348.91	67.61	2.96
प्रशासनिक सेवायें	3,221.76	3,307.94	86.18	2.67
पेशन एवं विविध सामान्य सेवायें	3,780.98	3,518.74	(-)262.24	(-)6.94
सामाजिक सेवायें	21,285.62	16,339.35	(-)4,946.27	(-)23.24
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	12,021.02	9,325.55	(-)2,695.47	(-)22.42
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2,933.17	2,419.42	(-)513.75	(-)17.52
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,547.01	1,413.26	(-)1,133.75	(-)44.51
सूचना एवं प्रोटोकॉलिकी	74.47	69.14	(-)5.33	(-)7.16
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग का कल्याण	243.20	173.10	(-)70.10	(-)28.82
श्रमिक तथा श्रम कल्याण	537.18	227.12	(-)310.06	(-)57.72
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	2,905.39	2,692.93	(-)212.46	(-)7.31
अन्य	24.14	18.83	(-)5.31	(-)22.00
आर्थिक सेवायें	20,755.71	16,052.54	(-)4,703.17	(-)22.66
कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	11,489.17	8,324.55	(-)3,164.62	(-)27.54
ग्राम विकास	4,481.43	2,966.18	(-)1,515.25	(-)33.81
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	369.51	489.54	120.03	32.48
ऊर्जा	2,126.63	2,816.12	689.49	32.42
उद्योग एवं खनिज	806.21	489.37	(-)316.84	(-)39.30
परिवहन	1,264.38	781.29	(-)483.09	(-)38.21
संचार	84.72	120.79	36.07	42.58
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	15.25	9.35	(-)5.90	(-)38.69
सामान्य आर्थिक सेवायें	118.38	55.35	(-)63.03	(-)53.24
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,067.78	900.41	(-)167.37	(-)15.67
पूंजीगत व्यय जिसमें	11,000.25	7,945.01	(-)3,055.24	(-)27.77

विवरण	बजट आंकलन 2014–15	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (-)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
सामान्य सेवायें	346.23	362.33	16.10	4.65
सामाजिक सेवायें	2,484.61	1,807.01	(-)677.60	(-)27.27
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	716.92	497.27	(-)219.65	(-)30.64
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	303.55	289.82	(-)13.73	(-)4.52
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,030.84	657.04	(-)373.80	(-)36.26
सूचना तथा प्रसार	0.02	0.02	0.00	0.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	296.76	240.73	(-)56.03	(-)18.88
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	52.60	49.26	(-)3.34	(-)6.35
अन्य सामाजिक सेवाएं	83.88	72.87	(-)11.01	(-)13.13
आर्थिक सेवाएं	8,169.40	5,775.67	(-)2,393.73	(-)29.30
कृषि एवं संबंध क्रियाकलाप	166.24	63.17	(-)103.07	(-)62.00
ग्रामीण विकास	897.25	721.19	(-)176.06	(-)19.62
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,264.36	1,736.71	(-)527.65	(-)23.30
ऊर्जा	130.00	130.00	0.00	0.00
उद्योग एवं खनिज	102.44	52.97	(-)49.47	(-)48.29
परिवहन	4,583.30	3,068.92	(-)1,514.38	(-)33.04
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9.79	2.71	(-)7.08	(-)72.32
सामान्य आर्थिक सेवाएं	16.00	0.00	(-)16.00	(-)100.00
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	4,226.64	2,366.65	(-)1,859.99	(-)44.01
राजकोषीय घाटा (-)	6,835.66	4,573.71	(-)2,261.95	(-)33.09
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	4,754.36	2,424.80	(-)2,329.56	(-)49.00

**परिशिष्ट-1.6**

(संदर्भ: कंडिका-1.1.4; पृष्ठ: 7)

वर्ष 2015–16 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

संक्र.	योजनाओं के नाम	बजट अनुमान (जेंडर बजट)	विनियोग लेखे के अनुसार कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/आधिक्य(+)
1	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.35	1.35	1.14	(-)0.21
2	परिचारकों का प्रशिक्षण	6.74	4.15	4.87	0.72
3	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	1.04	3.49	4.02	0.53
4	छात्रा प्रोत्साहन योजना	8.50	0.00	0.01	0.01
5	हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	57.26	53.73	53.74	0.01
6	इंदिरा आवास योजना	500.00	186.32	186.32	0.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	152.50	66.52	66.52	0.00
8	कन्या शिक्षा परिसर	1.67	7.80	7.93	0.13
9	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय	12.50	57.31	57.31	0.00
10	छात्राओं के लिए शाला गणवेश	34.50	11.64	10.58	(-)1.06
11	लोक स्वास्थ्य में नर्सिंग का मूलभूत पाठ्य क्रम / लोक स्वास्थ्य का मूलभूत नर्सिंग शिक्षा के साथ समाकलन	30.83	15.39	13.72	(-)1.67
12	छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएं	0.81	0.91	0.92	0.01
13	अंध, मूक एवं बधिरों के लिए स्कूल एवं संस्थाएं	5.18	10.91	10.90	-0.01
14	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विध्वा पेंशन	48.72	48.72	49.17	0.45
15	नया गैस कनेक्शन के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता	0.25	0.03	0.03	0.00
16	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	12.22	12.51	0.29
17	ग्रामीण महिलाओं को भ्रमण एवं प्रदर्शनी निर्देश (दिशा दर्शन)	1.25	1.10	1.19	0.09
18	स्वैच्छिक महिला कल्याण संस्थान को सहायता अनुदान	0.15	0.01	0.01	0.00
19	महिला जागृति शिविर	4.05	2.63	3.25	0.62
20	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.98	1.00	0.02
21	सबला योजना	153.43	128.43	128.22	(-)0.21
22	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	2.70	0.49	0.79	0.30
23	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	11.68	5.34	5.34	0.00
योग		1,049.56	619.47	619.49	0.02

## परिशिष्ट-2.1 (अ)

(संदर्भ कंडिका-2.4.1; पृष्ठ-56)

विवरण जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
<b>अ-राजस्व दत्तमत</b>					
1	13	कृषि	1,021.00	265.22	25.98
2	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	135.36	75.36	55.67
3	17	सहकारिता	143.35	65.14	45.44
4	18	श्रम	117.68	43.61	37.06
5	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	156.29	114.49	73.25
6	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	1,068.38	314.73	29.46
7	27	स्कूल शिक्षा	3,922.70	957.45	24.41
8	28	राज्य विधान मंडल	48.31	16.85	34.88
9	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	274.11	62.26	22.71
10	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,413.14	1,133.54	46.97
11	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	39.97	19.02	47.59
12	34	समाज कल्याण	70.75	15.08	21.31
13	36	परिवहन	57.66	24.90	43.18
14	37	पर्यटन	59.36	42.67	71.88
15	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	5,329.81	1,615.27	30.31
16	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	9,554.34	3,146.19	32.93
17	43	खेल एवं युवा कल्याण	112.37	73.79	65.67
18	44	उच्च शिक्षा	594.72	132.05	22.20
19	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	592.05	335.89	56.73
20	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	28.44	17.08	60.06
21	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	115.50	26.47	22.92
22	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	907.87	286.11	31.51
23	56	ग्रामोद्योग	87.29	19.70	22.57
24	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3,237.88	1,853.80	57.25
25	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,300.30	1,148.10	34.79
26	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	216.84	60.12	27.73
27	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	503.99	126.10	25.02
28	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	484.58	345.54	71.31
29	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	44.72	14.14	31.62
<b>योग-अ</b>			<b>34,638.76</b>	<b>12,350.67</b>	
<b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b>					
30	3	पुलिस	36.50	17.81	48.79
31	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	227.38	53.51	23.53
32	10	वन	18.70	12.16	65.03

1	2	3	4	5	6
33	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	99.54	47.93	48.15
34	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	47.60	44.60	93.70
35	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	30.95	15.09	48.76
36	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	183.08	72.94	39.84
37	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	920.69	616.45	66.96
38	23	जल संसाधन विभाग	428.90	91.57	21.35
39	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1,494.20	678.76	45.43
40	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	159.63	75.56	47.33
41	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	15.50	12.44	80.26
42	27	स्कूल शिक्षा	110.49	32.92	29.79
43	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	74.00	58.50	79.05
44	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	991.55	317.72	32.04
45	37	पर्यटन	16.00	16.00	100.00
46	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	53.58	15.56	29.04
47	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	35.50	17.17	48.37
48	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,353.81	686.97	29.19
49	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	781.67	372.00	47.59
50	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	94.95	61.28	64.54
51	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	42.00	16.37	38.98
52	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	60.00	60.00	100.00
53	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,158.17	470.44	40.62
54	66	पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण	21.65	20.07	92.70
55	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	608.51	125.66	20.65
56	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ सहायता प्राप्त परियोजनाएं	401.50	116.23	28.95
57	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	139.30	86.20	61.88
58	80	त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	352.60	83.04	23.55
59	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	407.50	298.54	73.26
60	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	91.00	38.00	41.76
योग—ब			11,456.45	4,631.49	
<b>स— राजस्व भारित</b>					
61	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	90.04	35.17	39.06
62	10	वन	26.19	13.49	51.51
63	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	47.93	11.82	24.66
योग —स			164.16	60.48	
<b>द— पूंजीगत भारित</b>					
64		लोक ऋण	1,722.38	472.20	27.42
योग —द			1,722.38	472.20	
कुल योग (अ+ब+स+द)			47,981.75	17,514.84	

## परिशिष्ट—2.1 (ब)

(संदर्भ कड़िका—2.4.1; पृष्ठ—56)

वर्ष 2014–15 के दौरान सारभूत बचतें (20 करोड़ एवं उससे अधिक) का उप—शीर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष एवं योजना का नाम	बचत	कारण
<b>03—पुलिस</b>			
1	2070—107—492—आव्हान पर होने वाला व्यय	26.53	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>06—वित्त विभाग से संबंधित व्यय</b>			
2	2071—01—101—2413—सेवा निवृत वेतन भोगियों को देय	370.99	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
3	2071—01—104—4590—सेवा एवं मूल्य निवृति पुरस्कार	24.63	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
4	2071—01—115—5438—अवकाश नगदीकरण	25.92	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय</b>			
5	4217—01—050—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—5371—नया रायपुर विकास	437.84	वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं करने के कारण
<b>24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल</b>			
6	3054—01—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	25.54	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
7	3054—03—337—1826—डामरीकरण	21.65	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
8	3054—03—337—2227—नवीनीकरण	22.83	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
9	3054—03—337—4090—विशेष मरम्मत	20.37	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
10	3054—03—797—8716—केंद्रीय सड़क निधि	145.87	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
11	3054—04—337—2227—नवीनीकरण	20.25	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
12	3054—04—337—7510—ग्रामीण मार्गों का संधारण	20.07	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
13	5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—4151—वृहद पुलों का निर्माण	55.56	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
14	5054—03—337—0520—केंद्रीय सड़क निधि—8716—केंद्रीय सड़क निधि	193.34	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
15	5054—03—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—4336—राज्यों में राज्य मार्ग सड़कों का निर्माण	119.07	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
16	5054—04—337—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	100.35	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
17	5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	75.44	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
18	5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—1513—जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण	26.93	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
19	5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	45.51	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
20	5054—80—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7593—छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित	42.50	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय</b>			

21	5054—04—337—0801— केंद्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—4855—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	41.42	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
संख्या	मुख्य शीर्ष एवं योजना का नाम	बचत	कारण
22	5054—04—337—0311— नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—7475—मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	40.38	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
23	5054—04—337—0311— नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—8650—मुख्य मंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	27.71	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना</b>			
24	2801—80—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—7620—उपभोगताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	42.75	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
25	4215—01—796—102—0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) —7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	20.91	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
26	4801—06—796—800—0410—ऊर्जा विकास निधि—6758—कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	41.44	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
27	5054—04—796—337—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	52.12	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल</b>			
28	5054—04—796—337—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) —6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	132.62	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
29	5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	55.93	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
30	5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—3539—मुख्य जिला सड़कें	172.60	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>43—खेल एवं युवा कल्याण</b>			
31	2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7473—37वें राष्ट्रीय खेल	40.98	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>			
32	2202—01—789—111—0703—केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—5396—सर्व शिक्षा अभियान	58.58	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
33	2202—02—789—109—0703—केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	133.32	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
34	2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	50.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
35	4215—01—789—102—0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—5403—पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	22.49	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
36	5054—03—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—4149—वृहद पुलों का निर्माण	20.16	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
37	5054—04—789—337—0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) —6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	28.96	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
38	5054—04—789—337—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	146.28	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>67—लोक निर्माण कार्य—भवन</b>			
39	2216—80—001—2300—निर्देशन और प्रशासन (मांग संख्या—67—2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभारों का समानुपातिक भाग)	43.77	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)
<b>80—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</b>			
40	2235—60—198—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	36.72	सूचना अप्राप्त (जुलाई 2016)

### परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ कंडिका-2.4.3; पृष्ठ-59)

अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का विवरण जहाँ प्रावधान में अतिरिक्त व्यय, ₹ 10 करोड़ से ज्यादा था।

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं विवरण	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6
1	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	11.22	47.81	36.59
2		2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	275.00	305.29	30.29
3	03-पुलिस	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	728.32	743.46	15.14
4	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-105-2514-परिवार पेशन	510.00	701.21	191.21
5	10-वन	2406-04-101-0801-केंद्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) -7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	15.00	35.00	20.00
6	12-उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	4801-06-800-0410-उर्जा विकास निधि-6758-कृषि पंपों का उर्जाकरण	104.80	133.19	28.39
7	13-कृषि	2401-001-119- अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द- (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)	206.98	241.10	34.12
8	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	54.69	65.50	10.81
9		2211-101-0701- केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) -621-उप स्वास्थ्य केंद्र	61.47	76.02	14.55
10		2210-03-197-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	25.04	35.64	10.60
11		2210-03-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	45.52	58.36	12.84
12		2210-06-101-858- कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	11.05	24.94	13.89
13	20-लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	2215-01-102-0701- केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) -7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	28.27	55.72	27.45
14	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	36.94	73.36	36.42
15	33-आदिम जाति कल्याण	2202-02-109-583- उच्चतर माध्यमिक शालाएं	197.92	211.79	13.87

1	2	3	4	5	6
16	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2211—796—101—0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)–621—उप स्वास्थ्य केंद्र	52.37	76.85	24.48
17		2210—03—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना — 5998 — सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	43.04	54.51	11.47
18		4202—01—796—202—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —1400—छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण	32.98	51.91	18.93
19	58— प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245—01—101—2018—नगद दान	135.85	179.42	43.57
20		2245—02—101—2018— नगद दान	23.00	33.79	10.79
21	64— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5054—04—789—337—0803—केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	89.99	131.41	41.42
22	76—लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5054—03—337—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्राजेक्ट—फेज-II	189.00	202.12	13.12
23	81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217—05—191—7675—चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	49.50	79.56	30.06
24	82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202—01—796—197—0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) —5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	69.86	107.46	37.60
25		2202—01—796—197—0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	48.11	72.43	24.32
26		2202—01—796—0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	500.99	562.26	61.27
27		2202—02—796—197—0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	232.79	258.63	25.84
योग			3,779.70	4,618.74	839.04

## परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ कंडिका-2.4.5; पृष्ठ-60)

प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान के ₹ 10 करोड़ या उससे ज्यादा अनुपयोगी रहे

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदानों/विनियोगों का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	3	पुलिस	2055-104-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	25.00	25.00
2	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	3054-04-337-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय	11.00	11.00
3			4515-196-0510-अधोसंरचना विकास निधि-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय	43.20	43.20
4	10	वन	2406-04-101-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	30.00	30.00
5	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6888-छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र की स्थापना	26.00	26.00
6	13	कृषि	2401-108-0701- केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7265-एन.एम.एस.ए.ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट	12.50	12.50
7			2401-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8997-परिवर्तित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना	25.00	25.00
8			2401-119-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7265-एन.एम.एस.ए.ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट	15.00	15.00
9	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	4403-109-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-7403-पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	38.00	38.00
10	17	सहकारिता	2425-107-0101-राज्य आयोजन (सामान्य)-5628-कृषक ऋण व्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु व्याज अनुदान	60.00	60.00
11	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-200-0701- केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7637-राज्य कैसर संस्थान	10.00	10.00
12	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	27.51	27.51
13	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7444-विकास नगर योजना	35.00	35.00
14			2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना	50.00	50.00
15	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्करण और पुल	5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8716-केंद्रीय सङ्करण निधि	10.00	10.00
16			5054-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6812-एन्यूटी के अंतर्गत राज्य में सङ्करण निधि निवेश	10.00	10.00

1	2	3	4	5	6
17	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	4202–04–800–0701— केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–3077—बहुआयामी संस्कृति संस्थान	10.00	10.00
18	27	स्कूल शिक्षा	4202–01–202–0101— राज्य आयोजना (सामान्य)– 5646—सैनिक स्कूल की स्थापना	15.00	15.00
19	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	4059— 01–051–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)–2450—न्याय प्रशासन	22.00	22.00
20	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	4515–102–0801—केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)– 7645—ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई	20.00	20.00
21	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	3454–02–111–0701—केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–7413—राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	10.37	10.37
22	37	पर्यटन	5452–01–101–0701—केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–7009—पर्यटन केंद्रों का विकास	15.00	15.00
23	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)– 5456—अन्त्योदय अन्न योजना	22.50	22.50
24	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202–01–796–108–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय	18.00	18.00
25			2203–796–001–0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) –8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	15.00	15.00
26			2235–02–796–102–0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)– 7423—इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	38.00	38.00
27			2401–796–108–0702—केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) –7265—एन.एम.एस.ए.ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट	10.00	10.00
28			2401–796–110–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 8997—परिवर्तित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना	19.00	19.00
29			2406–04–796–101–0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) –7261—राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	20.00	20.00
30			2408–01–796–102–0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5456—अन्त्योदय अन्न योजना	17.10	17.10
31			2425–796–107–0102— अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5628— कृषक ऋण ब्याज पर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	48.64	48.64
32			4202–01–796–202–1002—अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)– 1400—छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण	40.00	40.00
33			4202–01–796–202–0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) – 8979—एकीकृत अम्बेला योजना	12.00	12.00
34			4225–02–796–102–0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) – 3728— आदिवासी संस्कृति का उत्थान, शोध, प्रशिक्षण एवं विकास	10.46	10.46

1	2	3	4	5	6
35	43	खेल एवं युवा कल्याण	2204-104-0701— केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)– 7641—राजीव गांधी खेल अभियान	15.00	15.00
36	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	2203-001-0701— केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)– 8971— राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	35.00	35.00
37	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	4415-01-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)– 9182—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	60.00	60.00
38	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0701— केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)– 7262— मल्टी सेकटोरल न्यूट्रीशन प्रोग्राम	15.00	15.00
39			2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)– 8957— नोगी सुरक्षा योजना	40.50	40.50
40	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-800-1467—जिला एवं अन्य सड़कें	20.00	20.00
41			2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)	11.00	11.00
42			2245-05-101-4849—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	30.00	30.00
43	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2217-80-789-191-0703— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) – 7686— सरदार पटेल शहरी आवास	52.80	52.80
44			2235-02-789-102-0703— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) – 7423— इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	12.00	12.00
45			2425-789-107-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—5628— कृषक ऋण व्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु व्याज अनुदान	19.36	19.36
46	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2202-02-109-0801—केंद्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)– 8050—छात्रवृत्तियां	24.48	24.48
47	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	2217-80-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)– 7682— सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	16.58	16.58
48			2217-80-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)– 7682—सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	14.30	14.30
49			2217-80-193-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)– 7682— सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	11.02	11.02
50	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	4210-03-105-0701— केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) – 8939— चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	69.00	69.00
51	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-7691— पंचायतों की आस्तियों का संधारण	25.00	25.00
52	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)– 7329— विशिष्ट प्रयोजनार्थ	32.00	32.00
53			6217-60-191-0101— राज्य आयोजना (सामान्य) – 7329— विशिष्ट प्रयोजनार्थ	72.50	72.50
<b>योग</b>				<b>1,366.82</b>	<b>1,366.82</b>

## परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ कंडिका-2.4.6; पृष्ठ-60)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए  
 (₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान (समर्पण सहित)	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>						
1	3	पुलिस	2,528.66	2,527.10	1.56	111.64
2	5	जैल	116.41	110.21	6.20	1.40
3	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	3,882.08	3,588.04	294.04	11.60
4	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	649.25	556.28	92.97	20.12
5	10	वन	877.67	803.98	73.69	32.00
6	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	147.12	132.56	14.56	6.60
7	13	कृषि	953.36	755.77	197.59	67.63
8	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	343.43	299.87	43.56	7.69
9	16	मछली पालन	44.39	39.59	4.80	1.46
10	17	सहकारिता	103.35	78.21	25.14	40.00
11	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,302.65	1,124.45	178.20	11.57
12	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	367.62	342.38	25.24	25.00
13	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1,047.38	753.65	293.73	21.00
14	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	34.66	34.54	0.12	7.39
15	27	स्कूल शिक्षा	3,894.79	2,965.25	929.54	27.92
16	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	253.83	211.85	41.98	20.29
17	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,402.64	1,279.60	1,123.04	10.50
18	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	95.20	80.88	14.32	4.00
19	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	9,055.02	6,408.15	2,646.87	499.31
20	43	खेल और युवा कल्याण	110.37	38.58	71.79	2.00
21	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	27.20	11.36	15.84	1.23
22	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	905.43	621.76	283.67	2.44
23	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,120.26	2,152.20	968.06	180.04
24	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	210.36	156.73	53.63	6.48
25	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	366.46	323.12	43.34	22.67
26	80	त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,237.77	3,096.12	141.65	260.79
<b>योग —अ</b>			<b>36,077.36</b>	<b>28,492.23</b>	<b>7,585.13</b>	<b>1,402.77</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>ब—पूंजीगत दत्तमत</b>						
27	3	पुलिस	35.50	18.69	16.81	1.00
28	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19.68	15.86	3.82	11.27
29	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	357.19	304.24	52.95	563.50
30	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	11.50	3.06	8.44	4.00
31	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	951.55	673.83	277.72	40.00
32	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	52.50	38.02	14.48	1.08
33	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,144.77	1,666.85	477.92	209.05
34	43	खेल और युवा कल्याण	1.75	1.75	0.00	1.38
35	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	485.80	390.28	95.52	1.00
36	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,086.86	687.73	399.13	71.31
37	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	196.44	184.81	11.63	9.24
38	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	123.01	53.10	69.91	16.29
<b>योग—ब</b>			<b>5,466.55</b>	<b>4,038.22</b>	<b>1,428.33</b>	<b>929.12</b>
<b>योग (अ+ब)</b>			<b>41,543.91</b>	<b>32,530.45</b>	<b>9,013.46</b>	<b>2,331.89</b>

**परिशिष्ट—2.5**  
 (संदर्भ कंडिका—2.4.6; पृष्ठ—60)  
**प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान आधिक्य साबित हुआ**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>							
1	1	सामाच्य प्रशासन	133.24	20.91	154.15	136.85	17.30
2	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	194.52	56.41	250.93	208.16	42.77
3	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	944.41	541.17	1485.58	1,432.85	52.73
4	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	537.88	2700.00	3237.88	1,384.07	1,853.81
5	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	77.73	55.85	133.58	107.16	26.42
<b>योग—अ</b>			<b>1,887.78</b>	<b>3,374.34</b>	<b>5,262.12</b>	<b>3,269.09</b>	<b>1,993.03</b>
<b>ब—पूंजीगत दत्तमत</b>							
6	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	55.40	171.98	227.38	173.87	53.51
7	17	सहकारिता	32.83	19.00	51.83	44.82	7.01
8	55	महिला एवं बाल कल्याण	34.70	10.18	44.88	38.71	6.17
9	67	लोक निर्माण कार्य— भवन	463.89	144.62	608.51	482.86	125.65
<b>योग—ब</b>			<b>586.82</b>	<b>345.78</b>	<b>932.60</b>	<b>740.26</b>	<b>192.34</b>
<b>स—राजस्व भारित</b>							
10	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	62.00	7.00	69.00	65.44	3.56
<b>योग—स</b>			<b>62.00</b>	<b>7.00</b>	<b>69.00</b>	<b>65.44</b>	<b>3.56</b>
<b>द—पूंजीगत भारित</b>							
11		लोक ऋण	1,082.87	639.51	1,722.38	1250.18	472.20
		<b>योग—द</b>	<b>1,082.87</b>	<b>639.51</b>	<b>1,722.38</b>	<b>1,250.18</b>	<b>472.20</b>
<b>योग (अ+ब+स+द)</b>			<b>3,619.47</b>	<b>4,366.63</b>	<b>7,986.10</b>	<b>5,324.97</b>	<b>2,661.13</b>

## परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ कंडिका-2.4.7; पृष्ठ 60)

**निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन  
(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक था)**

₹ करोड़ में

संक्र.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	व्यय	आंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
1	2	3	4	5	6	7
1	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-03-104-4033- विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	4.00	(+)7.22	47.81	(+)36.59
2	03-पुलिस	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	736.19	(-)7.88	743.45	(+)15.14
3	10- वन	2406-01-101-3877- क्षेत्रीय वन मंडल	320.46	(-)3.81	302.74	(-)13.91
4	13-कृषि	2401-001-119-अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)	197.87	(+)9.11	241.10	(+)34.12
5	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	70.86	(-)16.17	65.50	(+)10.81
6		2211-101-0701- केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) - 621-उप स्वास्थ्य केंद्र	78.96	(-)17.49	76.02	(+)14.55
7		2210-03-197-5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	31.33	(-)6.30	35.63	(+)10.60
8		2210-03-197-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) - 5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	52.07	(-)6.55	58.36	(+)12.84
9		2210-06-101-858-कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	20.31	(-)9.27	24.94	(+)13.90
10	20-लोक स्वास्थ्य योन्त्रिकी	2215-01-102-0701- केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) - 7353- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	58.63	(-)30.36	55.71	(+)27.44
11	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	4217-01-050-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	563.00	(-)31.00	94.16	(-)437.84
12	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) - 4151- वृहद पुलों का निर्माण	168.96	(-)25.00	88.40	(-)55.56
13	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	5054-80-190-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7593-छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित	50.00	(-)7.50	0.00	(-)42.50
14		2515-101- 2474 -पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	86.00	(-)49.06	73.36	(+)36.42
15		5054-04-337-0801- केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) - 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	375.00	(-)0.01	333.57	(-)41.42
16		5054-04-337-0311 नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	125.00	(-)6.00	91.29	(-)27.71

1	2	3	4	5	6	7
17		5054–04–337–0311– नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) 7475– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	350.00	(–)165.55	144.07	(–)40.38
18	33–आदिम जाति कल्याण	2202–02–109–583– उच्चतर माध्यमिक शालाएं	223.57	(–)25.64	211.79	(+)13.86
19	41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2211–796–101–0702– केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) –621–उप स्वास्थ्य केंद्र	80.85	(–)28.48	76.85	(+)24.48
20		2210–03–796–197–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना –5998– सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	45.72	(–)2.68	54.51	(+)11.47
21		4202–01–796–202–0102– अनुसूचित जनजाति उपयोजना –1400– छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण	65.62	(–)32.64	51.90	(+)18.92
22		5054–04–796–337–0312–नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) –7475–मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	264.00	(–)139.50	72.38	(–)52.12
23		5054–04–796–337–0312– नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)–8650–मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	95.00	(–)23.59	56.10	(–)15.31
24	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245–01–101–2018–नगद सहायता	8.00	(+)127.85	179.42	(+)43.57
25	64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2408–01–789–102–0103–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक– 6839–मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	504.00	(–)88.23	365.77	(–)50.00
26		5054–04–789–337–0313– नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) –7475– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	86.00	(–)22.00	48.21	(–)15.79
27		5054–04–789–337–0103– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक–9002–अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	318.39	(–)6.50	165.61	(–)146.28
28		5054–04–789–337–0803–केंद्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)–4855–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	90.00	(–)0.01	131.41	(+)41.42
29	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	2059–80–001–2418– निष्पादन	185.80	(+)0.02	166.05	(–)19.77
30	76–लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5054–03–337–1203–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) –7433–छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवल्पमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट–फेज–2	61.00	(+)17.00	62.71	(–)15.29
31		5054–03–337–1201– विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (सामान्य) – 7433– छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवल्पमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट–फेज–2	125.00	(+)64.00	202.12	(+)13.12

1	2	3	4	5	6	7
32	81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217—05—191—7675—14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	87.20	(-)37.69	79.57	(+)30.06
33	82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202—01—796—197—0702—केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यांह भोजन कार्यक्रम	150.00	(-)80.14	107.46	(+)37.60
34		2202—01—796—197—0702— केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933— पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यांह भोजन कार्यक्रम	100.00	(-)51.89	72.43	(+)24.31
35		2202—01—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —8403— शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	600.00	(-)99.01	562.26	(+)61.27
36		2202—02—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —8403— शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	300.00	(-)67.21	258.63	(+)25.84

**परिशिष्ट-2.7**  
 (संदर्भ कंडिका-2.4.8; पृष्ठ 60)  
**वास्तविक बचत से अधिक समर्पण**  
**(प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक हैं)**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	अधिक समर्पित राशि
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>						
1	1	सामान्य प्रशासन	154.15	17.30	18.57	1.27
2	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	669.36	113.08	115.34	2.26
3	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	1,485.58	52.73	60.19	7.46
4	13	कृषि	1,021.00	265.22	290.91	25.69
5	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	351.11	51.25	53.99	2.74
6	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	135.36	75.36	76.87	1.51
7	16	मछली पालन	45.85	6.27	7.83	1.56
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,314.22	189.76	276.03	86.27
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	392.62	50.24	76.20	25.96
10	23	जल संसाधन विभाग	446.46	48.63	49.97	1.34
11	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,413.14	1,133.54	1,153.21	19.67
12	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	99.20	18.32	19.17	0.85
13	33	आदिम जाति कल्याण	1,560.23	68.29	107.20	38.91
14	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	907.87	286.11	290.90	4.79
15	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3,237.88	1,853.80	1,906.79	52.99
16	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,396.54	257.04	407.17	150.13
17	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	44.72	14.14	16.36	2.22
योग—अ			15,675.29	4,501.08	4,926.70	425.62
<b>ब—पूँजीगत दत्तमत</b>						
18	10	वन	18.70	12.16	13.48	1.32
19	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	132.83	22.82	24.33	1.51
20	23	जल संसाधन विभाग	428.90	91.57	93.28	1.71
21	27	स्कूल शिक्षा	110.49	32.92	33.80	0.88
22	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	486.80	96.52	97.08	0.56
23	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ सहायता प्राप्त परियोजनाएं	401.50	116.23	118.01	1.78
24	80	त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	352.60	83.04	85.70	2.66
25	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	407.50	298.54	299.34	0.80
योग—ब			2,339.32	753.80	765.02	11.22
महा योग (अ+ब)			18,014.61	5,254.88	5,691.72	436.84

**परिशिष्ट-2.8**

(संदर्भ कंडिका-2.4.9; पृष्ठ 61)

(वास्तविक बचत से अधिक समर्पण)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्र जहाँ बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) हुई है,  
परन्तु उसके किसी भी अंश का समर्पण नहीं किया गया है

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>			
1	24	लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल	314.73
2	43	खेल और युवा कल्याण	73.79
<b>योग—अ</b>			<b>388.52</b>
<b>ब—पूंजीगत दत्तमत</b>			
3	24	लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल	678.76
4	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	58.50
5	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	372.00
6	43	खेल और युवा कल्याण	1.38
7	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	20.87
8	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.53
<b>योग—ब</b>			<b>1,135.04</b>
<b>महा योग (अ+ब)</b>			<b>1,523.56</b>

## परिशिष्ट—2.9

(संदर्भ कंडिका—2.4.9; पृष्ठ 61)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचत जिसका समर्पण नहीं किया गया
1	2	3	4	6	7
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>					
1	3	पुलिस	113.20	98.06	15.14
2	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	305.64	87.07	218.57
3	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	42.77	25.81	16.96
4	10	वन	105.70	54.06	51.64
5	27	स्कूल शिक्षा	957.45	930.64	26.81
6	28	राज्य विधान मंडल	16.85	0.34	16.51
7	36	परिवहन	24.90	23.56	1.34
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,146.19	3,108.35	37.84
9	49	अनुसूचित जाति कल्याण	9.38	7.47	1.91
10	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	3.21	2.16	1.05
11	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,148.10	906.27	241.83
12	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	126.10	0.21	125.89
13	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	66.00	48.99	17.01
14	80	त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	402.43	352.88	49.55
15	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	301.30	272.24	29.06
<b>योग—अ</b>			<b>6,769.22</b>	<b>5,918.11</b>	<b>851.11</b>
<b>ब—पूंजीगत दत्तमत</b>					
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.09	3.13	11.96
17	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	72.94	46.36	26.58
18	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	616.45	178.61	437.84
19	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	317.72	195.58	122.14
20	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	686.97	585.82	101.15
21	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	470.44	243.58	226.86
22	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	125.66	0.01	125.65
23	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	29.59	25.43	4.16
<b>योग—ब</b>			<b>2,334.86</b>	<b>1,278.52</b>	<b>1,056.34</b>
<b>स—राजस्व भारित</b>					
24	1	सामान्य प्रशासन	3.29	2.12	1.17
25	10	वन	13.49	8.28	5.21
<b>योग—स</b>			<b>16.78</b>	<b>10.40</b>	<b>6.38</b>
<b>महायोग (अ+ब+स)</b>			<b>9,120.86</b>	<b>7,207.03</b>	<b>1,913.83</b>

## परिशिष्ट—2.10

(संदर्भ कंडिका—2.4.9; पृष्ठ 61)

31 मार्च 2016 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदानों/विनियोगों का नाम	कुल प्रावधान	31 मार्च 2016 को समर्पण	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
<b>अ—राजस्व दत्तमत</b>					
1	1	सामान्य प्रशासन	154.15	18.57	12.05
2	3	पुलिस	2,640.30	98.06	3.71
3	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	3,893.68	87.07	2.24
4	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	250.93	25.81	10.29
5	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	669.36	115.34	17.23
6	10	वन	909.67	54.06	5.94
7	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	153.73	20.34	13.23
8	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	1,485.58	60.19	4.05
9	13	कृषि	1,021.00	290.91	28.49
10	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	351.11	53.99	15.38
11	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	135.36	76.87	56.79
12	17	सहकारिता	143.35	65.19	45.48
13	18	श्रम	117.68	43.29	36.79
14	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,314.22	276.03	21.00
15	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	392.62	76.20	19.41
16	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	156.29	114.59	73.32
17	23	जल संसाधन विभाग	446.46	49.97	11.19
18	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	252.82	42.14	16.67
19	27	स्कूल शिक्षा	3,922.70	930.64	23.72
20	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	274.11	62.52	22.81
21	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,413.14	1,153.21	47.79
22	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	39.97	18.99	47.51
23	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	99.20	19.17	19.32
24	33	आदिम जाति कल्याण	1,560.23	107.20	6.87
25	34	समाज कल्याण	70.75	15.27	21.58
26	36	परिवहन	57.66	23.56	40.86
27	37	पर्यटन	59.36	42.67	71.88
28	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	5,329.81	1,615.53	30.31
29	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	9,554.34	3,108.35	32.53
30	44	उच्च शिक्षा	594.72	132.36	22.26
31	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	592.05	335.97	56.75
32	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	28.44	16.57	58.26
33	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	115.50	26.47	22.92
34	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	907.87	290.90	32.04

1	2	3	4	5	6
35	56	ग्रामोद्योग	87.29	19.75	22.63
36	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3,237.88	1,906.79	58.89
37	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,300.30	906.27	27.46
38	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	216.84	60.54	27.92
39	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	484.58	345.55	71.31
40	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	133.58	26.42	19.78
41	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	389.12	48.99	12.59
42	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,498.55	352.88	10.09
43	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,525.89	272.24	17.84
44	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,396.54	407.17	29.16
45	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	44.72	16.36	36.58
योग—अ			54,423.45	13,830.96	
<b>ब—पूंजीगत दत्तमत</b>					
46	3	पुलिस	36.50	17.81	48.79
47	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	227.38	53.95	23.73
48	10	वन	18.70	13.48	72.09
49	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	99.54	47.93	48.15
50	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	47.60	44.60	93.70
51	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	132.83	24.33	18.32
52	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	183.08	46.36	25.32
53	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	920.69	178.61	19.40
54	23	जल संसाधन विभाग	428.90	93.28	21.75
55	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	159.63	75.56	47.33
56	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	15.50	11.56	74.58
57	27	स्कूल शिक्षा	110.49	33.80	30.59
58	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	991.55	195.58	19.72
59	37	पर्यटन	16.00	16.00	100.00
60	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	53.58	15.56	29.04
61	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	35.50	17.02	47.94
62	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,353.81	585.82	24.89
63	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	486.80	97.08	19.94
64	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	94.95	61.06	64.31
65	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	42.00	16.37	38.98
66	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	60.00	60.00	100.00
67	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,158.17	243.58	21.03
68	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	21.65	20.07	92.70
69	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	401.50	118.01	29.39
70	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	139.30	86.20	61.88
71	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	352.60	85.70	24.31

1	2	3	4	5	6
72	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	407.50	299.34	73.46
73	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	262.27	25.43	9.70
74	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	91.00	37.20	40.88
योग—ब			9,349.02	2,621.29	
<b>स—राजस्व भारित</b>					
75		ब्याज का भुगतान एवं ऋण सेवा	2,281.30	10.47	0.46
76	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	90.04	35.17	39.06
77	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	47.93	12.06	25.16
योग—स			2,419.27	57.70	
<b>द—पूंजीगत भारित</b>					
78		लोक ऋण	1,722.38	471.72	27.39
योग—द			1,722.38	471.72	
महायोग (अ+ब+स+द)			67,914.12	16,981.67	

**परिशिष्ट—2.11**  
 (संदर्भ कंडिका—2.4.12; पृष्ठ 62)  
**विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित**

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संस्थाएं	अतिवेग (₹ करोड़ में)
2000–01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 एवं 83	10.21
	2 विनियोग	6 एवं 24	
2001–02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 एवं 83	115.90
	2 विनियोग	16 एवं 25	
2002–03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 एवं 82	114.59
	2 विनियोग	20 एवं 67	
2003–04	4 अनुदान	12, 33, 40 एवं 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान एवं 6	
2004–05	4 अनुदान	15, 24, 67 एवं 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 एवं 42	
2005–06	4 अनुदान	4, 15, 24 एवं 39	23.27
	2 विनियोग	6 एवं 23	
2006–07	4 अनुदान	4, 24, 67 एवं 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007–08	3 अनुदान	23, 33 एवं 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 एवं 36	
2008–09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 एवं 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009–10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 एवं 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 एवं 67	
2010–11	22 अनुदाने	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75 82 एवं ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण, 1, 20, 23, 29 एवं 36	
2011–12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 एवं 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012–13	2 अनुदान	40 एवं 45	0.96
	2 विनियोग	6 एवं 55	
2013–14	3 अनुदान	06, 12 एवं 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 एवं 27	
2014–15	4 अनुदान	06, 19, 33 एवं 80	833.54
	2 विनियोग	06 एवं लोक ऋण	
योग			<b>3,146.93</b>

**परिशिष्ट—2.12**  
 (संदर्भ कंडिका—2.4.13; पृष्ठ 62)  
**व्यय का अतिवेग**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	जनवरी—मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	निम्नलिखित का कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी से मार्च 2016	मार्च 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	2013	35.65	18.56	10.26	52.06	28.78
2	2030	113.02	90.45	6.49	80.03	5.74
3	2039	99.90	47.47	11.92	47.52	11.93
4	2045	289.25	284.17	25.41	98.24	8.78
5	2051	10.78	4.89	0.72	45.36	6.68
6	2058	9.50	4.69	2.97	49.37	31.26
7	2075	0.16	0.16	0.16	100.00	100.00
8	2203	101.45	44.66	10.63	44.02	10.48
9	2204	57.83	38.14	22.30	65.95	38.56
10	2205	38.68	22.76	14.73	58.84	38.08
11	2215	810.41	389.65	264.89	48.08	32.69
12	2217	385.90	155.07	136.26	40.18	35.31
13	2220	69.14	35.89	17.18	51.91	24.85
14	2225	173.10	104.46	73.30	60.35	42.35
15	2230	227.12	116.13	51.82	51.13	22.82
16	2245	1,384.07	1,397.58	952.15	100.98	68.79
17	2250	7.68	7.65	3.75	99.61	48.83
18	2402	42.02	22.74	17.26	54.12	41.08
19	2406	1,117.75	491.60	245.32	43.98	21.95
20	2425	118.3	89.39	83.31	75.56	70.42
21	2435	9.34	9.34	9.34	100.00	100.00
22	2702	86.68	38.34	19.67	44.23	22.69
23	2801	2,698.47	1,431.55	1,236.72	53.05	45.83
24	2852	98.70	62.61	36.98	63.43	37.47
25	2853	246.56	223.34	39.39	90.58	15.98
26	2885	2.30	2.30	2.30	100.00	100.00
27	3275	120.79	57.16	34.50	47.32	28.56
28	3452	16.69	16.23	16.23	97.24	97.24
29	4055	19.26	18.88	0.26	98.03	1.35
30	4059	343.07	235.47	195.34	68.64	56.94
31	4202	497.28	226.89	170.14	45.63	34.21
32	4210	289.82	175.31	137.05	60.49	47.29
33	4217	491.83	244.21	206.43	49.65	41.97
34	4220	0.02	0.02	0.02	100.00	100.00
35	4225	240.73	207.22	147.48	86.08	61.26
36	4235	49.26	37.03	23.62	75.17	47.95
37	4402	19.63	13.04	6.71	66.43	34.18
38	4406	19.13	7.86	5.11	41.09	26.71
39	4425	20.43	18.28	0.00	89.48	0.00
40	4515	721.19	379.72	219.50	52.65	30.44
41	4700	589.57	264.12	164.71	44.80	27.94
42	4701	66.41	40.33	23.35	60.73	35.16

1	2	3	4	5	6	7
43	4702	1,057.61	451.16	233.69	42.66	22.10
44	4705	18.33	12.71	10.01	69.34	54.61
45	4711	5.15	4.97	4.97	96.50	96.50
46	4801	339.35	186.21	131.75	54.87	38.82
47	4851	38.14	31.99	30.89	83.88	80.99
48	4852	15.00	6.08	0.00	40.53	0.00
49	4853	84.07	65.82	3.01	78.29	3.58
50	5053	56.79	51.57	50.53	90.81	88.98
योग		13,356.31	7,889.87	5,115.53		

**परिशिष्ट-2.13**

(संदर्भ कंडिका-2.6.6; पृष्ठ 65)

व्यय के अतिवेग का विस्तृत

(₹ लाख में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	जनवरी-मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	निम्नलिखित का कुल व्यय से प्रतिशत	
					पिछला तिमाही	मार्च 2016
1	2202-01-107-0101-8646-राज्य प्रशिक्षण योजना	1.66	1.66	1.66	100	100
2	2202-01-108-0101-5904-नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	1,200.00	1,200.00	1,144.15	100	95
3	2202-02-053-9005-इमारतों का अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	550.16	499.00	309.00	91	56
4	2202-02-104-0101-5710-शिक्षकों को पुरस्कार	10.00	6.00	6.00	60	60
5	2202-02-104-1201-6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुरक्षण	1,043.39	909.11	794.84	87	76
6	2202-02-106-0101-5904- नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	1,690.00	1,690.00	1,690.00	100	100
7	2202-02-106-0101-6944-पुस्तकालय योजना	344.66	344.66	338.99	100	98
8	2202-04-200-0101-6943-राज्य साक्षरता कार्यक्रम	185.30	185.30	109.68	100	95
9	2202-80-001-0101-5527-संस्कृत बोर्ड का गठन	165.00	99.00	99.00	60	60
10	2202-80-001-0101-6795- टाईपिंग बोर्ड का गठन	3.00	3.00	3.00	100	100
11	4202-01-201-0101-3491-(मू.यु.से. के लिए) माध्यमिक शालाएं	22.76	11.38	11.38	50	50
12	4202-01-201-0101-4396- सरकारी प्राथमिक शालाएं (मू.यु.से. के लिए)	98.77	98.77	49.18	100	50
13	4202-01-202-0701-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	5,834.33	5,834.33	5,834.33	100	100
योग		11,149.03	10,882.21	10,391.21		

(आंकड़े:-विनियोग लेखे 2015-16)

**परिशिष्ट—2.14**  
 (संदर्भ कंडिका—2.6.7; पृष्ठ 66)  
**पर्याप्त बचत का विवरण**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2202—01—107—0701—7673— वि.ख. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	3.00	0	3.00	100
2	2202—01—053—9005—इमारतों का अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	114.00	20.22	93.78	82
3	2202—01—102—0101—110—अशासकीय शालाएं को अनुदान (मू.यु.से. के लिए)	6.00	2.59	3.41	57
4	2202—01—107—0701—1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था	30.32	18.41	11.91	39
5	2202—01—107—0101—8646— राज्य प्रशिक्षण योजना	2.00	0.01	1.99	100
6	2202—01—109—0101—1394—छात्राओं का गणवेश	13.67	1.65	12.02	88
7	2202—01—111—0701—5396—सर्व शिक्षा अभियान	1,071.17	589.26	481.91	45
8	2202—02—053—9005—इमारतों का अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	8.00	5.50	2.50	31
9	2202—02—104—1201—6725—यूरोपियन कमीशन राज्य सञ्चेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुरक्षण	18.77	10.43	8.34	44
10	2202—02—105—4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	5.12	3.73	1.39	27
11	2202—02—105—0101—6744—एजूसेट (शिक्षण) कार्यक्रम	1.56	0.44	1.12	71
12	2202—02—109—0801—7331—एजूसेट (शिक्षण) बालिका प्रोत्साहन योजना	8.50	0.01	8.49	100
13	2202—02—109—0701—7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	250.00	148.24	101.76	41
14	2202—02—109—0101—7367—मॉडल स्कूल योजना	5.76	0	5.76	100
15	2202—02—800—5646—सैनिक स्कूल की स्थापना	3.00	2.00	1.00	33
16	2202—05—80—0801—5526—मदरसा बोर्ड का निर्माण	5.12	1.02	4.10	80
17	4202—01—201—0101—3491—(मू.यु.से. के लिए) माध्यमिक शालाएं	3.11	0.23	2.88	93
18	4202—01—201—0101—4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं (मू.यु.से. के लिए)	5.11	0.99	4.12	81
19	4202—01—201—0101—7657—विज्ञान केंद्र का स्थापना	1.00	0.00	1.00	100
20	4202—01—202—0701—7367—मॉडल स्कूल योजना	25.27	17.37	7.90	31
21	4202—01—202—0101—5646—सैनिक स्कूल की स्थापना	15.00	0	15.00	100
22	4202—01—202—0101—578—उच्चतर माध्यमिक शालाएं	2.00	0	2.00	100
23	2204—101—3464—महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा	1.00	0.80	0.20	20
24	2205—101—6090—गायन विद्यालयों को अनुदान	0.25	0.15	0.10	40
25	2205—0101—4395—सरकारी पुस्तकालय	0.81	0.65	0.16	20
योग		1,599.54	823.70	775.84	

(स्रोत:—विनियोग लेखे 2015—16)

**परिशिष्ट—2.15**  
**(संदर्भ कंडिका—2.6.8; पृष्ठ 66)**  
**सतत् बचत का विवरण**

₹ करोड़ में

संक्र.	मुख्य शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16
1	2202–01–001–1500—जिला शिक्षा अधि. कार्यालय (मू.यु.से. के लिए)	4.94	4.77	19.41
2	2202–01–101–4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं (मू.यु.से. के लिए)	37.95	22.20	68.47
3	2202–01–101–0101–3491—(मू.यु.से. के लिए) माध्यमिक शालाएं	34.83	45.91	16.96
4	2202–01–102–110—अशासकीय शालाएं को अनुदान (मू.यु.से. के लिए)	21.78	15.78	2.82
5	2202–01–102–0101–110—अशासकीय शालाएं को अनुदान (मू.यु.से. के लिए)	2.36	0.95	3.41
6	2202–01–102–0101–8659—अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	10.56	4.77	3.21
7	2202–01–107–0701–1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था	8.57	8.66	11.91
8	2202–01–107–0101–8646—राज्य प्रशिक्षण योजना	0.86	1.98	1.98
9	2202–01–111–0701–5396—सर्व शिक्षा अभियान	112.87	101.48	481.91
10	2202–01–112–0801–5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	13.38	8.47	6.61
11	2202–01–112–0801–6933—मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	8.33	5.69	5.77
12	2202–01–112–0701–5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	1.57	8.79	2.37
13	2202–01–112–0701–6933—मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	2.42	4.48	2.38
14	2202–02–0101–105–4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	2.76	3.11	1.39
15	2202–02–109–578—उच्चतर माध्यमिक शालाएं	34.49	10.57	6.32
16	2202–02–109–0801–7331—एजूसेट (शिक्षण) बालिका प्रोत्साहन योजना	8.50	8.50	8.49
17	2202–02–109–0701–7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	10.33	102.17	101.76
18	2202–02–109–0101–578—उच्चतर माध्यमिक शालाएं	98.53	10.42	16.70
19	2202–02–110–110—अशासकीय शालाएं को अनुदान (मू.यु.से. के लिए)	15.21	8.73	1.56
20	2202–80–001–3858—लोक शिक्षण संचालनालय	2.35	1.44	1.54
21	2204–104–1084—खेल–कूद तथा गतिविधियों पर व्यय	1.96	0.48	0.14
22	2205–101–6090—गायन विद्यालयों को अनुदान	0.07	0.06	0.10
23	2205–105–4395—सरकारी पुस्तकालय	0.40	0.10	0.12
24	2205–0101–4395—सरकारी पुस्तकालय	0.35	0.13	0.16
<b>योग</b>		<b>435.37</b>	<b>379.64</b>	<b>765.49</b>

(आठतः—विनियोग लेखे 2013–16)

**परिशिष्ट-3.1**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.1.1; पृष्ठ 71)  
**31 मार्च 2016 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र**

₹ लाख में

संक्र.	विभाग		अनुदान भुगतान का वर्ष	कुल अनुदान भुगतान		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
						प्राप्त	अप्राप्त	संख्या	राशि
	मुख्य शीर्ष	नाम		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2011	राज्य मंत्रीमंडल	2007–2008	29	129.84	29	129.84	0	0.00
			2008–2009	18	173.16	18	173.16	0	0.00
			2009–2010	19	103.93	19	103.93	0	0.00
			2010–2011	35	129.16	35	129.16	0	0.00
			2011–2012	38	154.78	38	154.78	0	0.00
			2012–2013	29	154.70	29	154.70	0	0.00
			2013–2014	40	193.61	40	193.61	0	0.00
2011 योग				208	1,039.18	208	1,039.18	0	0.00
2	2013	मंत्री-परिषद	2007–2008	322	1,699.97	322	1,699.97	0	0.00
			2008–2009	207	1,379.47	207	1,379.47	0	0.00
			2009–2010	303	1,168.56	303	1,168.56	0	0.00
			2010–2011	348	1,319.13	348	1,319.13	0	0.00
			2011–2012	224	754.13	224	754.13	0	0.00
			2012–2013	259	711.04	259	711.04	0	0.00
			2013–2014	129	1,468.11	129	1,468.11	0	0.00
2013 योग				1814	8,672.79	1814	8,672.79	0	0
3	2014	न्याय प्रशासन	2007–2008	10	224.40	10	224.40	0	0.00
			2008–2009	7	247.95	7	247.95	0	0.00
			2009–2010	2	200.00	2	200.00	0	0.00
			2010–2011	2	200.00	2	200.00	0	0.00
			2011–2012	2	200.00	2	200.00	0	0.00
			2012–2013	6	900.04	6	900.04	0	0.00
			2013–2014	10	854.14	10	854.14	0	0.00
2014 योग				41	2,828.43	39	2,826.53	2	1.90
4	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2011–2012	2	75.00	2	75.00	0	0.00
			2012–2013	7	272.55	7	272.55	0	0.00
			2013–2014	3	187.00	3	187.00	0	0.00
2052 योग				12	534.55	12	534.55	0	0.00
5	2053	जिला प्रशासन	2013–14	8	22.00	8	22.00	0	0.00
2053 योग				8	22.00	8	22.00	0	0.00
6	2055	पुलिस	2007–2008	5	191.00	5	191.00	0	0.00
			2008–2009	2	175.00	2	175.00	0	0.00
			2009–2010	4	109.00	4	109.00	0	0.00
			2010–2011	1	65.00	1	65.00	0	0.00
			2011–2012	2	278.00	2	278.00	0	0.00
			2012–2013	111	4,240.09	111	4,240.09	0	0.00
			2013–2014	103	9,390.09	103	9,390.09	0	0.00
2055 योग				228	14,448.18	228	14,448.18	0	0.00
7	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012–2013	50	26.95	50	26.95	0	0.00
			2013–2014	128	32.35	128	32.35	0	0.00
2070 योग				178	59.30	178	59.30	0	0.00

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाय्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2075	विविध सामान्य सेवाएं	2012–2013	5	6.33	5	6.33	0	0.00
			2013–2014	7	13.37	7	13.37	0	0.00
		2075 योग		12	19.70	12	19.70	0	0.00
9	2202	सामान्य शिक्षा	2007–2008	1993	39,720.56	1993	39,720.56	0	0.00
			2008–2009	3517	43,154.56	3516	43,153.76	1	0.71
			2009–2010	2561	54,960.96	2561	54,960.96	0	0.00
			2010–2011	3034	84,452.99	3034	84,452.99	0	0.00
			2011–2012	3014	1,10,196.23	3014	1,10,196.23	0	0.00
			2012–2013	6184	1,69,722.47	6184	1,69,722.47	0	0.00
			2013–2014	11528	2,87,162.00	11528	2,87,162.00	0	0.00
			2014–2015	437	62,202.54	52	9,350.38	385	52,852.16
			2015–2016	265	4,604.76	0	0	265	4,604.76
		2202 योग		32533	8,56,177.07	31882	7,98,719.35	651	57,457.63
10	2203	तकनीकी शिक्षा	2007–2008	6	169.00	6	169.00	0	0.00
			2008–2009	4	250.48	4	250.48	0	0.00
			2009–2010	3	120.00	3	120.00	0	0.00
			2010–2011	2	120.00	2	120.00	0	0.00
			2011–2012	2	120.00	2	120.00	0	0.00
			2012–2013	4	509.81	4	509.81	0	0.00
			2013–2014	4	367.19	4	367.19	0	0.00
		2203 योग		25	1,656.48	25	1,656.48	0	0.00
11	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	2007–2008	135	84.73	135	84.73	0	0.00
			2008–2009	128	132.45	128	132.45	0	0.00
			2009–2010	146	126.31	146	126.31	0	0.00
			2010–2011	139	345.15	139	345.15	0	0.00
			2011–2012	116	177.69	116	177.69	0	0.00
			2012–2013	256	5,583.21	256	5,583.21	0	0.00
			2013–2014	399	1,102.32	399	1,102.32	0	0.00
			2014–2015	1	0.24	1	0.24	0	0
			2015–2016	1	0.2	1	0.2	0	0
		2204 योग		1321	7,552.30	1321	7,552.30	0	0.00
12	2205	कला एवं संस्कृति	2007–2008	69	53.77	69	53.77	0	0.00
			2008–2009	92	85.72	92	85.72	0	0.00
			2009–2010	66	64.86	66	64.86	0	0.00
			2010–2011	111	65.24	111	65.24	0	0.00
			2011–2012	114	96.88	114	96.88	0	0.00
			2012–2013	68	173.12	68	173.12	0	0.00
			2013–2014	131	241.12	131	241.12	0	0.00
			2015–2016	2	9.46	0	0	2	9.46
		2205 योग		653	790.17	651	780.71	2	9.46
13	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2007–2008	111	1,702.93	111	1,702.93	0	0.00
			2008–2009	117	4,427.29	117	4,427.29	0	0.00
			2009–2010	134	9,366.43	134	9,366.43	0	0.00
			2010–2011	116	7,029.62	116	7,029.62	0	0.00
			2011–2012	136	15,369.22	136	15,369.22	0	0.00
			2012–2013	603	23,287.56	603	23,287.56	0	0.00
			2013–2014	504	31,744.81	504	31,744.81	0	0.00
			2014–2015	3	62.42	3	62.42	0	0
		2210 योग		1724	92,990.28	1724	92,990.28	0	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	2215	जलापूर्ति तथा सफाई	2007–2008	109	5,681.41	109	5,681.41	0	0.00
			2008–2009	109	7,335.45	109	7,335.45	0	0.00
			2009–2010	131	6,081.54	131	6,081.54	0	0.00

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाय्य वित्त)

			2010–2011	60	4,910.20	60	4,910.20	0	0.00	
			2011–2012	60	5,843.70	60	5,843.70	0	0.00	
			2012–2013	68	5,621.05	68	5,621.05	0	0.00	
			2013–2014	102	5,591.67	102	5,591.67	0	0.00	
		<b>2215 योग</b>			<b>639</b>	<b>41,065.02</b>	<b>639</b>	<b>41,065.02</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
15	2216	आवास	2007–2008	45	478.79	45	478.79	0	0.00	
			2008–2009	47	1,938.56	47	1,938.56	0	0.00	
			2009–2010	51	2,357.72	50	2,357.53	1	0.19	
			2010–2011	39	844.98	39	844.98	0	0.00	
			2011–2012	73	2,448.04	73	2,448.04	0	0.00	
			2012–2013	122	4,157.70	122	4,157.70	0	0.00	
			2013–2014	346	18,299.24	346	18,299.24	0	0.00	
			2014–2015	17	2,227.15	17	2,227.15	0	0	
		<b>2216 योग</b>			<b>740</b>	<b>32,752.18</b>	<b>739</b>	<b>32,751.99</b>	<b>1</b>	<b>0.19</b>
16	2217	नगर विकास	2007–2008	66	19,142.50	63	17,784.04	3	1,358.46	
			2008–2009	107	22,562.21	106	21,682.21	1	880.00	
			2009–2010	63	35,465.65	61	32,825.65	2	2,640.00	
			2010–2011	139	30,136.95	0	0.00	139	30,136.95	
			2011–2012	116	40,336.77	0	0.00	116	40,336.77	
			2012–2013	157	70,254.52	13	12,110.68	144	58,143.84	
			2013–2014	152	80,597.52	0	0.00	152	80,597.52	
			2014–2015	15	5,913.12	0	0.00	15	5,913.12	
			2015–2016	2	111.35	0	0	2	111.35	
		<b>2217 योग</b>			<b>817</b>	<b>3,04,520.59</b>	<b>243</b>	<b>84,402.58</b>	<b>574</b>	<b>2,20,118.01</b>
17	2220	सूचना तथा प्रचार	2007–2008	5	6.47	5	6.47	0	0.00	
			2008–2009	12	10.05	12	10.05	0	0.00	
			2009–2010	7	12.80	7	12.80	0	0.00	
			2010–2011	14	25.88	14	25.88	0	0.00	
			2011–2012	12	14.22	12	14.22	0	0.00	
			2012–2013	12	11.30	12	11.30	0	0.00	
			2013–2014	11	19.18	11	19.18	0	0.00	
		<b>2220 योग</b>			<b>73</b>	<b>99.90</b>	<b>73</b>	<b>99.90</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
18	2225	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2007–2008	269	3,829.56	269	3,829.56	0	0.00	
			2008–2009	228	4,466.95	228	4,466.95	0	0.00	
			2009–2010	241	3,492.08	241	3,492.08	0	0.00	
			2010–2011	212	3,255.30	212	3,255.30	0	0.00	
			2011–2012	359	5,087.83	359	5,087.83	0	0.00	
			2012–2013	1936	26,097.03	1936	26,097.03	0	0.00	
			2013–2014	2024	24,996.06	2024	24,996.06	0	0.00	
			2014–2015	1	1.2	1	1.2	0	0	
			2015–2016	5	44.05	0	0	5	44.05	
		<b>2225 योग</b>			<b>5275</b>	<b>71,270.06</b>	<b>5270</b>	<b>71,226.01</b>	<b>5</b>	<b>44.05</b>
19	2230	श्रम तथा रोजगार	2010–2011	1	45.00	1	45.00	0	0.00	
			2011–2012	10	315.01	10	315.01	0	0.00	
			2012–2013	107	1,019.81	107	1,019.81	0	0.00	
			2013–2014	207	2,433.09	207	2,433.09	0	0.00	
		<b>2230 योग</b>			<b>325</b>	<b>3,812.91</b>	<b>325</b>	<b>3,812.91</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2007–2008	455	3,357.49	455	3,357.49	0	0.00
			2008–2009	480	16,443.60	480	16,443.60	0	0.00
			2009–2010	521	4,808.51	521	4,808.51	0	0.00
			2010–2011	868	6,843.96	868	6,843.96	0	0.00
			2011–2012	1216	6,515.63	1216	6,515.63	0	0.00
			2012–2013	3054	23,670.11	3054	23,670.11	0	0.00
			2013–2014	7958	58,621.67	7958	58,621.67	0	0.00
			2014–2015	270	4,558.95	205	3,993.55	65	565.40
			2015–2016	45	310.79	0	0	45	310.79
2235 योग			14867	1,25,130.71	14757	1,24,254.52	110	876.19	
21	2236	पोषण	2013–2014	2	5.10	2	5.10	0	0.00
			2015–2016	1	9.0	0	0	1	9.0
2236 योग			3	14.10	2	5.10	1	9.00	
22	2245	प्राकृतिक विपत्ति से राहत	2007–2008	22	9.21	22	9.21	0	0.00
			2009–2010	13	9.92	13	9.92	0	0.00
			2010–2011	6	8.05	6	8.05	0	0.00
			2012–2013	618	1,066.84	618	1,066.84	0	0
			2013–2014	2960	5,582.58	2960	5,582.58	0	0
			2014–2015	47	353.04	42	341.99	5	11.05
			2015–2016	89	207.83	0	0	89	207.83
2245 योग			3755	7,237.47	3661	7,018.59	94	218.88	
23	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	2007–2008	1	5.25	1	5.25	0	0.00
			2009–2010	4	264.75	4	264.75	0	0.00
			2010–2011	5	276.00	5	276.00	0	0.00
			2011–2012	6	370.75	6	370.75	0	0.00
			2012–2013	18	510.56	18	510.56	0	0.00
			2013–2014	43	506.18	43	506.18	0	0.00
			2015–2016	2	347	0	0	2	347
2250 योग			79	2,280.49	77	1,933.49	2	347.00	
24	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2012–2013	9	5.28	9	5.28	0	0.00
2251 योग			9	5.28	9	5.28	0	0.00	
25	2401	फसल कृषि-कर्म	2007–2008	94	2,374.60	94	2,374.60	0	0.00
			2008–2009	178	6,381.09	178	6,381.09	0	0.00
			2009–2010	236	4,644.08	236	4,644.08	0	0.00
			2010–2011	383	15,318.99	383	15,318.99	0	0.00
			2011–2012	582	12,143.59	582	12,143.59	0	0.00
			2012–2013	4541	47,069.31	4541	47,069.31	0	0.00
			2013–2014	1093	13,748.54	1093	13,748.54	0	0.00
2401 योग			7107	1,01,680.20	7107	1,01,680.20	0	0.00	
26	2402	मृदा तथा जल संरक्षण	2012–2013	4	6.16	4	6.16	0	0.00
			2013–2014	1	3.71	1	3.71	0	0.00
2402 योग			5	9.87	5	9.87	0	0.00	

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (गण्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2403	पशुपालन	2007–2008	155	1,862.60	155	1,862.60	0	0.00
			2008–2009	165	1,679.14	165	1,679.14	0	0.00
			2009–2010	146	3,781.64	146	3,781.64	0	0.00
			2010–2011	182	5,090.72	182	5,090.72	0	0.00
			2011–2012	203	3,019.24	203	3,019.24	0	0.00
			2012–2013	1144	7,797.78	1144	7,797.78	0	0.00
			2013–2014	1615	5,275.54	1615	5,275.54	0	0.00
			2014–2015	1	40	1	40	0	0
2403 योग				3611	28,546.66	3611	28,546.66	0	0.00
28	2405	मछली पालन	2007–2008	172	179.74	172	179.74	0	0.00
			2008–2009	167	310.94	167	310.94	0	0.00
			2009–2010	126	241.27	126	241.27	0	0.00
			2010–2011	164	484.18	164	484.18	0	0.00
			2011–2012	144	472.07	144	472.07	0	0.00
			2012–2013	603	2,205.32	603	2,205.32	0	0.00
			2013–2014	738	2,309.52	738	2,309.52	0	0.00
2405 योग				2114	6,203.04	2114	6,203.04	0	0.00
29	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2010–2011	1	87.00	1	87.00	0	0.00
			2013–2014	9	319.06	9	319.06	0	0.00
2406 योग				10	406.06	10	406.06	0	0.00
30	2408	खाद्य, भण्डारण तथा भंडारगार	2007–2008	8	2,021.01	8	2,021.01	0	0.00
			2008–2009	18	2,035.59	18	2,035.59	0	0.00
			2009–2010	22	59,941.17	22	59,941.17	0	0.00
			2010–2011	31	28,265.92	31	28,265.92	0	0.00
			2011–2012	23	2,710.10	23	2,710.10	0	0.00
			2012–2013	41	44,179.43	41	44,179.43	0	0.00
			2013–2014	63	2,23,486.24	63	2,23,486.24	0	0.00
2408 योग				206	3,62,639.46	206	3,62,639.46	0	0.00
31	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2007–2008	8	1,861.25	8	1,861.25	0	0.00
			2008–2009	8	2,427.55	8	2,427.55	0	0.00
			2009–2010	7	2,775.00	7	2,775.00	0	0.00
			2010–2011	13	5,182.50	13	5,182.50	0	0.00
			2011–2012	11	6,185.00	11	6,185.00	0	0.00
			2012–2013	8	7,425.00	8	7,425.00	0	0.00
			2013–2014	14	8,227.50	14	8,227.50	0	0.00
			2015–2016	5	4808	0	0	5	4808
2415 योग				74	38,891.80	69	34,083.80	5	4,808.00
32	2425	सहकारिता	2007–2008	6	55.20	6	55.20	0	0.00
			2008–2009	5	34.96	5	34.96	0	0.00
			2010–2011	13	303.45	13	303.45	0	0.00
			2011–2012	11	941.04	11	941.04	0	0.00
			2012–2013	12	7,980.34	12	7,980.34	0	0.00
			2013–2014	13	5,951.28	13	5,951.28	0	0.00
2425 योग				60	15,266.27	60	15,266.27	0	0.00
33	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2007–2008	4	1,137.80	4	1,137.80	0	0.00
2435 योग				4	1,137.80	4	1,137.80	0	0.00

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2007–2008	122	1,228.50	122	1,228.50	0	0
			2008–2009	164	1,663.94	164	1,663.94	0	0
			2009–2010	163	1,246.04	163	1,246.04	0	0
			2010–2011	112	1,537.95	112	1,537.95	0	0
			2011–2012	120	3,181.51	120	3,181.51	0	0
			2012–2013	89	2,088.20	89	2,088.20	0	0.00
			2013–2014	205	4,552.99	205	4,552.99	0	0
			2014–2015	12	73.44	12	73.44	0	
			2015–2016	24	1,258.01	24	1,258.01	0	0
2501 योग				1011	16,830.58	1011	16,830.58	0	0.00
35	2505	ग्राम रोजगार	2007–2008	64	4,046.30	64	4,046.30	0	0
			2008–2009	78	4,716.99	78	4,716.99	0	0
			2009–2010	36	2,272.68	36	2272.68	0	0
			2010–2011	45	5,343.11	45	5,343.11	0	0
			2011–2012	43	4,740.43	43	4,740.43	0	0
			2012–2013	102	10,605.27	102	10,605.27	0	0
			2013–2014	15	22,104.61	15	22,104.61	0	0
			2014–2015	6	54,443.45	6	54,443.45	0	0
2505 योग				389	1,08,272.84	389	1,08,272.84	0	0.00
36	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2007–2008	195	20,361.85	195	20,361.85	0	0
			2008–2009	179	19,119.64	179	19,119.64	0	0
			2009–2010	195	18,935.48	195	18,935.48	0	0
			2010–2011	243	17,519.40	243	17,519.40	0	0
			2011–2012	424	30,683.75	314	25,990.00	110	4693.76
			2012–2013	1356	88,418.11	877	48,089.61	479	40328.51
			2013–2014	1900	1,59,641.63	1218	89,150.59	682	70491.04
			2014–2015	127	26,328.66	115	25,083.73	12	1244.93
			2015–2016	1	21	0	0	1	21
2515 योग				4620	3,81,029.52	3336	2,64250.3	1284	1,16,779.24
37	2702	लघु सिंचाई	2007–2008	220	510.28	220	510.28	0	0.00
			2008–2009	320	782.37	320	782.37	0	0.00
			2009–2010	268	831.65	268	831.65	0	0.00
			2010–2011	245	847.56	245	847.56	0	0.00
			2011–2012	275	1,060.48	275	1,060.48	0	0.00
			2012–2013	698	2,895.97	698	2,895.97	0	0.00
			2013–2014	1354	5,148.06	1354	5,148.06	0	0.00
			2014–2015	9	15.21	0	0	9	15.21
2702 योग				3390	12,093.40	3380	12,076.37	10	17.03
38	2801	बिजली	2007–2008	20	4,601.95	9	1,972.48	11	2,629.47
			2008–2009	34	5,197.52	20	1,347.51	14	3850.01
			2009–2010	22	4,760.25	4	160	18	4600.25
			2010–2011	10	8,009.00	7	3,660.00	3	4349.00
			2011–2012	5	10,000.00	5	10,000.00	0	0
			2012–2013	13	56,975.65	12	56,975.64	1	0.01
			2013–2014	30	16,957.00	28	1,5045	2	1,912
2801 योग				134	1,06,501.37	85	89,160.63	49	17,340.74

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	2810	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	2007–2008	13	3,910.00	11	3,160.00	2	750.00
			2008–2009	14	2,918.00	13	2,418.00	1	500.00
			2009–2010	13	2,475.00	9	1,848.50	4	626.50
			2010–2011	15	3,578.00	0	0.00	15	3,578.00
			2011–2012	15	3,565.00	0	0.00	15	3,565.00
			2012–2013	19	6,442.50	0	0.00	19	6,442.50
			2013–2014	6	2,096.00	0	0.00	6	2,096.00
			2015–2016	1	30	0	0.00	1	30
2810 योग				96	25,014.50	33	7,426.50	63	17,588.00
40	2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2007–2008	112	1,335.17	112	1,335.17	0	0.00
			2008–2009	95	1,387.52	95	1,387.52	0	0.00
			2009–2010	97	1,841.71	97	1,841.71	0	0.00
			2010–2011	59	1,720.60	59	1,720.60	0	0.00
			2011–2012	54	2,697.23	54	2,697.23	0	0.00
			2012–2013	136	2,591.33	136	2,591.33	0	0.00
			2013–2014	226	2,602.82	226	2,602.82	0	0.00
			2014–2015	1	0.13	0	0	1	0.13
2851 योग				780	14,176.51	779	14,176.38	1	0.13
41	2852	उद्योग	2007–2008	2	41.00	2	41.00	0	0.00
			2008–2009	5	136.39	5	136.39	0	0.00
			2009–2010	11	359.88	11	359.88	0	0.00
			2010–2011	6	399.51	6	399.51	0	0.00
			2011–2012	9	906.71	9	906.71	0	0.00
			2012–2013	21	1,297.35	21	1,297.35	0	0.00
			2013–2014	39	1,808.33	39	1,808.33	0	0.00
			2014–2015	2	801.10	0	0	2	801.10
2852 योग				95	5,750.27	93	4,949.17	2	801.10
42	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2007–2008	7	732.57	7	732.57	0	0.00
			2008–2009	1	118.89	1	118.89	0	0.00
			2012–2013	48	8,884.13	48	8,884.13	0	0.00
			2013–2014	104	8,964.80	104	8,964.80	0	0.00
2853 योग				160	18,700.39	160	18,700.39	0	0.00
43	2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	2007–2008	1	25.00	1	25.00	0	0.00
			2008–2009	1	25.00	1	25.00	0	0.00
			2010–2011	1	30.00	1	30.00	0	0.00
			2011–2012	1	30.00	1	30.00	0	0.00
			2012–2013	1	30.00	1	30.00	0	0.00
			2013–2014	1	30.00	1	30.00	0	0.00
2885 योग				6	170.00	6	170.00	0	0.00
44	3054	सड़क तथा सेतु	2007–2008	2	500.00	2	500.00	0	0
			2008–2009	2	2,497.00	2	2,497.00	0	0
			2009–2010	1	2,500.00	1	2,500.00	0	0
			2010–2011	2	6,300.00	2	6,300.00	0	0
			2011–2012	3	10,000.00	3	10,000.00	0	0
			2012–2013	2	10,000.00	2	10,000.00	0	0
			2013–2014	3	12,250.00	3	12,250.00	0	0
3054 योग				15	44,047.00	15	44,047.00	0	0.00

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (गण्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	3275	अन्य संचार सेवाएँ	2007–2008	5	1,326.00	5	1,326.00	0	0.00
			2008–2009	8	1,394.00	8	1,394.00	0	0.00
			2009–2010	4	614.00	4	614.00	0	0.00
			2010–2011	4	509.92	4	509.92	0	0.00
			2011–2012	12	2,611.49	12	2,611.49	0	0.00
			2012–2013	11	7,458.00	11	7,458.00	0	0.00
			2013–2014	6	2,600.75	6	2,600.75	0	0.00
3275 योग				50	16,514.16	50	16,514.16	0	0.00
46	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2007–2008	15	691.82	15	691.82	0	0.00
			2008–2009	14	709.46	14	709.46	0	0.00
			2009–2010	12	573.58	12	573.58	0	0.00
			2010–2011	7	156.15	7	156.15	0	0.00
			2011–2012	11	454.50	11	454.50	0	0.00
			2012–2013	11	818.62	11	818.62	0	0.00
			2013–2014	14	1,113.93	14	1,113.93	0	0.00
3425 योग				84	4,518.06	84	4,518.06	0	0.00
47	3452	पर्यटन	2007–2008	12	2,000.00	12	2,000.00	0	0.00
			2008–2009	10	3,100.00	10	3,100.00	0	0.00
			2009–2010	9	3,200.00	9	3,200.00	0	0.00
			2010–2011	11	3,235.00	11	3,235.00	0	0.00
			2011–2012	8	3,235.00	8	3,235.00	0	0.00
			2012–2013	13	4,158.50	13	4,158.50	0	0.00
			2013–2014	11	4,002.35	11	4,002.35	0	0.00
3452 योग				74	22,930.85	74	22,930.85	0	0.00
48	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2010–2011	1	910.00	1	910.00	0	0.00
3454 योग				1	910.00	1	910.00	0	0.00
49	3604	स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2007–2008	127	52,301.23	0	0.00	127	52,301.23
			2008–2009	69	50,446.19	2	10,546.21	67	39,899.98
			2009–2010	137	45,092.15	1	169.63	136	44,922.52
			2010–2011	177	69,265.13	16	154.11	161	69,111.02
			2011–2012	205	69,221.95	1	238.34	204	68,983.61
			2012–2013	218	88,772.89	15	5,071.19	203	83,701.70
			2013–2014	214	99,973.71	0	0.00	214	99,973.71
			2014–2015	89	75,699.77	0	0.00	89	75,699.77
			2015–2016	180	79,276.51	0	0	180	79,276.51
3604 योग				1416	6,30,049.53	35	16,179.48	1381	6,13,870.05
50	4202	शिक्षण, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2007–2008	3	2,016.42	3	2,016.42	0	0.00
			2008–2009	3	3,700.00	3	3,700.00	0	0.00
			2009–2010	1	500.00	1	500.00	0	0.00
4202 योग				7	6,216.42	7	6,216.42	0	0.00
51	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2007–2008	1	1,200.00	1	1,200.00	0	0.00
4210 योग				1	1,200.00	1	1,200.00	0	0.00

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाय्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
52	4225	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	102	751.56	102	751.56	0	0.00		
			2008–2009	63	610.52	63	610.52	0	0.00		
			2009–2010	70	1,394.74	70	1,394.74	0	0.00		
			2010–2011	73	1,482.57	73	1,482.57	0	0.00		
<b>4225 योग</b>			<b>308</b>	<b>4,239.39</b>	<b>308</b>	<b>4,239.39</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			
53	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	34	3,585.65	34	3,585.65	0	0.00		
			2008–2009	11	832.00	11	832.00	0	0.00		
			2009–2010	32	2,541.60	32	2,541.60	0	0.00		
			2010–2011	23	3,428.60	23	3,428.60	0	0.00		
<b>4515 योग</b>			<b>100</b>	<b>10,387.85</b>	<b>100</b>	<b>10,387.85</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			
54	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	1	0.03	1	0.03	0	0.00		
			2008–2009	1	0.03	1	0.03	0	0.00		
			2009–2010	3	0.10	3	0.10	0	0.00		
<b>4801 योग</b>			<b>5</b>	<b>0.16</b>	<b>5</b>	<b>0.16</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			
55	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2007–2008	1	37.48	1	37.48	0	0.00		
			2008–2009	1	1,017.41	1	1,017.41	0	0.00		
			2009–2010	1	600.91	1	600.91	0	0.00		
			2010–2011	4	1,371.23	4	1,371.23	0	0.00		
<b>4851 योग</b>			<b>7</b>	<b>3,027.03</b>	<b>7</b>	<b>3,027.03</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			
56	5054	सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2008–2009	2	2,212.10	2	2,21	0	0.00		
			2013–2014	1	2,200.00	1	2,200.00	0	0.00		
<b>5054 योग</b>			<b>3</b>	<b>4,412.10</b>	<b>3</b>	<b>4,412.10</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			
<b>महायोग</b>			<b>91282</b>	<b>3566752.23</b>	<b>87045</b>	<b>2516465.56</b>	<b>4237</b>	<b>1050286.6</b>			

## परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.1.4; पृष्ठ 74)

विलंब से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण मुख्य शीर्ष-2515 एवं 2217

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	प्रमाणक राशि ₹ में	उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या
1	2515	4855	7,00,00,000	1
2	2515	5847	3,18,98,800	57
3	2515	5848	4,18,62,30,000	105
4	2515	6725	1,19,88,000	1
5	2515	6746	1,79,20,24,000	153
6	2515	6747	1,32,89,000	2
7	2515	6782	54,44,06,000	130
8	2515	6846	1,12,70,000	2
9	2515	6859	44,91,33,000	167
10	2515	7019	7,09,02,99,609	125
11	2515	7143	28,95,000	3
12	2515	7243	39,50,27,000	176
13	2515	7316	1,03,73,000	2
14	2515	7416	7,62,60,31,000	436
15	2515	7675	5,00,000	1
16	2515	7690	4,80,000	1
17	2515	8014	7,17,628	3
18	2515	8209	70,65,44,331	428
19	2515	8210	1,79,67,046	85
20	2515	8214	1,02,79,22,600	576
21	2515	8243	3,10,000	1
22	2515	8309	96,600	1
23	2515	8391	47,50,000	26
24	2515	8392	16,28,499	116
25	2515	8393	1,57,955	1
26	2515	8514	1,83,17,000	1
27	2515	8555	97,88,83,784	312
28	2515	8646	3,00,000	1
29	2515	8657	1,97,83,92,330	169
30	2515	8659	8,09,975	2
31	2515	8668	12,01,86,207	149
32	2515	8868	1,16,295	1
33	2515	8879	3,75,92,208	56
34	2515	8891	13,95,10,000	56
35	2515	8914	5,34,741	1
36	2515	8918	12,57,16,536	46
37	2515	7019	1,83,54,000	1
38	2515	—	34,91,81,788	33
योग			27,76,38,33,932	3427
39	2217	209	45000000	1
40	2217	1785	83325000	7
41	2217	1786	41212500	9
42	2217	1787	6000000	1
43	2217	1788	101415000	7
44	2217	4178	3,20,00,000	8
45	2217	4179	3,34,75,000	7
46	2217	5704	35,20,00,000	3
47	2217	5866	1,75,39,41,000	172
48	2217	6047	30,00,000	7

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (गण्य वित्त)

49	2217	6741	1,41,29,27,757	11
50	2217	6807	97,57,27,100	14
51	2217	6808	91,83,92,000	4
52	2217	7241	6,89,06,00,000	63
53	2217	7329	56,49,00,300	8
54	2217	7404	10,37,75,000	5
55	2217	7409	5,79,84,000	8
56	2217	7416	255,61,12,000	33
57	2217	7418	1,27,70,000	3
58	2217	7487	5,95,61,000	5
59	2217	8543	35,43,25,950	16
60	2217	8630	3,69,47,000	1
61	2217	9106	37,84,34,000	69
62	2217	8635	5,00,00,000	2
योग			<b>16,82,38,24,607</b>	<b>464</b>

**परिशिष्ट-3.3**

(संदर्भ: कंडिका 3.1.5.5; पृष्ठ 80)

जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा विलंब से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	डी.टी.ओ. कोड	(₹ लाख में)	उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या
1	2515	7019	822007	1,913.00	6
2	2515	8210	822007	2.57	3
3	2515	8391	822007	1.00	1
4	2515	5847	822007	6.04	2
5	2515	8879	822007	8.10	2
6	2515	8214	822007	116.07	1
7	2515	5848	822007	738.90	2
8	2515	8392	822007	43.62	4
9	2515	8668	822007	27.94	7
10	2515	8657	822007	292.00	3
11	2515	6782	822007	246.13	8
12	2515	6859	822007	27.26	9
13	2515	7416	822007	1,115.49	9
14	2515	8209	822007	8.27	2
15	2515	7243	822007	46.80	3
16	2515	स्टांप शुल्क	822007	101.23	1
17	2515	पंचायत कर्मी सचिव व्यवस्था	822007	184.60	1
योग				4,879.02	64

**परिशिष्ट-3.4**

(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 81)

**वित्तीय सहायता की विस्तृत जानकारी देने वाली संस्थाओं की सूची**

स. क्र.	संस्थाओं के नाम
1	संचालनालय, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़
2	छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडल, रायपुर
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी
4	छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
5	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
6	होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, रायपुर
7	ग्राम उद्योग निदेशालय (रेशम उत्पादन विभाग), छत्तीसगढ़
8	धार्मिक ट्रस्ट एवं धर्मादा विभाग, छत्तीसगढ़
9	उद्योग निदेशालय, छत्तीसगढ़
10	पुलिस आवास निगम, छत्तीसगढ़
11	आयुष और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
12	जेल और सुधारात्मक सेवाओं मुख्यालय
13	अनुसूचित जाति के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान
14	निवास और पर्यावरण विभाग
15	सैनिक कल्याण निदेशालय
16	ग्राम उद्योग निदेशालय (हथकरघा), छत्तीसगढ़
17	पुनर्वास आयुक्त के कार्यालय (राजस्व और आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग) छत्तीसगढ़
18	स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
19	सुचना प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय संस्थान

**परिशिष्ट— 3.5**

(संदर्भ: कंडिका—3.2.1; पृष्ठ 81)

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के तहत पहचान की गयी

स. क्र.	प्राप्तकर्ता	तक लेखा परीक्षित
1	नोडल अधिकारी, संजीवनी कोष	लेखा परीक्षित नहीं
2	निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	04 / 2005 से 03 / 2010
3	नोडल अधिकारी, तत्काल चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा	लेखा परीक्षित नहीं
4	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र	05 / 2002 से 11 / 2005
5	प्रबंध निदेशक, पर्यटन मंडल	04 / 2008 से 03 / 2010
6	आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	लेखा परीक्षित नहीं
7	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ	लेखा परीक्षित नहीं
8	मिशन निदेशक, राज्य उद्यानिकी विकास समिति	लेखा परीक्षित नहीं
9	प्रबंध निदेशक, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना एवं अन्य	लेखा परीक्षित नहीं
10	प्रबंध निदेशक, सहकारी शक्कर कारखाना	लेखा परीक्षित नहीं
11	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण	लेखा परीक्षित नहीं
12	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास मंडल	05 / 2006 से 09 / 2010
13	प्रबंध निदेशक, खादी ग्राम उद्योग मंडल	07 / 2001 से 08 / 2012
14	रजिस्ट्रार, सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
15	सचिव, संस्कृत मंडल	लेखा परीक्षित नहीं
16	हस्तशिल्प विकास एवं विपणन सहकारी महासंघ	लेखा परीक्षित नहीं
17	रजिस्ट्रार बिलासपुर विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
18	रजिस्ट्रार दुर्ग विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
19	राज्य उच्च शिक्षा परिषद	लेखा परीक्षित नहीं
20	कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	लेखा परीक्षित नहीं
21	कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	02 / 2014 से 01 / 2016
22	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ महिला कोष	लेखा परीक्षित नहीं
23	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम	शुरू से 12 / 2012
24	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी	लेखा परीक्षित नहीं
25	प्रबंध निदेशक, रायपुर दुर्घ उत्पादन महासंघ	लेखा परीक्षित नहीं
26	परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी कल्याण विकास परियोजना	09 / 2015 तक
27	हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ	लेखा परीक्षित नहीं
28	मिशन निदेशक, राजीव गांधी मिशन	2011–12 से 2015–16
29	प्राचार्य, चितानी मितानी दूबे महाविद्यालय, बिलासपुर एवं अन्य महाविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
30	रजिस्ट्रार, हिदायतुला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
31	रजिस्ट्रार, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
32	रजिस्ट्रार, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
33	वित्तीय नियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
34	रजिस्ट्रार, आयुष एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
35	कुलपति, कामधेनु विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
36	रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय	09 / 2008 से 12 / 2014
37	रजिस्ट्रार, बस्तर विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
38	रजिस्ट्रार, रविशंकर विश्वविद्यालय	04 / 2004 से 03 / 2016
39	रजिस्ट्रार, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
40	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	लेखा परीक्षित नहीं

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाय्य वित्त)

41	परियोजना निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स निवारण समिति	08 / 2011 से 06 / 2015
42	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	लेखा परीक्षित नहीं
43	निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	लेखा परीक्षित नहीं
44	नोडल अधिकारी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	लेखा परीक्षित नहीं
45	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	लेखा परीक्षित नहीं
46	स्काउट एसोसिएशन	लेखा परीक्षित नहीं
47	नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना	लेखा परीक्षित नहीं
48	निदेशक, सिक्कल सेल संस्था	लेखा परीक्षित नहीं
49	राज्य आयुष समिति	लेखा परीक्षित नहीं
50	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण	लेखा परीक्षित नहीं
51	सचिव, वक्फ बोर्ड	लेखा परीक्षित नहीं
52	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कॉमिटी	लेखा परीक्षित नहीं
53	राज्य जनजातिय अनुसंधान एवं परिक्षण संस्थान	04 / 2005 से 06 / 2014
54	केंद्रीय भंडार, रायगढ़	लेखा परीक्षित नहीं
55	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कुशल विकास प्राधिकरण	लेखा परीक्षित नहीं
56	सचिव रामकृष्णा मिशन	लेखा परीक्षित नहीं
57	छत्तीसगढ़ संवाद	लेखा परीक्षित नहीं
58	सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण संघ	लेखा परीक्षित नहीं
59	लार्ड बुद्धा शैक्षिक समिति	लेखा परीक्षित नहीं
60	अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति	लेखा परीक्षित नहीं
61	प्रबंध निदेशक, सहकारिता	लेखा परीक्षित नहीं
62	छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ	लेखा परीक्षित नहीं
63	छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण	05 / 2014 से 02 / 2016
64	छत्तीसगढ़ हाथकरघा विकास एवं विपणन	लेखा परीक्षित नहीं
65	छत्तीसगढ़ माटी कला मंडल	लेखा परीक्षित नहीं
66	महात्मा गांधी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित	लेखा परीक्षित नहीं

**परिशिष्ट-3.6**

(संदर्भ: कंडिका 3.2.2; पृष्ठ 82)

**(31 मार्च 2016 तक स्वायत्त निकायों के लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का विश्लेषण)**

सं. क्र.	निकाय	दिनांक	प्रदत्त लेखा वर्ष	बकाया लेखा वर्ष	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का जारी करने का वर्ष	पृथक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	8.10.2004	2011–12 (अत्यधिक विलंब)	2012–13 से 2014–15	2011–12	06.04.2016 (अत्यधिक विलंब)
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	22.05.2001	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	19.07.2004	2011–12 (अत्यधिक विलंब)	2012–13 से 2014–15	2011–12	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम	26.02.2001	2009–10 (अत्यधिक विलंब)	2010–11 से 2014–15	2009–10	13.05.15 (देरी से प्रस्तुति)
5	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम	16.11.1981	2009–10 (अत्यधिक विलंब)	2010–11 से 2014–15	2009–10	28.03.16 (देरी से प्रस्तुति)
6	छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम	07.06.2001	2014–15	----	2014–15	06.01.16
7	सीएमडीसी आईसीपीएल कोयला उद्योग	11.04.2008	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
8	छत्तीसगढ़ सौंदिहा कोयला उद्योग	30.12.2008	2014–15	----	2014–15	प्रस्तुति 2015
9	सीएसपीजीसीएल ईएल परसा कोलेरी उद्योग	06.12.2010	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी	19.05.2003	2014–15	----	2013–14	प्रस्तुति 12.03.15
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संरचना कम्पनी	19.05.2003	2014–15	----	2013–14	प्रस्तुति 12.03.15
12	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत रख रखाव कम्पनी	30.12.2008	2014–15	----	2013–14	प्रस्तुति 12.03.15
13	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी	30.12.2008	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
14	छत्तीसगढ़ राज्य ट्रांशमिशन कम्पनी	19.05.2003	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
15	छत्तीसगढ़ राज्य बोरोज निगम	7.11.2001	2014–15	----	2013–14	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
16	छत्तीसगढ़ राज्य जन वितरण निगम	13.03.2001	2013–14 (अत्यधिक विलंब)	2014–15	2012–13	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
17	छत्तीसगढ़ राज्य स्वारथ्य सेवाएं निगम	7.10.2010	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाज्य वित्त)

						किया गया
18	छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस गृह निगम	14.12.2011	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
19	रायपुर नगर निगम परिवहन	01.10.2011	पहला लेखा अभी तक अप्राप्त है, (अत्यधिक विलंब))	नवंबर 2011 से मार्च 2012, 2012–13 से 2014–15	----	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
20	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	02.05.2002	2014–15	----	2013–14	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
21	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	11.11.2014	2014–15	----	2014–15	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
22	कैरवा कोल लिमिटेड	28.01.2015	प्रथम लेखन नहीं प्राप्त	----	----	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
23	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण प्राधिकरण	2007–08	2009–10 (अत्यधिक विलंब)	2010–11 से 2014–15	2009–10	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
24	छत्तीसगढ़ राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर	संसद एकट द्वारा प्रदत्त	2011–12 (अत्यधिक विलंब)	2012–13 से 2014–15	2011–12	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया
25	सी.ए.एम.पी.ए.	कम्पा एकट द्वारा प्रदत्त	2009–10 से 2013–14	2014–15	2009–10 से 2013–14	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया

**परिशिष्ट-3.7**

(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 82)

**(2015–16 का स्वायत्त निकायों के लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का विश्लेषण)**

(₹ लाख में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	बिलों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	4	0.05
2	2230—श्रम तथा रोजगार	9	1.43
3	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6	4.46
4	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1	1.39
5	2401—फसल कृषि कर्म	1	1.20
6	2408—खाद्य, भण्डारण तथा भंडारणगार	2	33824.42
7	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4	0.11
8	2801—बिजली	14	28102.00
9	2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग	147	780.74
10	2852—उद्योग	82	968.17
11	3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2	2.42
12	4852—लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	31	900.00
योग		303	64586.39

**परिशिष्ट-3.8**

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 83)

**मार्च 2016 में मुख्य शीर्ष 8443–106—व्यक्तिगत जमा खाते में शेष राशि के अंतरण का ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कोष	मुख्य शीर्ष	राशि
1	कलेक्टर, भू—अभिलेख, बेमेतरा	2029	0.07
2	पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर	2055	0.49
3	कलेक्टर, भू—अभिलेख, बलोद	2029	0.02
4	जिला कलेक्टर, बलोद	2245	2.00
5	जेल अधीक्षक, बिलासपुर	2056	0.11
6	जेल अधीक्षक, बिलासपुर	2056	0.05
7	संयुक्त निदेशक, पंचायत, बिलासपुर	2235	0.08
8	संयुक्त निदेशक, पंचायत, समाज कल्याण, रायपुर	2235	0.22
योग			3.04

## परिशिष्ट—3.9

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 85)

## चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

संक्र.	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्चशिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	—	—	1	—	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.67	06	0.85	1	3.00	8	4.52
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	3	0.20	1	7.26	4	11.81	8	19.27
5	तकनिकी शिक्षा	4	0.00	1	1.91	6	50.16	11	52.07
6	आदिम जाति	3	0.91	3	0.20	13	16.66	19	17.77
7	विक्रय पर व्यापार	1	0.02	—	—	—	—	1	0.02
8	पचायत एवं समाज कल्याण	—	—	—	—	2	1.00	2	1.00
9	शिक्षा	24	13.35	17	34.95	21	63.56	62	111.86
10	पुलिस	18	7.87	04	18.16	367	94.24	389	120.27
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	0.29	3	0.45	17	2.03	23	2.77
12	तहसील	2	0.50	11	1.87	2	0.18	15	2.55
13	राज्य आबकारी	—	—	1	2.37	1	1.49	2	3.86
14	पशुपालन	6	1.65	1	0.10	139	9.19	146	10.94
15	लोक सेवा आयोग	—	—	—	—	1	3.16	1	3.16
16	सहकारिता	—	—	1	96.26	—	—	1	96.26
17	महिला एवं बाल विकास	01	3.50	—	—	3	2.28	4	5.78
18	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	—	—	2	0.22
19	रेशम	—	—	—	—	2	4.41	2	4.41
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	4	0.11	3	10.20	1	—	8	10.31
21	श्रम एवं रोजगार	9	3.01	—	—	3	0.63	12	3.64
22	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	1	0.08	3	0.15	4	0.23
23	फसल कृषि कर्म	1	0.24	1	2.98	6	2.77	8	5.99
24	आदिम जाति / आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	3	1.09	04	20.48	8	1.23	15	22.80
25	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	8	2.49	7	32.81	12	12.97	27	48.28
26	वन	—	—	—	—	944	1,001.23	944	1,001.23
27	लोक निर्माण	—	—	—	—	459	9,938.25	459	9,938.25
28	जन संसाधन विभाग	8	4.04	—	—	12	196.39	20	200.44
29	वित्त और सांस्थिकी निदेशालय	1	0.05	—	—	—	—	1	0.05
30	कलेक्ट्रेट	—	—	2	0.38	—	—	2	0.38
31	परिवहन विभाग	—	—	—	—	1	0.00	1	0.00
32	उद्योग	—	—	—	—	1	0.04	1	0.04
33	शहरी विकास	—	—	1	0.15	—	—	1	0.15
योग		114	51.42	71	232.10	2033	11419.36	2,218	11702.87

## परिशिष्ट—3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 85)

शासन को हुई हानियों का विश्लेषण

(31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों)

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग/इकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	20 वर्ष से ऊपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्चशिक्षा	7 (2.23)	4 (8.08)	2 (2.51)	1 (0.12)	2 (0.11)	1 (0.50)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	2 (0.40)	1 (0.67)	1 (0.16)	4 (3.29)	8 (4.52)
4	कौष एवं लेखा प्रशासन	1 (0.00)	—	3 (7.34)	1 (11.77)	—	3 (0.16)	8 (19.26)
5	तकनीकी शिक्षा	1 (0.00)	9 (51.81)	—	—	—	1 (0.25)	11 (52.06)
6	आदिम जाति	—	2 (0.75)	2 (1.46)	5 (12.67)	3 (1.60)	7 (1.28)	19 (17.76)
7	विक्रय पर व्यापार	—	—	—	—	—	1 (0.02)	1 (0.02)
8	महिला एवं बाल विकास	—	—	1 (1.96)	—	2 (3.50)	1 (0.32)	4 (5.78)
9	शिक्षा	8 (60.05)	4 (3.07)	6 (12.68)	2 (16.17)	5 (3.38)	37 (16.52)	62 (111.86)
10	पुलिस	186 (27.86)	103 (36.17)	51 (11.38)	28 (28.58)	6 (12.40)	15 (3.87)	389 (120.26)
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	23 (2.77)	23 (2.77)
12	तहसील	—	—	3 (0.98)	—	—	12 (1.57)	15 (2.55)
13	राज्य आबकारी	—	1 (1.49)	1 (2.37)	—	—	—	2 (3.86)
14	पशुपालन	51 (4.78)	78 (3.28)	12 (2.19)	—	—	5 (0.69)	146 (10.94)
15	लोक सेवा आयोग	—	—	1 (3.16)	—	—	—	1 (3.16)
16	सहकारिता	—	—	—	—	1 (96.26)	—	1 (96.26)
17	पर्यायत एवं समाज कल्याण	1 (1.00)	1 (0.00)	—	—	—	—	2 (1.00)
18	डेयरी विकास	—	—	—	2 (0.22)	—	—	2 (0.22)
19	रेशम	1 (4.00)	1 (0.41)	—	—	—	—	2 (4.41)
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	2 (0.00)	3 (1.04)	2 (1.48)	1 (7.79)	—	—	8 (10.31)

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाय्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	श्रम एवं रोजगार	2 (0.5)	0	4 (2.46)	1 (0.25)	2 (0.07)	3 (0.35)	12 (3.64)
22	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	1 (0.10)	—	—	3 (0.13)	4 (0.23)
23	आदिम जाति / आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	—	1 (0.00)	1 (19.58)	—	4 (0.63)	9 (2.59)	15 (22.80)
24	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	—	5 (11.29)	1 (0.30)	6 (33.02)	1 (0.13)	14 (3.54)	27 (48.28)
25	फसल कृषि कर्म	2 (0.00)	1 (0.16)	5 (5.83)	—	—	—	8 (5.99)
26	वन	22 (101.51)	40 (101.94)	114 (136.38)	206 (399.58)	340 (175.30)	222 (86.53)	944 (1,001.23)
27	लोक निर्माण	203 (6961.72)	181 (2680.71)	75 (295.83)	—	—	—	459 (9938.25)
28	जन संसाधन विभाग	5 (6.00)	15 (194.44)	—	—	—	—	20 (200.44)
29	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
30	कलेक्टरेट	—	—	—	—	—	2 (0.38)	2 (0.38)
31	परिवहन विभाग	—	—	—	—	1 (0.00)	—	1 (0.00)
32	उद्योग	—	—	—	—	—	1 (0.04)	1 (0.04)
33	शहरी विकास	—	—	—	—	—	1 (0.15)	1 (0.15)
	योग	493 (7169.65)	450 (3094.69)	287 (508.39)	254 (510.85)	368 (293.54)	366 (125.75)	2218 (11702.87)

## परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 85)

## वर्ष 2015–16 के दौरान हानि प्रकरणों में वसूली की जानकारी

(₹ रुपये में)

संक्र.	प्र. क.	मुख्य शीर्ष	विभाग	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि मात्रा	वसूली मात्रा
1	51	2406	वन	हानि	1990–91	9223	9223
2	53	2406	वन	हानि	2011–12	13700	13700
3	54	2406	वन	हानि	2012–13	56425	56425
4	55	2406	वन	हानि	2012–13	8882	8882
5	56	2406	वन	हानि	2001–02	113436	90749
6	57	2406	वन	हानि	2011–12	11824	11824
7	59	2406	वन	हानि	2000–01	6498	6498
8	60	2406	वन	हानि	2001–02	8930	8930
9	62	2406	वन	हानि	1986–87	373993	373993
10	63	2406	वन	हानि	2012–13	15502	15502
11	64	2406	वन	हानि	2011–12	57348	57348
12	65	2406	वन	हानि	1991–92	11690	11690
13	66	2406	वन	हानि	1972–73	10259	10259
14	67	2406	वन	हानि	1994–95	182	182
15	68	2406	वन	हानि	1995–96	673	673
16	71	2406	वन	हानि	1988–89	3226	3226
17	72	2406	वन	हानि	1993–94	7560	7560
18	73	2406	वन	हानि	1993–94	45234	45234
19	74	2406	वन	हानि	1994–95	6009	6009
20	75	2406	वन	हानि	1995–96	25973	25973
21	76	2406	वन	हानि	1993–94	5506	5506
22	77	2406	वन	हानि	1973–74	10676	10676
23	83	2406	वन	हानि	2012–13	8306	8306
24	84	2406	वन	हानि	2011–12	81430	81430
25	85	2406	वन	हानि	2013–14	7624	7624
26	87	2406	वन	हानि	2000–01	30000	30000
27	88	2406	वन	हानि	1989–90	14234	14234
28	96	2406	वन	हानि	1991–92	9979	9979
29	97	2406	वन	हानि	1991–92	9309	9309
30	99	2406	वन	हानि	1993–94	145456	145456
31	100	2406	वन	हानि	1992–93	2860	2860
32	103	2406	वन	हानि	1991–92	666	666
33	104	2406	वन	हानि	1991–92	28529	28529
34	106	2406	वन	हानि	1996–97	22816	22816
35	107	2406	वन	हानि	1993–94	5491	5491
36	108	2406	वन	हानि	1994–95	54218	54218
योग						1223667	1200980

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाय्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8
37	52	2055	पुलिस	हानि	2008–09	8385	8385
38	58	2055	पुलिस	हानि	2013–14	6405	6405
39	78	2055	पुलिस	हानि	2011–12	5266	5266
40	81	2055	पुलिस	हानि	2001–02	6855	6855
41	82	2055	पुलिस	हानि	2006–07	2865	2865
42	89	2055	पुलिस	हानि	2014–15	5801	5801
43	90	2055	पुलिस	हानि	2011–12	2500	2500
44	94	2055	पुलिस	हानि	2002–03	11711	11711
45	95	2055	पुलिस	हानि	2002–03	11711	11711
46	98	2055	पुलिस	हानि	2014–15	699	699
47	101	2055	पुलिस	हानि	2001–02	6855	6855
48	102	2055	पुलिस	हानि	2003–04	5215	5215
49	105	2055	पुलिस	हानि	2014–15	2436	2436
योग						<b>76704</b>	<b>76704</b>
50	86	2403	पशु पालन	हानि	1991–92	25739	25739
योग						<b>25739</b>	<b>25739</b>
51	93	2202	सामाज्य शिक्षा	गबन	1974	1536	1536
योग						<b>1536</b>	<b>1536</b>
महा योग						<b>1327646</b>	<b>1304959</b>

## परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 86)

(लघु शीर्ष 800 एवं अन्य व्यय के अंतर्गत समायोजन का विश्लेषण)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के अंतर्गत कुल व्यय (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	2075—विविध सामान्य सेवाएं	0.16	0.16	100
2	3275—अन्य संचार सेवाएं	120.79	120.79	100
3	4701—मध्यम सिंचाई	66.41	54.25	81.69
4	4700—मुख्य सिंचाई	589.57	470.53	79.81
5	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	339.35	209.35	61.69
6	2039—राज्य उत्पाद शुल्क	99.90	41.09	41.13
7	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	7.68	1.73	22.54
8	2852—उद्योग	98.70	15.67	15.87
9	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	246.56	35.81	14.52
10	2013—मंत्रिपरिषद	35.65	3.40	9.55
11	2403—पशुपालन	335.04	11.89	3.55
12	4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय	21.45	0.66	3.10
13	2014—न्याय प्रशासन	188.4	4.94	2.62
14	2405—मछली पालन	57.59	0.91	1.58
15	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	9.50	0.13	1.38
16	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	140.51	1.19	0.85
17	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1364.32	10.23	0.75
18	2225—अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	173.10	1.21	0.70
19	2401—फसल कृषि कर्म	1007.37	6.34	0.63
20	2012—राष्ट्रपति, उप—राष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	7.53	0.04	0.52
21	2425—सहकारिता	118.30	0.51	0.43
22	2203—तकनिकी शिक्षा	101.45	0.33	0.33

1	2	3	4	5
23	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय		9.84	0.32
24	2053—जिला प्रशासन	204.53	0.48	0.23
25	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	810.41	1.39	0.17
26	2015—निर्वाचन	62.15	0.09	0.14
27	2071—पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ	3518.57	4.11	0.12
28	4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1057.61	1.06	0.10
29	2059—लोक निर्माण	343.22	0.22	0.06
30	2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	1119.52	0.64	0.06
31	3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	19.53	0.01	0.06
32	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.03	0.00	0.06
33	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन	56.15	0.03	0.05
34	2204—खेलकुद तथा युवा सेवाएं	57.83	0.02	0.04
35	2216—आवास	221.23	0.07	0.03
36	2202—सामान्य शिक्षा	9127.59	2.16	0.02
37	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2237.95	0.52	0.02
38	2211—परिवार कल्याण	181.48	0.04	0.02
39	2217—शहरी विकास	385.90	0.07	0.02
40	2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग	141.81	0.02	0.02
41	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1384.07	0.13	0.01
योग		29112.70	1012.06	3.48

## परिशिष्ट-3.13

(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 86)

(लघु शीर्ष “800 अन्य प्राप्तियों” के अंतर्गत समायोजन)

संक्र.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	(₹ करोड़ में) प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	0852—उद्योग	1.22	1.51	123.83
2	0702—लघु सिंचाई	121.91	127.55	104.63
3	0217—शहरी विकास	3.11	3.13	100.55
4	0211—परिवार कल्याण	0.05	0.05	100.00
5	0235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3.49	3.49	100.00
6	1053—नगर विमानन	3.32	3.32	100.00
7	0220—सुचना तथा प्रचार	0.09	0.09	97.78
8	0435—अन्य कृषि कार्यक्रम	2.04	1.97	96.54
9	0041—वाहन कर	829.22	700.16	84.44
10	0071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	6.19	5.15	83.13
11	0515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	30.20	24.31	80.48
12	0055—पुलिस	11.40	8.39	73.59
13	0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	88.41	70.25	79.46
14	0408—खाद्य भंडार एवं भंडारण	0.08	0.06	70.91
15	1601—केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान	8061.59	5308.00	65.84
16	0059—लोक निर्माण	42.73	22.84	53.45
17	0058—लेखन सामाग्री तथा मुद्रण	2.58	1.25	48.38
18	0230—श्रम तथा रोजगार	16.52	6.66	40.32
19	0403—पशुपालन	6.43	2.51	38.99
20	0250—अन्य सामाजिक सेवाएं	29.15	9.93	34.06
21	0405—मछली पालन	3.73	1.27	33.95
22	0023—होटल प्राप्ति कर	7.26	2.15	29.63
23	0029—भू—राजस्व	363.84	103.33	28.40
24	0056—जैल	5.93	1.67	28.13
25	0202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	13.07	3.03	23.15
26	0042—माल तथा यात्री कर	1040.26	212.81	20.46
27	0406—वाणिकी एवं वन्य प्राणी	409.75	72.80	17.77
28	0043—विद्युत कर तथा शुल्क	1372.84	240.90	17.55
29	0039—राज्य उत्पाद शुल्क	3338.40	577.21	17.29
30	1054—सड़क तथा सेतु	2.36	0.25	10.63
31	0049—व्याज प्राप्तियां	108.23	7.92	7.32
32	0075—विविध सामान्य सेवाएं	9.46	0.69	7.34
33	0701—मध्यम सिंचाई	6.10	0.43	7.11
34	0700—मुख्य सिंचाई	502.17	25.36	5.05
35	0851—लघु एवं ग्रामोद्योग	1.24	0.06	5.04
36	1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.92	0.33	4.16
37	0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	43.15	1.51	3.50
38	0030—स्टांप तथा पंजीकरण फीस	1185.22	32.45	2.74
39	0401—फसल कृषि कर्म	10.57	0.14	1.36
40	0215—जलापूर्ति तथा सफाई	9.23	0.12	1.34

1	2	3	4	5
41	0040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8908.36	102.15	1.15
42	0853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3709.52	19.84	0.53
43	0425—सहकारिता	11.30	0.02	0.19
44	0045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	37.95	0.06	0.16
45	0047—अन्य	0.00	0.00	0.00
46	0802—पेट्रोलियम	0.00	0.00	0.00
47	0810—गैर परंपरागत ऊर्जा श्रोत	0.00	0.00	0.00
योग		30367.59	7707.12	25.38

\* इसमें वसूलियां सम्मिलित हैं

**परिशिष्ट-3.14**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 87)  
**पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत सहायता अनुदान का विवरण**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष	नाम	उद्देश्य शीर्ष कोड	नाम	राशि
1	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	8.00
2	4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	5.70
3	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	6.00
4	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	187.59
5	4225	अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	131.08
6	4403	पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	3.00
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यकर्म पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	566.54
8	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	339.35
9	4851	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	0.88
10	4852	अन्य विज्ञानकि तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	15.00
11	5425	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	2.71
12	4853	अलौह खनन तथा धातु पर पूँजीगत परिव्यय	14	सहायता अनुदान	84.07
योग					1349.92

## परिशिष्ट-3.15

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 87)

## अनियमित स्वीकृति का विवरण

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग	स्वीकृति तिथि	वर्गीकरण	कार्य विवरण	आपत्ति का प्रकार	राशि
1	2	3	4	5	6	7
<b>भाग—अ— पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य</b>						
1	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	14.08.2015	मांग संख्या—45 / 4702 / पी. —अनुरक्षण / राजीव समोदा निसदा डाइवर्सन योजना, फेस—I	मरम्मत का आंकलन तथा राजीव समोदा निसदा मोड योजना के नियंत्रण कक्ष का अनुरक्षण	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.37
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर, छ.ग.	14.08.2015	मांग संख्या—41 / 4702, लघु सिंचाई आदिवासी	जन कांति अभियान 2015–16 का एक दिन का कांकेर में कार्यशाला	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.50
3	अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल, रायपुर, छ.ग.	23.07.2015	मांग संख्या—23 / 4700, जल संसाधन विभाग	मांडर डी.वाई. संख्या—17 के निरीक्षण झोपड़ी के बी. एफ.सी. सामग्री के क्य का आंकलन	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	2.11
4	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज, डोंगरगांव, राजनांदगांव छ.ग.	13.08.2015	मांग संख्या—41 / 4701, मध्यम परियोजना	एल.बी.सी. तथा आर.बी.सी. मुख्य नहर तथा खरीफ सिंचाई वर्ष 2015–16 के मोगरा बैरेज के लघु नहर का गश्ती कार्य	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	4.46
5	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज, डोंगरगांव, राजनांदगांव छ.ग.	13.08.2015	मांग संख्या—23 / 4701, मध्यम परियोजना	खरीफ सिंचाई वर्ष 2015–16 के सुखनाल बैरेज परियोजना के नहर का गश्ती कार्य	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.44
6	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	14.05.2015	मांग संख्या—45 / 4702 / पी. —अनुरक्षण / राजीव समोदा निसदा डाइवर्सन योजना, फेस—I	आर.डी. 160 से 400 एम, आर.डी. 1030 से 1500 तथा आर.डी. 2000 से 4500 एम के लिंक नहर के सर्विस सड़क के मरम्मत तथा अनुरक्षण का आंकलन	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	6.93
7	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	04.05.2015	मांग संख्या—45 / 4702 / पी. —अनुरक्षण / राजीव समोदा निसदा डाइवर्सन योजना, फेस-II	मुढेश स्थल पर पावर कक्ष के दायें तरफ के आधार का मरम्मत तथा अनुरक्षण	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.89
8	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	20.04.2015	मांग संख्या—45 / 4702 / पी. —अनुरक्षण / राजीव समोदा निसदा डाइवर्सन योजना, फेस—I	राजीव समोदा निसदा मोड योजना, चरण—I के सर्विस तट मुख्य नहर के मरम्मत कार्य	पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	4.99

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
9	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	13.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	उष्ण मौसम प्रतिवेदन का आंकलन/एस.डी.आर., एम.आर.पी. बांध उप संभाग, संख्या—4 पलारी का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.64
10	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	01.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना	उष्ण मौसम प्रतिवेदन का आंकलन/एस.डी.ओ., बी.सी.सी., उप संभाग, संख्या—1 आरंग का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.57
11	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	15.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	उष्ण मौसम प्रतिवेदन का आंकलन/एस.डी.ओ., एम.बी.सी. उप संभागीय कार्यालय, आरंग का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.52
12	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	13.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / ओविविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना	उष्ण मौसम प्रतिवेदन का आंकलन/एस.डी.ओ., एम.आर.पी., डिस्ट्रैक्ट उप संभागीय संख्या—10, आरंग का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.55
13	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	21.05.2015	मांग संख्या—45 / 4702 / पी.—अनुरक्षण/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना	राजीव समोदा निसदा गांव मोड योजना, चरण—I के दिक्परिवर्ती बांध स्थल से उपागम सड़क का अनुरक्षण	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.02
14	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	30.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / ओविविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	तहसील आरंग, जिला—रायपुर में दिनांक 15.04.2015 से 14.05.2015 तक लोक सूरज अभियान के लिए पलैक्स बैनर तथा पैम्पलेट का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.77
15	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	01.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / केभवन/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	लोक संभागीय परिसर रायपुर के एम.आर.पी. चरण-II के संभागीय कार्यालय में फर्श में टाइल्स लगाने का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	11.85
16	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	17.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / ओविविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	तहसील आरंग, जिला—रायपुर में दिनांक 15.04.2015 से 14.05.2015 तक लोक सूरज अभियान के लिए पलैक्स बैनर तथा पैम्पलेट का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.02
17	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	13.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / ओविविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	तहसील पलारी, जिला—बलौदा बाजार में दिनांक 15.04.2015 से 14.05.2015 तक लोक सूरज अभियान के लिए पलैक्स बैनर तथा पैम्पलेट का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.14
18	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	27.03.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / ओविविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	उष्ण मौसम आंकलन/एम.आर.पी., चरण-II निर्माण संभाग, रायपुर के संभागीय कार्यालय का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	2.59

1	2	3	4	5	6	7
19	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	13.04.2015	मांग संख्या—23/4700/ओ—विविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	एस.डी.ओ. सिंचाई परियोजना, उप संभाग, आरंग के उष्ण मौसम प्रतिवेदन का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.70
20	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	07.08.2015	मांग संख्या—23/4700/के—निर्माण/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	संभागीय कार्यालय भवन (आयाकट कार्यालय) के कलर वाशिंग, डीस्टैम्परिंग तथा रंगाई का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	2.42
21	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	10.02.2015	मांग संख्या—23/4700/पी.—अनुरक्षण/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	शासकीय वाहन सी.जी. 2/1382 का वार्षिक मरम्मत का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.30
22	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	18.02.2015	मांग संख्या—23/4700/ओ—विविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	आर.एस.एन.डी. गुप (बी) के 77 कि.मी. से 82.18 के राजस्व रिकार्ड की तैयारी का आंकलन (अ)	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	7.66
23	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	23.02.2015	मांग संख्या—23/4700/ओ—विविध/राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	आर.एस.एन.डी. गुप (बी) के 77 कि.मी. से 82.18 के राजस्व रिकार्ड की तैयारी का आंकलन (ब)	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	8.94
24	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छ.ग.	26.09.2015	मांग संख्या—23/4700. 08—800—0101—2884—26—005—मुख्य सिंचाई परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय—राजीव समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-II	महिंद्रा युटिलिटी सी.जी. 02—1382 के मरम्मत का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.65
25	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छ.ग.	29.09.2015	मांग संख्या—41/4700. 03—800—0102—5685—26—005— सोंदुर बांध पर बांध सुरक्षा कार्य	सोंदुर बांध के मौजूदा कंट्रोल कक्ष के नवीनीकरण तथा सिविल कॉलोनी, मेचका में नए जल पूर्ति प्रणाली को स्थापित करने का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	74.03
26	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छ.ग.	23.03.2015	मांग संख्या—23/4700. मुख्य परियोजना (योजना कं— 5685) बांध सुरक्षा कार्य	एन.आर.बी. तथा एम.आर. पी. कॉलोनी, रुद्री के मौजूदा जलपूर्ति पाइपलाइन के प्रतिस्थापना का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	27.77

1	2	3	4	5	6	7
27	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छ.ग.	26.08.2015	मांग संख्या—75 / 4700 —(नाबाड़) यूनिट-II कैनाल, (सी.—निर्माण कार्य)	लवन शाखा नहर के 54 कि.मी. से 59 कि.मी. के बीच 18 पुराने संरचना को विद्युटित कर पुनः निर्माण कार्य का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.56
28	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू—जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर, छ.ग.	16.04.2015	मांग संख्या—23 / 4701 गर्म मौसम स्थापना	जल सर्वेक्षण वृत्त, रायपुर के वर्ष 2015—16 के उष्ण मौसम का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.64
29	अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना, डेम मंडल, खरसिया, रायपुर, छ.ग.	23.07.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / ओ—विविध / के लो परियोजना, फेस—I , रायगढ़, छ.ग.	बांगो कॉलोनी खरसिया में जलपूर्ति के नए 7 एच.पी. निमज्जक पंप सेट की तकनीकी स्वीकृति	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.55
30	अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना, डेम मंडल, खरसिया, रायपुर, छ.ग.	23.07.2015	मांग संख्या—23 / 4700 / ओ—विविध / के लो परियोजना, फेस—I , रायगढ़, छ.ग.	निरीक्षण वाहन सूमां सी.जी.—02—3459 के मुख्य मरम्मत का तकनीकी स्वीकृति	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.39
31	अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल, रायपुर, छ.ग.	09.04.2015	मांग संख्या—23 / 4700 एम.बी.सी. के सी.सी. लाईनिंग में निर्माण कार्य	वर्ष 2015—16 के महानदी वृत्त के उष्ण मौसम के आंकलन का तकनीकी स्वीकृति	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	3.90
32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल, बलौदा बाजार, भाटापारा छ.ग.	15.04.2015	मांग संख्या—40 / 4705 जॉक परियोजना	डब्ल्यू.यू.ए. नगरदा नियंत्रण के क्षेत्र मार्ग का मरम्मत	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.80
33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल, बलौदा बाजार, भाटापारा छ.ग.	16.04.2015	मांग संख्या—40 / 4705 जॉक परियोजना	डब्ल्यू.यू.ए., तुद्री, नियंत्रण के क्षेत्र मार्ग का मरम्मत	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.71
34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल, बलौदा बाजार, भाटापारा छ.ग.	15.04.2015	मांग संख्या—40 / 4705 जॉक परियोजना	डब्ल्यू.यू.ए., सलोनीकला, नियंत्रण के क्षेत्र मार्ग का मरम्मत	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.69

1	2	3	4	5	6	7
35	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	23.06.2015	मांग संख्या-45 / 4702 /पी. –अनुरक्षण/राजी व समोदा निसदा डाईवर्सन योजना, फेस-I	राजीव समोदा मुरैना गांव मोड़ योजना, चरण-I के दिक्परिवर्ती बाध स्थल से उपागम सड़क का अनुरक्षण	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.24
36	कार्यपालन अभियंता, टी. डी.पी.पी.डब्ल्यूआर. संभाग, जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.	06.08.2015	मांग संख्या-41 / 4701 यूनिट-II कैनाल कार्य-पी. भवन के अनुरक्षण	वे.डब्ल्यूआर., उप संभागीय कार्यालय भवन, भनपुरी के टुटे दिवार के मरम्मत तथा अनुरक्षण	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.25
37	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	17.11.2015	मांग संख्या-23 / 4700 यूनिट-II कैनाल कार्य-(ओ-विविध)	शासकीय वाहन कमांक सी.जी. 02 / 0338 के मरम्मत का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.30
38	कार्यपालन अभियंता, एम. आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	23.07.2015	मांग संख्या-23 / 4700 यूनिट-II कैनाल कार्य-(ओ-विविध)	शासकीय वाहन कमांक सी.जी. 02 / 1359 के मरम्मत का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.30
39	मुख्य अभियंता, मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर, छ.ग.	27.10.2015	मांग संख्या-64 / 4702 (7422)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण तथा बैराज संरचना संभाग, संख्या 02, चांपा के अंतर्गत, मार्शल जीप संख्या सी.जी. 02 / 1812 को पुनः ठीक करने तथा मरम्मत	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.91
40	मुख्य अभियंता, मिनिमाता हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर, छ.ग.	27.10.2015	मांग संख्या-23 / 4700 /आर./एम. –सरकारी वाहन का अनुरक्षण कार्य	मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो, परियोजना, बिलासपुर के शासकीय वाहन (कार) संख्या सी.जी. 02 / 5850 की मरम्मत	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.43
41	अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल, दुर्ग, छ.ग.	01.01.2016	मांग संख्या-41 / 4701 मूंगरा बैराज परियोजना	मौंगरा, बैराज परियोजना के ऊपरी बंड का मरम्मत	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	5.00
42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	18.11.2015	मांग संख्या-45 / 4702	लघु सिंचाई परियोजना के गांसवारा, किस्तबंदी, खतौनी तथा सिंचाई पर्चा खाता के रिकार्ड को राजस्व लेखा के कम्प्यूटर प्रोसेसिंग का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	11.71

1	2	3	4	5	6	7
43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	18.11.2015	मांग संख्या—45 / 4702	गांव के मानचित्र को बनाने तथा उसके स्कैनिंग, जुबो जिराक्स फोटोकॉपी तथा लेमिनेशन कार्य को करने का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	4.33
44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	18.11.2015	मांग संख्या—45 / 4702	लघु सिंचाई परियोजना के गांसवारा, किस्तबंदी, खतौनी तथा सिंचाई पर्चा खाता के रिकार्ड को राजस्व लेखा के कम्प्यूटर प्रोसेसिंग का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.29
45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	18.11.2015	मांग संख्या—45 / 4702	लघु सिंचाई परियोजना के गांसवारा, किस्तबंदी, खतौनी तथा सिंचाई पर्चा खाता के रिकार्ड को राजस्व लेखा के कम्प्यूटर प्रोसेसिंग का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.31
46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	18.11.2015	मांग संख्या—45 / 4702	लघु सिंचाई परियोजना के गांसवारा, किस्तबंदी, खतौनी तथा सिंचाई पर्चा खाता के रिकार्ड को राजस्व लेखा के कम्प्यूटर प्रोसेसिंग का आंकलन	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	2.93
47	अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर, छ.ग.	27.01.2016	मांग संख्या—41 / 4702 कवारस डी.एस. , अडवाल एनिकट एवं पारापुर एनिकट योजना	नए वृत्त कार्यालय तथा संभागीय कार्यालय भवन, जगदनपुर के संभागीय कार्य तथा फाल्स सीलिंग का कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	12.20
48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	27.10.2015	मांग संख्या—45 / 4702 लघु सिंचाई कार्य	रायपुर के तिलदा संभाग, में नहरडीह टैंक का पुर्णद्वारा कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	5.11
49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	03.03.2016	मांग संख्या—45 / 4702 लघु सिंचाई कार्य	रायपुर के तिलदा संभाग, में खरोरा टैंक का पुर्णद्वारा कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	16.69
50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर, छ.ग.	28.04.2015	मांग संख्या—45 / 4702 एनिकट / स्टॉप डेम का निर्माण	मुख्य अभियंता कार्यालय तथा संभागीय कार्यालय के लिए 87 नग टोपोशीट का क्रय	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	0.08

1	2	3	4	5	6	7
51	कार्यपालन अभियंता, टी. डी.पी.पी.डब्ल्यूआर. संभाग, जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.	11.03.2016	मांग संख्या—45 / 4702 (8967) एनीकट / बैराज का वार्षिक अनुरक्षण	संभाग, बस्तर, जिला—बस्तर के देवादा एनीकट सह कॉसवे, सोनारपाल एनीकट तथा बागमोहलाई एनीकट का वार्षिक अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.35
52	कार्यपालन अभियंता, टी. डी.पी.पी.डब्ल्यूआर. संभाग, जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.	16.03.2016	मांग संख्या—45 / 4702 (8967) चित्रकुट कुड़ का वार्षिक अनुरक्षण	संभाग, लोहण्डीगुडा, जिला बस्तर में आर.डी. 203 मी. पर चित्रकुट टैंक योजना के मुख्य जलमार्ग का मरम्मत कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	4.97
53	कार्यपालन अभियंता, ई/एम, एल/एम, टी/डब्ल्यू एवं गेट संभाग, दुर्ग, छ.ग.	14.03.2016	मांग संख्या—23 / 4701 अनुरक्षण एवं मरम्मत	सुखा नाला बैराज के उर्ध्वाधर गेट संख्या—7 का मरम्मत कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	9.98
54	कार्यपालन अभियंता, ई/एम, एल/एम, टी/डब्ल्यू एवं गेट संभाग, दुर्ग, छ.ग.	31.03.2016	मांग संख्या—23 / 4701 अनुरक्षण एवं मरम्मत	मोंगरा बैराज परियोजना के रेडियल गेट का मरम्मत कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	5.98
55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग, कं—1 खरसिया, रायगढ, छ.ग.	31.03.2016	मांग संख्या—45 / 4702 महानदी पर साराडीह बैराज निर्माण	ए.सी.शीट छत तथा वर्ष 2015–16 संभाग, तथा उप संभाग, कमांक—5, खरसिया कार्यालय भवन का मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य	पूंजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य	1.67
योग						266.10

**भाग—ब— राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य**

56	मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा बेसिन, जल संसाधन विभाग, अस्थिकापुर, छ.ग.	14.07.2015	मांग संख्या—23 / 2701 मध्यम परियोजना	कुंवरपुर मध्यम टैंक योजना के मुख्य नहर के आर.डी. 2850 मी. पर ..... (कैनल सिमफो को प्रतिस्थापित कर) के संरचना का आंकलन	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	203.65
57	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अस्थिकापुर, छ.ग.	14.05.2015	मांग संख्या—22 / 2202	नवीन विद्यालय मेंड्राकला, अस्थिकापुर में सड़क मार्ग का निर्माण	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	195.20
58	मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अस्थिकापुर, छ.ग.	10.07.2015	मांग संख्या—23 / 2701	आर.डी. 2850 मी. के सोफीयोन मुख्य धारा के जगह एक्वाडक्ट का निर्माण	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	189.57

1	2	3	4	5	6	7
59	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज डब्ल्यू /एम. संभाग, रामपुर, कोरबा, छ.ग.	27.02.2015	मांग संख्या—23/2700 हसदेव आर.बी.सी. का वार्षिक अनुरक्षण	सीतामनी, कोरबा के स्वागत द्वार का आंकलन	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	9.26
60	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज डब्ल्यू /एम. संभाग, रामपुर, कोरबा, छ.ग.	27.02.2015	मांग संख्या—23/2700 हसदेव आर.बी.सी. का वार्षिक अनुरक्षण	हसदेव, आर.बी.सी. कोरबा के सर्वमंगल मंदिर के स्वागत द्वार का आंकलन	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	9.26
61	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज डब्ल्यू /एम. संभाग, रामपुर, कोरबा, छ.ग.	27.02.2015	मांग संख्या—23/2700 हसदेव आर.बी.सी. का वार्षिक अनुरक्षण	धेनगार नल्ला, कोरबा के स्वागत द्वार का आंकलन	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	9.26
62	अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर, छ.ग.	22.09.2015	मांग संख्या—45/2701 पैरालकोट कुंड	ग्रम कपसी, कोयलीबेड़ा संभाग, जिला उत्तर बस्तर के पलारकोट टैंक में कैंटीलीवर साइन बोर्ड का आंकलन	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	2.57
63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर, दत्तेवाड़ा छ.ग.	16.12.2015	मांग संख्या—45/2702 मध्यम सिंचाई योजना का वार्षिक अनुरक्षण	कुआंकोण्डा कार्यालय भवन में स्नानागार एवं टॉयलेट का निर्माण	राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य	1.85
योग						620.62
महा योग (अ+ब)						886.72

## परिशिष्ट-3.16

(संदर्भ: कंडिका 3.8.1; पृष्ठ 88)

विविध लोक निर्माण अग्रिम की लंबित राशि 31.03.2016 की स्थिति में फार्म 70 (जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग)

स. क्र.	संभाग, का नाम	31.03.2016 की स्थिति में लंबित राशि (₹ लाख में)
1	2	3
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
1.	कार्यपालन अभियंता, वि./या. लाईट मशीनरी ट्यूबवेल संभाग, बिलासपुर	0.65
2	कार्यपालन अभियंता, खारंग ज.स. संभाग, बिलासपुर	27.72
3	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, पेंड्रा रोड, बिलासपुर	9.06
4	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, पेंड्रा रोड, बिलासपुर	2.95
5	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, रायगढ़	82.76
6	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, जशपुर नगर	362.22
7	कार्यपालन अभियंता, ज. / प्र. कंमाक-1, रायपुर	361.62
8	कार्यपालन अभियंता, ज. प्र. संभाग, कंमाक-2, बलौदा बाजार	67.89
9	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, महासमुंद	216.02
10	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, रायपुर	518.15
11	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, गरियाबंद	21.90
12	कार्यपालन अभियंता, टण्डुला ज.स. संभाग, दुर्ग	21.48
13	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, बेमेतरा	26.95
14	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, राजनांदगांव	101.73
15	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, छुईखदान	55.42
16	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, कांकेर	66.87
17	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, दंतेवाड़ा	56.10
18	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी ज.स. संभाग, जगदलपुर	44.64
19	कार्यपालन अभियंता, वि./या. लाईट मशीनरी ट्यूबवेल गेट संभाग, रायपुर	36.43
20	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, कं.-1 अस्थिकापुर	17.99
21	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, कं.-1 बैकुंठपुर	52.57
22	कार्यपालन अभियंता, हसदेव आर.बी.सी ज. / प्र. रामपुर कोरबा	198.23
23	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, कोडागांव	0.23
24	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर ज. / प्र. संभाग, जांजगीर	206.17
25	कार्यपालन अभियंता, ज.स. कोटा संभाग, बिलासपुर	0.20
26	कार्यपालन अभियंता, ज. / प्र. संभाग, रुद्री	405.24
27	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. बांध संभाग, रुद्री	54.24
28	कार्यपालन अभियंता, वि./या. एच.ई.एन. संभाग, रुद्री	16.65
29	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी.	0.84
30	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, धमतरी	16.80
31	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो-3 माचाडोली कोरबा	37.75
32	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, जांजगीर चांपा	1.43
33	वरिष्ठ भू-जल विज्ञानी डी.जी.डब्ल्यू. एस.-8 रायपुर	0.63
34	कार्यपालन अभियंता, डिस्नेट संभाग, क. तिल्दा	64.22
35	कार्यपालन अभियंता, ज.स. परियोजना संभाग, मोहदीपत बालोद	25.33
36	कार्यपालन अभियंता, वि./या. एच.ई.एन. संभाग, रायपुर	0.28
37	कार्यपालन अभियंता, वि./या. एच.ई.एन. संभाग, बिलासपुर	1.79
38	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, कोरबा	106.85
39	कार्यपालन अभियंता, ज.स. निर्माण संभाग,	95.63
40	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, कवर्धा	25.37
41	कार्यपालन अभियंता, वि./या. ज.स. संभाग, रायगढ़	2.81
42	कार्यपालन अभियंता, उप निदेशक हाइड्रो संभाग,-4, रायपुर	0.36

1	2	3
43	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग,—६ सक्ती	140.14
44	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग,—५ खरसिया	476.50
45	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, धरमजयगढ़ रायगढ़	4.30
46	कार्यपालन अभियंता, वि. / या. लाईट मशीनरी ट्यूबवेल एवं गेट संभाग, दुर्ग	0.62
47	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, मारवाही बिलासपुर	2.62
48	कार्यपालन अभियंता, ज.स. बैराज संभाग, डोंगरगांव	3.76
49	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, नारायणपुर	3.15
50	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, सूरजपुर	फॉर्म 70 अप्राप्त
51	कार्यपालन अभियंता, ज.स. संभाग, रामानुजगढ़ी	फॉर्म 70 अप्राप्त
52	कार्यपालन अभियंता, मृदा एवं पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर	फॉर्म 70 अप्राप्त
योग		4043.26
<b>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी</b>		
1	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. (वि. / या.) संभाग, रायपुर	58.47
2	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. (वि. / या.) संभाग, जगदलपुर	46.77
3	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, बिलासपुर	192.59
4	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, कोरबा	34.41
5	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायगढ़	93.92
6	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. परियोजना संभाग, रायपुर	48.46
7	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	507.28
8	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, दुर्ग	90.93
9	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, राजनांदगांव	377.13
10	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, जगदलपुर	611.73
11	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	158.15
12	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	6.17
13	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	256.86
14	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	19.68
15	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	10.93
16	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	14.41
17	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	18.65
18	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, रायपुर	0.53
19	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. (वि. / या.) संभाग, बिलासपुर	136.24
20	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. (वि. / या.) संभाग, अम्बिकापुर	2.84
21	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. परियोजना संभाग, बिलासपुर	0.34
22	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. (वि. / या.) संभाग, राजनांदगांव	3.89
23	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, बलौदा बाजार	17.27
24	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, बालोद	7.99
25	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, गरियाबंद	फॉर्म 70 अप्राप्त
26	कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.या. संभाग, नारायणपुर	फॉर्म 70 अप्राप्त
योग		2715.64
<b>लोक निर्माण विभाग</b>		
1	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. संभाग, रायपुर	220.00
2	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. संभाग, जगदलपुर	57.15
3	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कं.-१, रायपुर	608.78
4	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, महासमुद्र	91.58
5	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, धमतरी	82.91
6	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, रायपुर	17.84
7	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, राजनांदगांव	3.63
8	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. उत्तर बस्तर संभाग, कं.-१, जगदलपुर	327.82

वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शाय्य वित्त)

9	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. दक्षिण बस्तर संभाग, दंतेवाड़ा	32.66
10	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. पश्चिम बस्तर संभाग, बीजापुर	516.30
11	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कोडांगांव	140.01
12	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कं.-1 बिलासपुर	751.19
13	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कोरबा	434.16
14	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, चांपा	29.39
15	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (वि. / या.) संभाग, बिलासपुर	4.79
16	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, जशपुर नगर	132.61
17	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कोरिया मनेंद्रगढ़	100.78
18	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, खैरागढ़	127.77
19	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु) संभाग, बिलासपुर	56.99
20	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु) संभाग, रायपुर	122.08
21	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, रायपुर	100.49
22	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (रा.रा.) संभाग, अम्बिकापुर	16.21
23	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, बालौद	73.29
24	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. विधानसभा संभाग, रायपुर	110.46
25	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (रा.रा.) संभाग, बिलासपुर	0.11
26	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, बेमेतरा	106.69
27	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, रामानुजगंज	29.20
28	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु) संभाग, अम्बिकापुर	22.94
29	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, बलौदा बाजार	400.20
30	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, भानुप्रतापपुर	10.76
31	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु) संभाग, राजनांदगांव	29.62
32	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु) संभाग, रायगढ़	168.69
33	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कं.-2, मुगेली	0.20
34	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, पथलगांव	15.48
35	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, सूरजपुर	6.58
36	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, सुकमा	0.18
37	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, क्र.-2	5.67
38	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, गरियाबंद	89.31
39	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, नारायणपुर	8.59
40	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कं.-3 रायपुर	फॉर्म 70 अप्राप्त
41	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कांकेर	फॉर्म 70 अप्राप्त
42	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, पेंड्रा रोड बिलासपुर	फॉर्म 70 अप्राप्त
43	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, रायगढ़	फॉर्म 70 अप्राप्त
44	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ. / स.) संभाग, कं.-2 अम्बिकापुर	फॉर्म 70 अप्राप्त
योग		5053.11
महा योग		11812.01

## परिशिष्ट-3.17

(संदर्भ: कंडिका 3.9.1: पृष्ठ 89)

## सभी जिलों के विभिन्न योजनाओं के वर्षवार आबंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र	योजनाओं का नाम	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	कुल
1	सायकल, सिलाई मशीन और औजार सहायता	6.32	36.47	61.14	0.51	8.12	<b>112.56</b>
2	राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह	0.46	2.05	12.53	13.48	25.90	<b>54.42</b>
3	भगिनी प्रसूति सहायता	1.11	4.51	7.55	10.76	13.06	<b>36.99</b>
4	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु और अंत्येष्टि सहायता	0.44	3.19	9.32	6.65	12.52	<b>32.12</b>
5	मुख्यमंत्री चलित झूलाधर	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	<b>0.08</b>
6	मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.04</b>
7	बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन	1.19	0.53	0.96	0.00	0.00	<b>2.68</b>
8	नौनिहाल छात्रवृत्ति	0.80	2.65	2.13	9.70	11.01	<b>26.29</b>
9	मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन	0.07	0.47	0.34	0.19	0.48	<b>1.55</b>
10	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन	0.00	0.16	0.24	1.29	7.48	<b>9.17</b>
11	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता	0.00	0.10	0.12	0.02	0.20	<b>0.44</b>
12	गम्भीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता	0.00	0.12	0.22	0.08	0.29	<b>0.71</b>
13	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>
14	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास	0.00	1.86	2.65	16.64	34.34	<b>55.49</b>
15	मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय	0.00	0.40	0.80	0.39	0.27	<b>1.86</b>
16	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत कार्ड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	<b>0.01</b>
17	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	<b>0.43</b>
18	मुख्यमंत्री बंधक निर्माण मजदूर पूर्नवास सहायता	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	<b>0.05</b>
19	मुख्यमंत्री सुरक्षा उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	<b>1.92</b>
20	प्रधानमंत्री अटल पेंशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	<b>0.02</b>
21	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	<b>0.18</b>
22	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	<b>0.01</b>
	<b>कुल</b>	<b>10.44</b>	<b>53.97</b>	<b>98.04</b>	<b>59.75</b>	<b>115.82</b>	<b>338.02</b>

**परिशिष्ट—3.18**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.9.3: पृष्ठ 89)  
**चयनित सात जिलों के आबंटन एवं व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

संक्र.	योजनाओं का नाम	2011–12			2012–13			2013–14			2014–15			2015–16		
		आब.	व्यय	शेष	आब.	व्यय	शेष	आब.	व्यय	शेष	आब.	व्यय	शेष	आब.	व्यय	शेष
1	सायकल, सिलाई मशीन और औजार	0.06	0.00	0.06	26.46	22.02	4.44	41.13	39.09	2.04	0.36	0.41	-0.05	3.61	4.18	-0.57
2	राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह	0.35	0.22	0.13	1.73	1.45	0.28	10.02	8.10	1.92	8.92	39.00	.30.08	17.65	13.65	4.00
3	भगीनी प्रसूति सहायता	0.91	0.34	0.57	3.73	3.78	.05	6.01	4.90	1.11	6.75	6.06	0.69	8.80	5.26	3.54
4	विश्वकर्मा दुर्घटना अनुग्रह राशि	0.30	0.21	0.09	2.49	1.92	0.57	8.23	7.03	1.20	4.80	5.33	-0.53	8.29	10.96	-2.67
5	मोबाइल राजस्ट्रेशन वैन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन	0.86	0.86	0.00	0.49	0.48	0.01	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
7	मुख्यमंत्री चलित झूलाघर	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
8	मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	नौनिहाल छात्रवृत्ति	0.61	0.32	0.29	1.84	0.68	1.16	1.35	0.76	0.59	5.54	2.94	2.60	6.29	5.23	1.06
10	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.08	0.00	0.08	0.93	0.25	0.68	4.86	4.19	0.67
11	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.04	0.09	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.10
12	गम्भीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.16	0.01	0.15	0.00	0.01	-0.01	0.17	0.10	0.07
13	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास	0.00	0.02	-0.02	0.75	0.23	0.52	1.12	0.96	0.16	5.01	2.87	2.14	15.77	16.04	-0.27
14	मुख्यमंत्री बंधक मजदूर पूर्ववास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
15	मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	1.10	0.10	1.00	0.20	0.10	0.10	0.16	0.16	0.00
16	विश्वकर्मा अंत्येष्टि सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इंज्जत मंथली	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
19	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	प्रधानमंत्री अटल पेंशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		3.12	1.98	1.14	37.79	30.70	7.09	69.98	61.66	8.32	32.54	56.98	-24.44	66.12	59.84	6.28

नोट—आब.—आबंटन

## परिशिष्ट-3.19

(संदर्भ: कंडिका 3.9.4.2: पृष्ठ 90)  
अनादरित चेकों का वर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	वापसी चेकों का राशि	वापसी चेकों के विलम्ब प्राप्त राशि	शेष बची राशि	स्माशोधन का प्रतिशत
2011–12	135.74	0.63	135.11	0.46
2012–13	255.86	115.20	140.67	45.02
2013–14	232.43	81.86	150.57	35.22
2014–15	203.75	29.08	174.67	14.27
2015–16	187.77	180.95	6.81	96.37
<b>कुल</b>	<b>1015.55</b>	<b>407.72</b>	<b>607.83</b>	<b>40.15</b>

## परिशिष्ट-3.20

(संदर्भ: कंडिका 3.9.4.3: पृष्ठ 91)  
अयोग्य लाभार्थियों को सायकल वितरण का विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	अयोग्य लाभार्थियों की कुल संख्या
1	कवर्धा	194
2	कोरिया	27
3	कोरबा	107
4	कांकेर	12
5	दांतेवाड़ा	180
6	दुर्ग	121
7	नारायणपुर	10
8	बिलासपुर	270
9	राजनांदगांव	683
10	रायगढ़	372
11	रायपुर	715
12	कोणडागांव	1
13	गरियाबंद	10
14	जशपुर	5
15	धमतरी	131
16	बलौदाबाजार	35
17	बैमेतरा	12
18	सरगुजा	3
19	सुरजपुर	2
20	मुंगोली	3
21	जांजगीर –चांपा	70
	<b>कुल</b>	<b>2963</b>

## परिशिष्ट-3.21

(संदर्भ: कंडिका 3.9.4.4: पृष्ठ 91)

अयोग्य लाभार्थियों को जिलावार सायकल वितरण का विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	अयोग्य लाभार्थियों की कुल संख्या
1	गरियाबंद	5
2	राजनांदगांव	1
3	रायगढ़	17
4	रायपुर	43
5	सुरजपुर	11
6	कांकेर	1
7	दांतेवाड़ा	8
8	धमतरी	45
9	बैमेतरा	5
10	बलरामपुर	1
11	बिलासपुर	7
12	सरगुजा	17
कुल		161

## परिशिष्ट-3.22

(संदर्भ: कंडिका 3.9.4.5: पृष्ठ 91)

विभिन्न जिलों में दोनों योजनाओं के लिए लाभार्थियों की संख्या का विवरण

स. क्र.	जिला	दोनों योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या	
		दोहरा योजना का लाभ सायकल के रूप में	दोहरा योजना का लाभ सिलाई मशीन के रूप में
1	कवर्धा	0	5
2	रायपुर	449	344
3	कोणडागांव	3	00
4	कोरबा	1	02
5	गरियाबंद	96	00
6	जशपुर	01	00
7	जांजगीर –चांपा	03	00
8	टुर्ग	21	80
9	धमतरी	132	02
10	बालोद	03	00
11	बस्तर	01	01
12	बलौदाबाजार	29	14
13	बिलासपुर	13	18
14	बैमेतरा	05	10
15	मुंगेली	02	03
16	राजनांदगांव	37	92
17	रायगढ़	01	03
18	सरगुजा	02	01
कुल		799	575

## परिशिष्ट—3.23

(संदर्भ: कंडिका 3.9.4.7: पृष्ठ 93)

सभी जिलों के सभी योजनाओं में अवितरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय	शेष	व्यय का प्रतिशत
1	सायकल, सिलाई मशीन और औजार	98.95	87.49	11.46	88.42
2	भगिनी प्रसूति सहायता	36.53	28.33	8.20	77.55
3	मुख्यमंत्री चलित झूलाघर	0.08	0.07	0.01	87.50
4	मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण	0.02	0.00	0.02	0.00
5	नौनिहाल छात्रवृत्ति	26.29	19.13	7.16	72.77
6	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता	0.44	0.09	0.35	20.45
7	गम्भीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता	0.71	0.27	0.44	38.03
8	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास परिवार सशक्ति	55.43	38.90	16.53	70.18
9	मुख्यमंत्री बंधक निर्माण मजदूर पूर्नवास सहायता	0.05	0.02	0.03	40.00
10	मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय	2.16	0.77	1.39	35.65
11	विश्वकर्मा अंत्येष्टि सहायता	0.04	0.01	0.03	25.00
12	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मथली सीजन टिकट	0.01	0.00	0.01	0.00
13	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता	1.91	1.12	0.79	58.64
14	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा	0.18	0.03	0.15	16.67
15	प्रधानमंत्री अटल पेंशन	0.02	0.00	0.02	0.00
कुल		222.82	176.23	46.59	79.09

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in